वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
www.beeindia.gov.in

वार्षिक रिपोर्ट

2018–2019

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट
2018–2019

विषय

सूची		पृष्ठ संख्या
सामान्य		
1.1	मिशन	6
1.2	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और इसकी भूमिका	6–7
1.3	महानिदेशक की रिपोर्ट	8–9
1.4	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्कीमें	10–30
1.5	राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता	31–37
1.6	शासी परिषद् की संरचना	38
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग		
2.1	अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम	40–46
2.2	बहुपक्षीय कार्यक्रम	46–50
ब्यूरो के लेखे		
3.1	पूंजीगत संरचना	52
3.2	वित्तीय परिणामों का सारांश	52
3.3	ब्यूरो की कार्यशैली में सुधार अथवा सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए उपाय	52
3.4	लेखों का वार्षिक विवरण	52–84
प्रशासन		
4.1	शिकायत निवारण	86
4.2	सूचना का अधिकार अधिनियम	86
4.3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	86
4.4	अल्पसंख्यकों का कल्याण	86
4.5	राजभाषा का कार्यान्वयन	86–87
4.6	सतर्कता	87
4.7	दिव्यांग जनों का कल्याण	87

1

सामान्य

1.1 मिशन

1.2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और इसकी भूमिका

1.3 महानिदेशक की रिपोर्ट

1.4 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्कीमें

1.5 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता

1.6 शासी परिषद् की संरचना

1.1 मिशन

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन स्वतः विनियमन और बाजार सिद्धांतों पर बल देते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा गहनता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की समग्र रूपरेखा के अन्तर्गत नीति और कार्यनीतियों का विकास करना है। इसे सभी पणधारियों की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किया जाएगा और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को त्वरित और निरंतर रूप से अपनाया जाएगा।

1.2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और इसकी भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य

- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण क्रियाकलापों को नीतिगत रूपरेखा और दिशा–निर्देश प्रदान करना।
- व्यक्तिगत क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापने, उनकी निगरानी और जांच करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बहुपक्षीय, द्विपक्षीय तथा निजी क्षेत्र के सहयोग को बढावा देना।
- पणधारियों की भागीदारी से ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों में समन्वय स्थापित करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में यथा विचारित ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनकी देखरेख करना और उन्हें क्रियान्वित करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में यथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, निजी – सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से, ऊर्जा दक्षता सुपुर्दगी क्रियाविधि का प्रदर्शन करना।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत तथा ब्यूरो को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए ऊर्जा संरक्षण/दक्षता के क्षेत्र में कार्य कर रहे अभिहित एजेंसियों, अभिहित उपभोक्ताओं और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है।

इस अधिनियम में उपकरणों और यंत्रों के लिए मानक विकसित करने और लेबलिंग करने; वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड बनाने तथा ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए ऊर्जा खपत मानदण्ड बनाने के लिए विनियामक जनादेश का प्रावधान है। वर्ष 2010 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया और अधिनियम के मुख्य संशोधन निम्नानुसार हैं:

- केन्द्रीय सरकार ऐसे अभिहित उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी कर सकती है, जिनकी ऊर्जा खपत यथानिर्धारित पद्धति के अनुसार बनाए गए मानदण्डों और मानकों से कम हो।
- अभिहित उपभोक्ता, जिनकी ऊर्जा खपत निर्धारित मानदण्डों और मानकों से अधिक है, निर्धारित मानदण्डों और मानकों के अनुपालन के लिए ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र की खरीद करने के पात्र हैं।
- केन्द्रीय सरकार ब्यूरो से परामर्श करके खपत की गई ऊर्जा के बराबर तेल के प्रति मीट्रिक टन का मूल्य निर्धारित कर सकती है।
- वाणिज्यिक भवन, जिनके पास 100 किलोवाट का कनेक्टिड लोड या 120 केवीए और इससे अधिक की कॉन्ट्रेक्ट डिमाण्ड है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अर्न्तगत ईसीबीसी के दायरे में आते हैं।

संवर्धनात्मक भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की प्रमुख संवर्धनात्मक भूमिका मे निम्नलिखित शामिल हैः

- ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर जागरुकता पैदा करना तथा जानकारी का प्रसार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए कार्मिकों और विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था और आयोजन करना।
- ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।
- अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया तैयार करना और परीक्षण सुविधाओं का संवर्धन।
- प्रायोगिक परियोजनाओं तथा निदर्शन परियोजनाओं को तैयार करना और उनको क्रियान्वयन का सरलीकरण।
- ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं, उपकरणों, यंत्रों और प्रणालियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा दक्ष उपकरणों अथवा यंत्रों के इस्तेमाल के लिए तरजीही उपचार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना।
- ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के नवोन्मेशी निधीयन को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

1.3 महानिदेशक की रिपोर्ट

भारत में सभी क्षेत्रों में अवसरों का लाभ उठाने, सामर्थ्यवान बनने और शहरीकरण का तेजी से विकास होने के कारण ऊर्जा की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। भारत का विकास–पथ तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता पर केंद्रित है जो न केवल गरीबी को हटाने और रहन–सहन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है बल्कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए सतत् विकास पर भी केन्द्रित है।

ऊर्जा दक्षता एक प्रमुख घटक है जो ऊर्जा की आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संस्थागत ढांचे में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (ईसी अधिनियम) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) शामिल हैं, जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को लागू करने में सरकार की सहायता करने के लिए एक नोडल केंद्रीय सांविधिक निकाय है। एक अर्द्ध–विनियामक और नीतिगत सलाहकार निकाय के रूप में, ब्यूरो उन नीतियों और कार्यनीतियों को बनाने में मदद करता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र ऊर्जा मांग को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्व–नियंत्रण और बाजार सिद्धांतों पर बल देता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एनडीसी के प्रतिबद्ध लक्ष्यों को पूरा करने और दीर्घावधि विकास में सहायता करने के लिए उद्योगों, उपकरणों, भवनों, परिवहन, कृषि और मांग पक्ष प्रबंधन आदि क्षेत्रों में विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के लिए अनेक कदम उठा रहा है।

ऊर्जा की अत्यधिक खपत करने वाले उद्योगों के लिए, निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) योजना ऊर्जा दक्षता में सुधार करके लागत को किफायती बनाने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र है। पीएटी योजना के अंतर्गत, तीन साल की अवधि के बाद ऊर्जा का अत्यधिक इस्तेमाल करने वाले उद्योगों की विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उनका मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान में, पीएटी योजना के अंतर्गत 13 क्षेत्रों में ऊर्जा का अधिक इस्तेंमाल करने वाले 956 उद्योग या नामित उपभोक्ता (डीसी) ऊर्जा दक्षता उपायों को अपना रहे हैं। इससे 2022 तक 20 मिलियन टीओई ऊर्जा और 70 मिलियन टन कार्बनडाईऑक्साइड कम होने की उम्मीद है।

मानक और लेबलिंग (स्टार रेटिंग के रूप में भी जाना जाता है) कार्यक्रम उपकरण क्षेत्र में लागू किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को लेबल वाले उपकरणों/उपस्करों की ऊर्जा और लागत बचत क्षमता के बारे में जागरूक करते हुए विकल्प प्रदान किया जा सके। यह पहल उपकरणों/उपस्करों में 1 से 5 के पैमाने पर न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन स्तर को निर्धारित करती है, जिसमें 5 सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष हैं। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत 23 उपकरण शामिल हैं, जिनमें से 10 उपकरणों को ऊर्जा दक्ष बनाना अनिवार्य है और शेष 13 उपकरण स्वैच्छिक व्यतवस्था के अंतर्गत आते हैं। मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 17–18 में 48.46 बीयू बिजली की बचत हुई है, जिससे सीओ2 के उत्सर्जन में 40.03 मिलियन टन की कमी आई है। वित्त वर्ष 18–19 के दौरान, 2 उपकरणों अर्थात् चिलर्स और माइक्रोवेव ओवन के लिए स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया गया था। वाशिंग मशीनों के लिए स्टार लेबलिंग कार्यक्रम फिर से शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप और स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर जैसे उपकरणों के लिए ऊर्जा खपत मानदंडों को अनुकूल बनाया गया। बाजार की निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, बीईई ने निगरानी और मूल्यांकन (आईएएमई) के लिए स्वतंत्र एजेंसियों के रूप में राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) के साथ समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

वाणिज्यिक भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए, 2017 में संरक्षण में ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) को अद्यतन किया गया है, जिसमें 100 कि.वॉट या 120 केवीए या अधिक के कनेक्ट लोड वाले नए व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित किए गए हैं। इस वर्ष, बीईई ने दिसंबर 2018 में इको–निवास संहिता (भाग 1: भवन आवरण) लागू की है, जो आवासीय भवनों के लिए एक ऊर्जा कोड है। 'आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता लेबल' की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी, जिसका उद्देश्य घरों में ऊर्जा प्रदर्शन को बढ़ावा देना है जो भविष्य में घरों की खरीद के लिए एक निर्णायक कारक साबित होगा। लेबलिंग कार्यक्रम के द्वारा 2030 तक लगभग 388 बीयू ऊर्जा की बचत होगी।

मौजूदा भवनों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम लागू किया जा रहा है जो कि.वॉट/वर्ग मी./वर्ष मानक के अनुसार भवन में ऊर्जा के

उपयोग पर आधारित है। यह कार्यक्रम 1–5 पैमाने पर भवनों की दर निर्धारित करता है, जिसमें 5 स्टार लेबल वाले भवन सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष हैं और यह कार्यालय भवनों, शॉपिंग मॉल, होटल और पीपीओ पर लागू है। वर्तमान में, 230 भवनों को स्टार रेटिंग प्रदान की गई है।

परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए, सरकार द्वारा यात्री कारों के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (सीएएफई) मानदंडों को 2015 में अधिसूचित किया गया था, और ये 1.4.2017 से लागू हैं। ये मानदंड इलेक्ट्रिक के साथ–साथ हाइब्रिड वाहनों को भी उच्च दक्षता अंक प्रदान करते हैं ताकि ओईएम को अधिक ईवी / एचईवी की बिक्री के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हेवी ड्यूटी वाहनों (एचडीवीएस) के लिए ईंधन दक्षता मानक 2017 में अधिसूचित किए गए थे और ये 1.4.2018 से लागू हैं। ट्रैक्टर और दोपहिया वाहनों के लिए एफई मानदंड बनाए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किए गए कई नीतिगत उपाय निम्न प्रकार हैं:

- बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए दिनांक 30 अप्रैल, 2018 के विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों द्वारा लाइसेंस की आवश्यकता को हटाने के लिए स्पष्टीकरण जारी करना।
- 14 दिसंबर, 2018 को 'बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए चार्जिंग व्यवस्था – दिशानिर्देश और मानक' जारी किए गए।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को 'बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए चार्जिंग व्यवस्था – दिशानिर्देश और मानक' के प्रावधानों के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नामित किया गया है।

बीईई द्वारा हाल ही में एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराए गए अध्ययन के अनुसार ऐसा अनुमान है कि 2017–18 के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रमों के कारण निम्नानुसार ऊर्जा की बचत हुई:

- 86.1 बीयू की ऊर्जा बचत अर्थात् देश में बिजली की कुल खपत का 7.14%.
- बिजली की बचत से 41,799.40 रुपए मूल्य की लागत में बचत हुई, परिणामस्वरूप 69.08 मिलियन टन सीओ2 उत्सर्जन में कमी हुई।
- 9.41 मिलियन टन के बराबर थर्मल ऊर्जा की बचत हुई।
- थर्मल बचत के परिणामस्वरूप 11828.38 करोड़ रुपए की लागत में बचत हुई और 39.20 मिलियन टन सीओ2 उत्सर्जन में कमी आई।
- 16.62 मिलियन टन तेल के बराबर कुल ऊर्जा बचत हुई अर्थात् देश में कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का 1.97%.
- लागत में लगभग 53,627 करोड़ रुपए मूल्य की कुल बचत हुई।
- सीओ2 उत्सर्जन में कुल कमी 108 मिलियन टन वार्षिक रही।

इसके अलावा, बीईई ने ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतिक योजना बनाई है – राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता क्षमता का दोहन (यूएनएनएटीईई)। ऊर्जा दक्षता बचत और उसे लागू करने की रूपरेखा का दीर्घावधि राष्ट्रीय लक्ष्य 2031 निर्धारित किया गया है। अध्ययन के अनुसार, 2031 तक मध्यम और महत्वाकांक्षी परिदृश्यों के अंतर्गत ऊर्जा बचत की क्षमता क्रमशः 87 मिलियन टीओई और 129 मीलियन टीओई होने का अनुमान है, जो देश में कुल ऊर्जा खपत का 10% से 15% है। रिपोर्ट में क्षेत्रीय और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यनीतियों का भी अनुमान लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित ऊर्जा बचत क्षमता प्राप्त होगी।

2018 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन और विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर.के. सिंह, की गरिमामयी उपस्थिति में मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की 26 औद्योगिक इकाइयों को ऊर्जा दक्षता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। इस वर्ष के राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम में देश भर की 333 इकाइयों और प्रतिष्ठानों ने भाग लिया और कुल 3,917 मिलियन यूनिट की बचत हुई, जिसका मूल्य 2,000 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों से IV से IX कक्षा तक के 90 लाख से अधिक स्कूली बच्चों ने भागीदारी की।

ऊर्जा संरक्षण के संदेश को जन–जन तक पहुंचाने के लिए, बीईई ने इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य एयर–कंडीशनर का तापमान 24 डिग्री पर निर्धारित करना है।

1.4 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्कीमें

1.4.1 राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) – वार्षिक रिपोर्ट

राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत आने वाले आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है, जिसे भारत सरकार द्वारा जून 2008 में जारी किया गया था। अत्याधुनिक पहल के माध्यम से ऊर्जा दक्षता बाजार को सुदृढ़ करना एनएमईईई मिशन का मूल उद्देश्य है। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एनएमईईई निम्नलिखित चार पहलों को लागू करने के लिए स्व–विनियमन और बाजार सिद्धांतों पर बल देता है:

1. निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) स्कीम – जिसका उद्देश्य बड़े ऊर्जा गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी)को कम करना है।
2. ऊर्जा दक्षता बाजार रूपान्तरण (एमटीईई) – जिसका उद्देश्य ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रति बाजार का रूपान्तरण करना है।
3. ऊर्जा दक्षता निधीयन मंच (ईईएफपी) – जिसका उद्देश्य वित्तीय संस्थानों और अन्य पणधारियों के लिए क्षमता निर्माण हेतु एक मंच उपलब्ध कराना है।
4. ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास ढांचा (एफईईईडी)–ऊर्जा दक्षता (ईई) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्तीय साधनों को वित्तपोषण के लिए विकास करना है।

एनएमईईई की चार पहलों की स्थिति निम्नानुसार है:–

(i) निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार योजना (पीएटी)

निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना एक प्रक्रिया है जिसकी रूपरेखा ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाई गई है और इसे विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) को कम करने के आधार पर डिजाइन किया गया है। इसमें आधार वर्ष के अनुसार एसईसी का आकलन करके लक्षित वर्ष के लिए एसईसी का अनुमान लगाया जाता है, जिसमें संयंत्र में जाने वाली शुद्ध ऊर्जा के विभिन्न रूपों और एक विशेष अवधि के बाद निकाले जाने वाले उत्पाद शामिल होते हैं। पीएटी एक बहु–चक्र कार्यक्रम है जिसका प्रत्येक चक्र 3 वर्ष का होता है जिसमें विनिर्दिष्ट उपभोक्ता (डीसीएल) नामक औद्योगिक इकाइयों को एसईसी कम करने का लक्ष्य सौंपा जाता है। यह एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां अतिरिक्त ऊर्जा बचत को व्यापार योग्य साधन में परिवर्तित किया जाता है जो ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ईएस सर्टि.) कहलाता है जिसका विद्युत आदान–प्रदान कारोबार किया जा सकता है।

वर्ष 2015 में पूरा होने वाले पीएटी चक्र–1 के कार्यान्वयन से 8.67 एमटीओई की ऊर्जा की बचत हुई है जो अधिसूचित लक्ष्यों से लगभग 30% अधिक है। यह ऊर्जा बचत लगभग 31 मिलियन टन सीओ2 उत्सर्जन को कम करती है। इस ऊर्जा बचत को बिजली के आदान–प्रदान में व्यापार योग्य ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों (ईएस सर्टि.) में परिवर्तित कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने अतिरिक्त ऊर्जा बचत के लिए 309 नामित उपभोक्ताओं (डीसी) को लगभग 38.25 लाख ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्र जारी किए और ऊर्जा बचत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 110 नामित उपभोक्ता इस कमी को पूरा करने के लिए लगभग 14.25 लाख ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्र खरीदने के पात्र थे। लेन–देन किए गए कुल ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्रों की संख्या लगभग 12.98 लाख थी जिसके परिणामस्वरूप 17 साप्ताहिक सत्रों के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इसके बाद, पीएटी (2016–19) के दूसरे चक्र को मार्च, 2016 में अधिसूचित किया गया, जिसमें 11 क्षेत्रों के 621 नामित उपभोक्ता शामिल किए गए जिनमें आठ मौजूदा क्षेत्र और तीन नए क्षेत्र नामतः रेलवे, रिफाइनरी और डिस्कॉम शामिल हैं। पीएटी अपने दूसरे चक्र में 8.869 एमटीओई के समग्र ऊर्जा बचत लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। पीएटी चक्र–II 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो गया है और पीएटी चक्र–II के नामित उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा बचत का सत्यापन चल रहा है। सत्यापन बीईई द्वारा पैनलबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा किया जा रहा है।

चूंकि पीएटी योजना को रोलिंग चक्र के आधार पर लागू किया जा रहा है अर्थात् हर साल नए नामित उपभोक्ता/क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, पीएटी चक्र–III को 1 अप्रैल, 2017 को अधिसूचित किया गया था। पीएटी योजना अपने तीसरे चक्र में 1.06 एमटीओई के समग्र ऊर्जा बचत लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, जिसके लिए एसईसी को कम करने का लक्ष्य अधिक ऊर्जा खर्च करने वाले छह क्षेत्रों के 116 नामित उपभोक्ताओं को सौंपा गया है। इसके बाद, पीएटी चक्र–IV अप्रैल, 2018 से शुरू हो गया, जिसमें 109 नामित उपभोक्ताओं को मौजूदा क्षेत्रों और दो नए क्षेत्रों अर्थात् पेट्रोरसायन और वाणिज्यिक भवनों (होटल) से अधिसूचित किया गया है।

हाल ही में, पीएटी चक्र–V की शुरुआत अप्रैल, 2019 से हुई है। पीएटी चक्र–V के अंतर्गत, पीएटी के मौजूदा क्षेत्रों से 110 नामित उपभोक्ताओं अर्थात् एल्यूमीनियम, सीमेंट, क्लोर–अल्कली, वाणिज्यिक भवन (होटल), लौह और इस्पात, पल्प एवं कागज, वस्त्र और थर्मल पावर प्लांट को अधिसूचित किया गया है। इन नामित उपभोक्ताओं की कुल ऊर्जा खपत 15.244 मिलियन टीओई बनती है और इसे पीएटी चक्र–V के कार्यान्वयन के माध्यम से कुल 0.5130 मिलियन टीओई ऊर्जा बचत प्राप्त होने की उम्मीद है। वर्तमान में, अर्थात् अप्रैल, 2019 तक, पीएटी के 4 चक्र हुए हैं जिसमें ऊर्जा की अधिक खपत वाले 13 क्षेत्रों से 956 नामित उपभोक्ता योगदान दे रहे हैं। यह परिकल्पना की गई है कि इस योजना के कार्यान्वयन से 2020 तक लगभग 11 एमटीओई ऊर्जा बचत प्राप्त की जाएगी।

(ii) ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार रूपान्तरण (एमटीईई)

मिशन के इस प्रयास का उद्देश्य उत्पादों को वहनीय बनाने के लिए नवोन्मेशी उपायों के माध्यम से अभिहित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपकरणों को तेजी से बदलना है। एमटीईई के अन्तर्गत बाजार में ऊर्जा दक्षता उत्पादों के संवर्धन हेतु दो कार्यक्रम बचत लैम्प

योजना (बीएलवाई) और अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी) आरम्भ किए गए।

- बचत लैम्प योजना (बीएलवाई) का विकास अदक्ष बल्बों के बदले कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प (सीएफएल) लाने के लिए किया गया था। इस समय बीएलवाई कार्यक्रम में एलईडी के प्रसार को सहायता देना तथा ईईएसएल और आरईसी जैसे प्रतिभागी अभिकरणों को तकनीकी सहायता मुहैया कराना शामिल है।
- अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी) एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसे कार्यकलाप के महत्वपूर्ण बिंदु/बिंदुओं पर नए सिरे से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके अत्यधिक दक्ष उपकरणों को बाजार के अनुरूप परिवर्तन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सीलिंग फैन की पहले उपकरण के रूप में पहचान करके उसे अपनाया गया है। इसका लक्ष्य भारतीय बाजार में औसतन बिकने वाले मौजूदा लगभग 70 वॉट की रेटिंग वाले सीलिंग फैन के स्थान पर अत्यधिक दक्ष 35 वॉट वाले सीलिंग फैन लगाना और उनका प्रयोग करना है।

वर्तमान में सीलिंग फैन के कार्यक्रम पर एलईडी के लिए उपयोग किए जाने वाले मांग एकत्रीकरण मॉडल के आलोक में फिर से विचार जा रहा है।

(iii) ऊर्जा दक्षता निधीयन मंच (ईईएफपी)

ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संस्थाओं और परियोजना विकासकर्ताओं के साथ पारस्परिक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के लिए एनएमईईई के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता निधीयन मंच (ईईएफपी) की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए निधीयन को बढ़ाने हेतु बीईई द्वारा मैसर्स पीटीसी इंडिया लि., मैसर्स सिडबी, एचएसबीसी बैंक, टाटा कैपिटल तथा आईएफसीआई लिमिटेड के साथ पहले से ही समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

वित्तीय संस्थानों के क्षमता निर्माण के लिए, बीईई ने 2015 में भारतीय बैंक एसोसिएशन के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जून, 2015 में शुरू किया गया था। इन कार्यशालाओं को दो चरणों में आयोजित किया गया है। चरण 1 में 4 टीओटी कार्यशालाएं और 2 प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यशालाएं शामिल थीं। चरण 2 में, पूरे भारत में विभिन्न स्थानों (17 राज्य शामिल) में आयोजित ईई वित्त–पोषण पर वित्तीय संस्थांनों के लिए 22 प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 72 बैंकों/ एनबीएफसी बैंकों/एनबीएफसी के कुल 682 प्रतिभागियों ने ईई वित्तपोषण पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्तमान में, इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं का कार्यक्रम 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो गया है।

वर्तमान में, बीईई एसडीए के माध्यम से ईई परियोजनाओं/प्रौद्योगिकियों के वित्तपोषण में तेजी लाने और सुविधा प्रदान करने के लिए भारत के 4 क्षेत्रों में 'ऊर्जा दक्षता के लिए निवेश बाजार' चलाने के लिए कार्य कर रहा है। इसके अलावा, सभी एसडीए को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे संबंधित राज्यों में ईई वित्तपोषण में तेजी लाने के लिए वित्तीय संस्थांनों की समितियों का गठन करें ताकि संस्थानों को राज्य स्तर पर ही वित्तपोषण मुद्दों का समाधान करने में सक्षम बनाया जा सके।

प्रकाशनः

1. भारत में ऊर्जा दक्षता निधीयन की प्रशिक्षण नियमावली
2. भारत में निधीयत ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का सफलता वृतांत
3. ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गारंटी निधि और ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि का बाजार निर्धारण
4. भारत में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश

(iv) ऊर्जा–दक्ष आर्थिक विकास ढांचा (एफईईईडी)

ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास ढांचा (एफईईईडी), ऊर्जा दक्षता निधीयन को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वित्तीय प्रलेख के विकास पर बल देता है। इस सम्बन्ध में दो कार्यक्रम अर्थात् ऊर्जा दक्षता आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफईई) तथा ऊर्जा दक्षता उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफईई) आरम्भ किए गए।

क) ऊर्जा दक्षता आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफईई)

एनएमईईई के अधीन, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के निधीयन में ऋण सम्बन्धी मुद्दों के समाधान के लिए पीआरजीएफईई की स्थापना की है। पीआरजीएफईई ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए भागीदार वित्तीय संस्थाओं (पीएफआई) द्वारा ऋण प्रदान करने में समाहित आंशिक कवरेज सहित एक जोखिम भागीदारी वाली क्रिया–विधि है। यह गारंटी 10 करोड़ रुपए प्रति परियोजना अथवा ऋण राशि का 50%, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। पीआरजीएफईई ने सरकारी भवनों, निजी भवनों (वाणिज्यिक अथवा बहुमंजिला आवासीय भवन), नगरपालिकाओं, लघु व मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान की है। यह गारंटी ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए ईएससीओ को ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को दी गई है।

पीआरजीएफईई के कार्यान्वयन/क्रियाकलापों की स्थितिः

i. पीआरजीएफईई के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय ने पीआरजीएफईई के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के लिए एक पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है।

ii. पीआरजीएफईई के लिए प्रचालन मैनुअल का अनुमोदन पहले ही हो चुका है।

iii. पीआरजीएफईई नियम, मई 2016 में अधिसूचित किए जा चुके हैं।

iv. पीआरजीएफईई के अन्तर्गत अब तक पांच वित्तीय संस्थाओं – आन्ध्रा बैंक, यस बैंक, टाटा क्लीनटैक कैपिटल लि0, आईडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक को पैनल में रखा गया है।

ख) ऊर्जा दक्षता जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफईई)

बीईई द्वारा भारत में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में इक्विटी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफईई) निधि बनाई गई है। ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि एक ऐसी निधि है, जो ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए इक्विटी पूंजी प्रदान करती हैं। यह निधि विशिष्ट ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को अन्तिम सीमा तक इक्विटी सहायता प्रदान करती है, जो विशेष प्रयोजन माध्यम से अपेक्षित कुल इक्विटी के 15% अथवा 2 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, तक सीमित है। यह सहायता केवल सरकारी भवनों, निजी भवनों (वाणिज्यिक अथवा बहुमंजिला आवासीय भवनों) और नगरपालिकाओं के लिए उपलब्ध कराई गई है।

वीसीएफईई के कार्यान्वयन की स्थितिः

i. वीसीएफईई का गठन भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के अधीन किया गया है। न्यास विलेख उप–रजिस्ट्रार, दिल्ली सरकार के न्यायाधिकार में पंजीकृत था।

ii. वीसीएफईई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन किया गया।

iii. 31 मार्च, 2017 को वीसीएफईई नियमावली अधिसूचित की गई।

1.4.2 ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी)

वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) :

सेवा क्षेत्र के सुदृढ़ विकास से भारत के वाणिज्यिक भवन क्षेत्र में 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक तेजी से विस्तार हो रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि भवन स्टॉक जो 2030 में मौजूद होगा, का कम से कम 60% हमारे देश– जो मौलिक रूप

से विकसित देशों से भिन्न है, में अभी आना बाकी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वाणिज्यिक भवन क्षेत्र में विकास की दर उच्चतम है और इस क्षेत्र को अपनी ऊर्जा खपत को घटाने की आवश्यकता है, इसलिए बीईई ने 2007 मे वाणिज्यिक भवन निर्माण कोड (ईसीबीसी) लागू किया है ताकि पर्यावरण पर भवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। ईसीबीसी विभिन्न भवन संघटकों के लिए ऊर्जा निश्पादन के मानदण्ड निधारित करता है और जलवायु क्षेत्र को ध्यान में रखता है। इन मानदण्डों के उपयोग से निवासियों के कार्यों, आराम, स्वास्थ्य या उत्पादकता को प्रभावी किए बिना भवन ऊर्जा अपेक्षाओं में कमी आती है।

बीईई ने 2017 में ईसीबीसी 2017 कोड का अद्यतन वर्ज़न लागू किया है। नया विकसित कोड भविष्यगामी, व्यावहारिक और कार्यान्वयन करने के लिए आसान है। नए वर्ज़न में अनुपालन के तीन स्तरः ईसीबीसी, ईसीबीसी+, और सुपर ईसीबीसी हैं। इन परिवर्धनों को सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों को न केवल मूल ईसीबीसी मानदण्डों को पूरा करने अपितु उनको पार कर जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। यद्यपि इस कोड का केन्द्रीय स्तर पर विकास किया गया है, किन्तु इसका प्रवर्तन राज्य सरकार के पास निहित है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार राज्य सरकार को अपनी क्षेत्रीय और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कोड को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की गई है। ईसीबीसी की दीर्घकालिक सफलता व्यापक रूप से विभिन्न पणधारियों द्वारा भवन कोड का विकास करने, अपनाने और कार्यान्वयन करने की सामूहिक भूमिका पर निर्भर करेगी। तकनीकी और डिजाइन पहलुओं, बाजार अवरोधों, नीति और प्रवर्तन मुद्दों के अनुसार ईसीबीसी के कार्यान्वयन की बाधाएं और चुनौतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं।

देश भर में इसके एक समान कार्यान्वयन के लिए मानकीकृत प्रवर्तन मॉडल का विकास करने पर बल दिया गया है। 2018–19 के दौरान किए गए क्रियाकलापों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- **ईसीबीसी के प्रवर्तन के लिए नियामक ढांचा:**
  - o बीईई ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी कार्यान्वयन और ईसीबीसी को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 24 ईसीबीसी सेल स्थापित किए हैं। इन सेलों में लगभग 80 व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं।
  - o ऊर्जा लेखा परीक्षक भवन परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री तैयार की जा रही है।
  - o उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ईसीबीसी अधिसूचित की गई है।

- **भवन परियोजनाओं में ईसीबीसी अनुपालन के लिए प्रायोगिक प्रदर्शन:**
  - o ईसीबीसी प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता मुहैया कराई गई है। देश भर में ईसीबीसी अनुपालन को दर्शाने के लिए विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में भवनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए लगभग 102 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई।

- **ईसीबीसी पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:**
  - o पूरे देश में ईसीबीसी पर लगभग दो सौ (200) कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्र के 6,250 पेशेवरों ने भाग लिया।

मौजूदा वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता

ऊर्जा दक्ष भवनों के लिए बाजार पूल को बढ़ावा देने हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भवनों के लिए एक स्वैच्छिक स्टार रेटिंग कार्यक्रम तैयार किया है, जो भवनों के किलोवाट घंटा/वर्गमीटर/वर्ष में अभिव्यक्त क्षेत्रफल पर भवन में प्रयुक्त ऊर्जा के रूप में भवन के वास्तविक निष्पादन पर आधारित है। यह कार्यक्रम 1–5 स्टार पैमाने पर भवनों की रेटिंग करता है, भवन के सर्वाधिक ऊर्जा दक्ष

होने पर 5 स्टार लेबल दिया जाता है। दिन में कार्य करने वाले कार्यालय भवनों, बीपीओ, अस्पतालों और शॉपिंग मॉलों के लिए स्टार लेबल तैयार किए गए हैं।

बीईई और सीपीडब्ल्यूडी के बीच 10 जनवरी, 2019 को 'सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रबंधित भवनों में ऊर्जा दक्षता' के लिए एक समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

मार्च, 2019 तक कुल 225 भवनों को व्यावसायिक भवनों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत स्टार रेटिंग प्रदान की गई है।

आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता

आवासीय भवन के स्टॉक में तीव्र वृद्धि के साथ–साथ स्पेस कंडीशनिंग के लिए बिजली के उपयोग में वृद्धि के परिणामस्वरूप, आवासीय भवनों में बिजली के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। नीति आयोग द्वारा लगाए गए अनुमान से संकेत मिलता है कि आवासीय क्षेत्र के लिए बिजली की खपत 2047 तक 6–13 गुना बढ़ने की उम्मीद है। शहरी मध्यम आय वाले अपार्टमेंट के नमूने से लिए गए डेटा से पता चलता है कि थर्मल कंफर्ट प्रदान करने के लिए वर्ष में 30–60% तक बिजली की खपत होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू थर्मल कंफर्ट है, जो सभी प्रकार के आवासों में अत्यधिक महत्व रखता है, लेकिन किफायती आवास के मामले में यह और अधिक महत्वपूर्ण होता है, ताकि उनमें रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित हो सके। बीईई ने आवासीय भवन ऊर्जा संरक्षण संहिता के विकास के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण की परिकल्पना की है। घरों को ऊर्जा दक्ष बनाना निश्चित रूप से आवासीय भवनों में लंबे समय तक बिजली की खपत से बचने का एक तरीका है।

इको–निवास संहिता 2018 (भाग–I)

इस प्रकार, इको निवास संहिता, भाग–I भवन एन्वेल्प (आवासीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड) विकसित किया गया और इसका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर 14 दिसंबर, 2018 को माननीय लोकसभा अध्यक्ष और माननीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसे न्यूनतम भवन एन्वेल्प निष्पादन मानकों का निर्धारण करने के लिए विकसित किया गया है ताकि गर्मी बढ़ने (ठंडे जलवायु क्षेत्रों के लिए) और गर्मी की हानि (जलवायु को गर्म करने के लिए) को सीमित किया जा सके और साथ ही पर्याप्त प्राकृतिक वायु–संचार और दिन की रोशनी सुनिश्चित की जा सके। यह कोड भूखंड क्षेत्र ≥ 500 एम2 वाले सभी आवासीय उपयोग भवन परियोजनाओं पर लागू होता है। इस कोड को शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा भवन निर्माण में अपनाने के लिए विशेष रूप से विचार करते हुए विकसित किया गया है। पिछले वर्ष, सरकार ने इको निवास सहिंता 2018 जो आवासीय क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए आवासीय भवनों के लिए ईसीबीसी है, लागू की। इस कोड का उद्देश्य आवास और टाउनशिप सहित घरों के डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देना है ताकि रहने वालों को ऊर्जा दक्षता का लाभ दिया जा सके।

बाद के वर्षों में, भाग–।। में इको–निवास संहिता में नए घटकों को जोड़ा जाएगा, जो अन्य पहलुओं जैसे भवन प्रचालन के लिए इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरण में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, वालिंग सामग्री और ढांचागत प्रणालियों में निहित ऊर्जा का समाधान करेंगे।

लिंकः https://www-beepindia-org

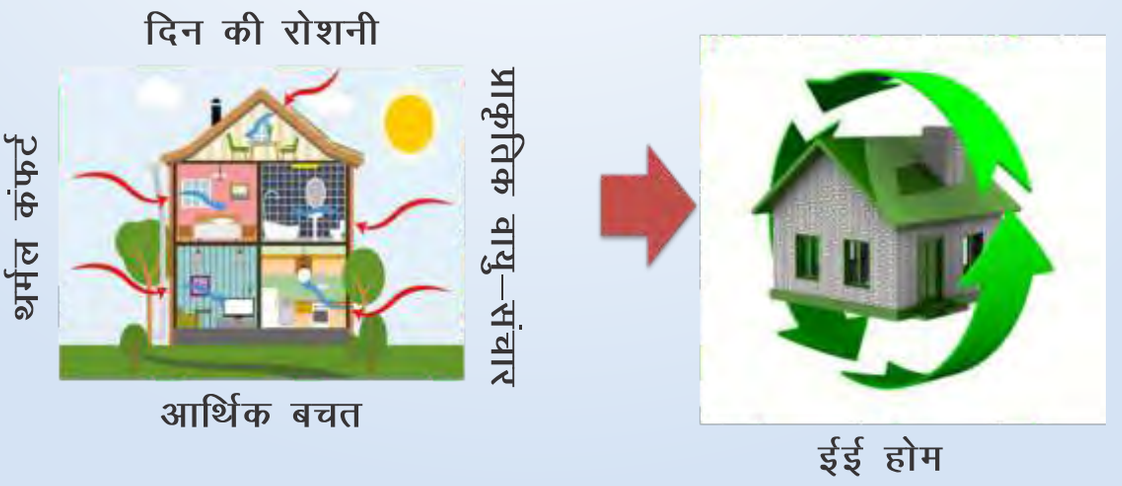

आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता लेबल

राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा 'आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता लेबल' का 26 फरवरी, 2019 को

गुरुग्राम, हरियाणा में शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य घरेलू ऊर्जा प्रदर्शन के लिए एक पारदर्शी उपकरण बनाना है, जो भविष्य में घर की कीमतों को तय करते हुए धीरे–धीरे एक प्रभावी मॉडल का निर्माण करेगा। लेबलिंग कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य में घर की कीमतों को निर्धारित करते हुए घरेलू ऊर्जा प्रदर्शन को तुलनात्मक बनाना है। इसका उद्देश्य आवास क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के लिए उपभोक्ता–आधारित बाजार परिवर्तन समाधान उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा दक्षता मानकों के आधार पर एक घर की दूसरे घर के साथ तुलना करने के लिए एक बेंचमार्क प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम सभी को 24*7 बिजली प्रदान करने के साथ ऊर्जा अधिशेष भारत का सपना साकार करने की दिशा में एक और कदम है। प्रस्तावित लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में सभी प्रकार के आवासीय भवन शामिल होंगे। सभी परिकल्पित उद्देश्यों को प्रस्तावित लेबलिंग तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, इसे किसी भी रियल एस्टेट लेन–देन/पट्टे में आवश्यक सूचना के रूप में बनाया जा सकता है। लिंक: http: //www-econiwas-com/

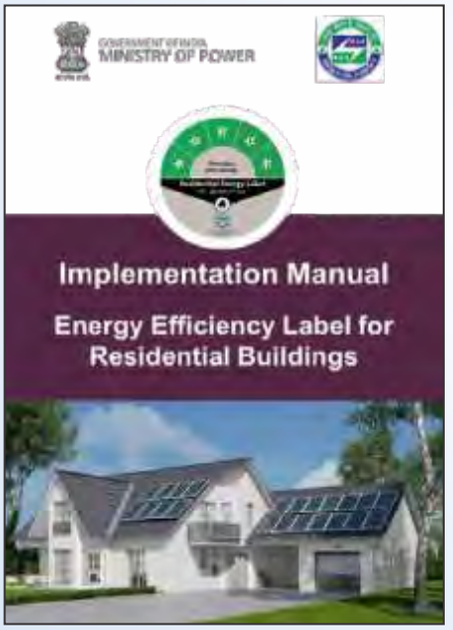

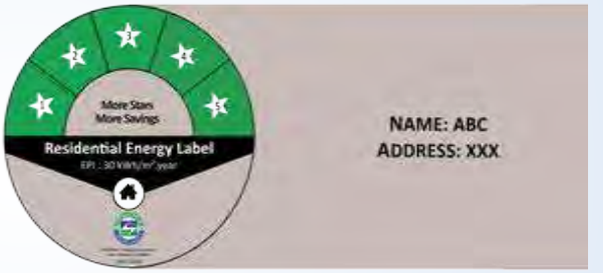

पीएटी भवन

भारत में भवनों की सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाले क्षेत्र में से एक के रूप में पहचान की गई है। भवन क्षेत्र से ऊर्जा की भारी बचत होती है। ईसीबीसी केवल नए भवनों तक सीमित है और इसे केवल डिजाइन और निर्माण चरण में लागू किया जा सकता है। तथापि, मौजूदा भवन बहुत अधिक ऊर्जा बचा सकते हैं।

ऊर्जा का संरक्षण करने और मौजूदा भवनों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, वाणिज्यिक भवन क्षेत्र को पीएटी चक्र IV में लागू किया गया था। शुरुआत में, वाणिज्यिक भवन व्यवस्था के अंतर्गत 37 होटलों को नामित उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित किया गया था। पीएटी IV में, 1000 से अधिक टीओई (तेल समतुल्य टन) की ऊर्जा खपत वाले होटलों को एक नामित उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित किया गया था जबकि पीएटी चक्र V में और आगामी पीएटी चक्र में खपत सीमा को संशोधित करके 500 टीओई (तेल समतुल्य टन) किया गया था ताकि होटल या वाणिज्यिक भवन को नामित उपभोक्ता के रूप में पात्र बनाया जा सके। पीएटी चक्र V में, 31 होटलों को पीएटी चक्र IV में पहले अधिसूचित 37 नामित उपभोक्ता के अलावा जोड़ा गया था। इस प्रकार, नामित उपभोक्ता की कुल संख्या अब 68 हो गई है। इन नए जोड़े गए नामित उपभोक्ता से 2022 तक 1360 टीओई ऊर्जा की बचत होने की संभावना है।

इसके बाद, हवाई अड्डा भवन को पीएटी चक्र VI में शामिल किया जा रहा है। एक तकनीकी समिति गठित की जा रही है जो इस

मामले को देखेगी और बेसलाइन डेटा संग्रह, हवाई अड्डों की ऊर्जा लेखा–परीक्षा और पीएटी चक्र के लक्ष्य की प्रक्रिया को अंतिम रूप देगी।

इसके अलावा, भवनों के अन्य प्रकारों को अगले पीएटी चक्रों में शामिल किए जाने की योजना है। अस्पताल, संस्थान और कार्यालय भवनों को भविष्य में वाणिज्यिक भवन क्षेत्र में शामिल किए जा सकता है।

1.4.3 परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता मानक

पैट्रोलियम उत्पादों की सबसे अधिक खपत करने वाले परिवहन क्षेत्र का अनुवर्तन पैट्रोल को बचाने के लिए किया जाना आवश्यक है। वाहनों की बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इससे पैट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ रही है। 2016–17 की मांग की तुलना में 2020–21 की वार्शिक मांग में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो जाने की आशा है। इससे न केवल प्रदूषण बढ़ेगा बल्कि पैट्रोलियम आयात में वृद्धि होगी जिससे सरकार पर अधिक वित्तीय बोझ पड़ेगा। अतः वाहनों की दक्षता को बढ़ाते हुए पैट्रोलियम की खपत में कमी करना अनिवार्य है। ब्यूरो ने भारत में वाहनों के लिए दक्षता मानदण्डों को पारिभाषित करने की आवश्यकता अनुभव की है।

जीवीडब्ल्यू>12 टन वाले एचडीवी के लिए पहले से अधिसूचित ईंधन की खपत के लक्ष्य के क्रम में, बीईई ने हल्के और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए लक्षित ईंधन की खपत के लिए मानक विकसित किए हैं जिनकी जीवीडब्ल्यू 3.5 टन और 12 टन के बीच है। एचडीवी के मामले में परीक्षण विधि अर्थात् सतत गति ईंधन की खपत विधि समान है, जिसमें से लीटर/100 कि.मी. में वास्तविक ईंधन की खपत प्राप्त की जाएगी। उन वाहनों के मॉडल जिनकी खपत लक्ष्य ईंधन खपत मूल्य से अधिक होगी, का विनिर्माण बंद करना होगा।

परिवहन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पहल वाहनों की ईंधन दक्षता का आकलन करने के लिए कंप्यूटर–आधारित एक सिमुलेशन उपकरण (यूरोप में वैक्टो के समान) विकसित करना है जो वाहनों के परीक्षण की लागत और समय को कम करने में मदद कर सकता है। बीईई ने भारत में ऐसे उपकरण के विकास के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। यूरोपीय संघ में इस्तेमाल किया जा रहा यह उपकरण वेक्टो हो सकता है जिसमें भारतीय विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है या इसे भारतीय परीक्षण एजेंसियों द्वारा पूरी तरह से विकसित किया जा सकता है।

ईंधन दक्षता मानदंड के विकास में मुख्य रूप से कृषि ट्रैक्टरों की स्टार रेटिंग भी शुरू की गई है। इससे किसानों को बाजार में ट्रैक्टर के उपलब्ध मॉडलों में से ऊर्जा दक्ष ट्रैक्टर चुनने में मदद मिलेगी, जो न केवल उनके बजट के अनुकूल होगा बल्कि उनकी आय बढ़ाने में भी मदद करेगा।

1.4.4 मानक और लेबलिंग स्कीम

मानक और लेबलिंग स्कीम (एसएण्डएल) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की गई अद्वितीय स्कीमों में से एक है । इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत के विकल्प से अवगत कराना है, जिससे ऊर्जा खपत वाले विभिन्न उपकरणों की संभावित लागत मे बचत होती है। मानक और लेबलिंग स्कीम में 23 उपकरण स्टार लेबलिंग में भाामिल हैं, जिसमें 10 उपकरणों को अनिवार्य बनाया है और शेष 13 उपकरण स्वैच्छिक स्कीम के अंतर्गत आते हैं।

मानक और लेबलिंग स्कीम के मुख्य लाभः

(i) सुव्यवस्थित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राहकों को उपकरण खरीदते समय सही निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

(ii) अदक्ष ऊर्जा उपकरणों के बदले ऊर्जा दक्ष उपकरणों के लिए बाजार रूपांतरण का सृजन।

मानक और लेबलिंग ने निरन्तर प्रयास करते हुए वित्तीय वर्श 2018–19 के दौरान निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं:

(i) चिलर और माइक्रोवेव ओवन के लिए स्वैच्छिक ऊर्जा निष्पादन मानकों का परिचय। निष्पादन मानकों में संशोधन के बाद वॉशिंग मशीन के लिए एसएंडएल कार्यक्रम का पुनः शुरू किया जाएगा।

(ii) भंडारण जल हीटरों और रेफ्रिजरेटरों के निष्पादन मानकों का उन्नयन करना।

(iii) स्टार रेटेड उपकरणों की जांच के लिए 14 एनएबीएल मान्यता–प्राप्त प्रयोगशालाओं की पैनलबद्धता।

(iv) आईएएमई (निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र एजेंसी) के रूप में एनएबीसीबी मान्यता–प्राप्त एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) के साथ समझौता–ज्ञापन।

(v) प्रयोगशालाओं के क्षमता निर्माण के अंतर्गत, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) को एलईडी और एलईडी लाइटिंग सिस्टम के लिए परीक्षण और अंशांकन सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्रमशः 6.125 करोड़ रुपए और 16.10 करोड़ रुपए का वित्त–पोषण दिया गया है।

बीईई ने मीडिया (डिजिटल, प्रिंट और टेलीविजन) के माध्यम से उपभोक्ताओं को मानकों और लेबलिंग कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने में व्यापक कार्य किया है। जागरूकता संबंधी गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैः

(i) बीईई स्टार रेटेड उपकरणों की खरीद के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु टीवी विज्ञापन।

(ii) बीईई के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ऊर्जा कुशल उपकरणों के उचित उपयोग के बारे में जागरूकता संबंधी जानकारी।

(iii) खुदरा विक्रेताओं में ज्ञान का प्रसार करने के लिए खुदरा विक्रेता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि वे ग्राहकों को खरीद के दौरान ऊर्जा दक्ष उपकरणों का चयन करने के बारे में समझाने और उन्हें संतुष्ट करने में सक्षम हो सकें। आरटीपी के चरण 2 के दौरान 34 शहरों में 2200 खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया गया।

1.4.5 नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम) कार्यक्रम

नगरपालिका क्षेत्र में अपार ऊर्जा बचत क्षमता की पहचान करते हुए, बीईई ने 11वीं योजना के दौरान नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम) की शुरुआत की। परियोजना का मूल उद्देश्य यूएलबी की समग्र ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है, जिससे बिजली की खपत में काफी बचत हो सकती है, और यूएलबी के लिए लागत में कमी/बचत हो सकती है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने देश में 175 नगरपालिकाओं को कवर करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें ऊर्जा लेखा–परीक्षा और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और ईएससीओ मोड के माध्यम से कार्यान्वयन किया गया। एमयूडीएसएम कार्यक्रम के अंतर्गत, 15 यूएलबी में डेमो परियोजना लागू की गई जिसे प्रायोगिक आधार पर लागू किया गया था।

1.4.6 कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम) कार्यक्रम

यह कार्यक्रम बिजली की खपत में कमी, भूजल निकासी की क्षमता में सुधार, राज्य उपयोगिताओं पर सब्सिडी के बोझ को कम करने और क्षमता को बचाते हुए बिजली संयंत्रों में निवेश द्वारा कृषि मांग पक्ष प्रबंधन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता सुनश्चित करता है। बीईई द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि पंप सेटों की वर्तमान दक्षता स्तर 20–25% तक है और स्थापित किए जाने वाले मौजूदा पंप सेटों और नए पंप सेटों का दक्षता सुधार 40–50% तक पहुंच सकता है।

12वीं योजना के दौरान कार्यक्रम की गतिविधियों को लागू करते हुए, बीईई ने नीति, वित्तपोषण, संस्थागत सुदृढ़ता और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ चुनौतियों की पहचान की। इन बाधाओं का समाधान करने के उद्देश्य से, बीईई ने वर्ष 2017 से 2020 तक की अवधि के लिए अपनी गतिविधियों की योजना की रूपरेखा बनाई है। भारत में कृषि बिजली की आपूर्ति निम्नलिखित के द्वारा की जाती हैः

- सेवा की उच्च लागत और कम या कोई राजस्व नहीं होने के कारण कम विश्वसनीयता।
- ऊर्जा दक्षता प्रथाओं के लिए किसानों में जागरूकता की कमी।
- कम शुल्क पर या निशुल्क बिजली प्रदान न करने के कारण किसानों द्वारा अकुशल पंप सेट का उपयोग करना।
- अस्थिर विकास दर, कम कीमतों के कारण राज्यों पर अत्यधिक सब्सिडी का बोझ पड़ना।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में 2.1 करोड़ से अधिक पंप सेट स्थापित हैं, जिनमें से अधिकांश पंप सेट अक्षम हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 2.5 से 5 लाख नए पंप सेट कनेक्शन जोडे गए हैं।

एसडीए के माध्यम से नए कनेक्शनों के लिए बीईई स्टार लेबल पंप सेट का उपयोग करने की दिशा में संशोधित रूपरेखाः

बीईई ने राज्य विनियामक आयोगों को शामिल करके कृषि में ईई पंपों के उपयोग को अनिवार्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। बीईई नए कनेक्शनों के लिए ईई पंपों को अनिवार्य करने के लिए डिस्कोम, एसईआरसी, एसडीए और निर्माताओं के लिए शेयरधारक परामर्श बैठकों और क्षमता निर्माण सत्रों का आयोजन कर रहा है।

किसानों को ईई पंपों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम चलानाः

देश की नोडल एजेंसी होने के नाते बीईई किसानों के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि उनके द्वारा ईई पंपों को अपनाया जा सके। बीईई विभिन्न प्रकार के विस्तार चैनलों की खोज कर रहा है जैसे स्थानीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टेलीविजन और स्थानीय रेडियो चौनल सहित), ग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्रामीण सभा या अन्य पंचायत द्वारा शुरू किए गए अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम, आदि।

पंप तकनीशियनों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करनाः

एजीडीएसएम कार्यक्रम के अंतर्गत, बीईई पंप तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिनकी पुराने अदक्ष पंपों को बीईई स्टार रेटेड पंप सेट के साथ बदलने में अहम भूमिका है। बीईई प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन के बाद इन तकनीशियनों को एक प्रमाण–पत्र भी जारी कर रहा है।

आईसीएआर के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षरः

किसानों के लिए ऊर्जा दक्ष (ईई) कृषि पंप सेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के बीच एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे किसानों के बीच ऊर्जा दक्षता पंप सेटों और इसकी प्रचालन प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए जागरूकता पैदा होगी, ताकि खेती की लागत को कम करने और 'प्रति बूंद अधिक फसल' और ''किसान की आय दोगुनी करना'' कार्यनीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऊर्जा और संसाधन कुशल दृष्टिकोण अपनाए जा सकें।

एजीडीएसएम के अंतर्गत किए गए कार्यकलापों के उदाहरणः

(क) एपीएसईसीएम (आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन):

एपीएसईसीएम ने कृषि क्षेत्र में "ऊर्जा और जल संरक्षण" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 1256 किसानों और कृषि महिलाओं, 110 छात्रों और 241 अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिनमें 13 केवीके / जिले में संसाधन प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ख) एसडीए नागालैंड, कोहिमाः

कोहिमा और दीमापुर में एजीडीएसएम के अंतर्गत ऊर्जा दक्ष कृषि प्रक्रिया पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(ग) एसडीए छत्तीसगढ़:

कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के सहयोग से क्रेडा द्वारा किए गए एजीडीएसएम कार्यक्रम, दुर्ग और कृषि विज्ञान केंद्र, रायपुर

ने केवीके, पहाड़ा, दुर्ग और केवीके, रायपुर में 'कृषि क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण और जल संरक्षण' पर किसानों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया है।

(घ) एसडीए सिक्किमः

एसडीए सिक्किम ने उत्तर और पूर्व जिलों के किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, रानीपूल, पूर्वी सिक्किम में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है।

(ड.) ऊर्जा और विद्युत विभाग, सिक्किम सरकार जो एक राज्य नामित एजेंसी है, ने कृषि विज्ञान केंद्र, नामथांग दक्षिण सिक्किम में किसानों को कृषि माँग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम) पर एक दिवसीय जागरूकता–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है।

(च) गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (जीईडीए):

जीईडीए ने नर्मदा जिले और दाहोद जिले के किसानों के लिए 100 प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित कीं जिनमें ऊर्जा संरक्षण के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करना और उन्हें ऊर्जा दक्ष पंपसेट के बारे में जागरूक करना शामिल था।

1.4.7 लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई)

क्षेत्र का परिचय

जलवायु परिवर्तन से, विनिर्माण क्षेत्र के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना अत्यावश्यक है, जो दुनिया के संसाधनों की खपत का एक बड़ा हिस्सा है। एमएसएमई क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान है, जो औद्योगिक उत्पादन में 45% से अधिक का योगदान देता है और देश के निर्यात में 40% मूल्य वर्धन करता है।

एमएसएमई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण विकास चालक है, ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले उद्योगों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि उनकी व्यक्तिगत ऊर्जा खपत कम है, लेकिन उनका सामूहिक उपयोग काफी अधिक है। नवीनतम तकनीकों का उपलब्ध न होना इस क्षेत्र को वैश्विक बाजार में ऊर्जा सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा के प्रति अस्थिर बनाता है। खराब ऊर्जा और पर्यावरण निष्पादन का सीधा संबंध इन उद्यमों में तकनीकी क्षमता की कमी से है, जिन्हें बेहतर प्रौद्योगिकियों और परिचालन प्रथाओं की पहचान, उपयोग, अनुकूलन और अपनाकर दूर किया जा सकता है।

क. एमएसएमई की ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

वर्ष 2007 में, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में एमएसएमई के महत्व को पहचानने के लिए, ऊर्जा दक्षता और एमएसएमई के प्रौद्योगिकी उन्नयन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए एमएसएमई के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए ब्यूरो ने 12वीं योजना में 4 एसएमई क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के साथ 21 प्रायोगिक ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को लागू किया है। क्षेत्रों में इन प्रौद्योगिकियों की सहायता के लिए, समूह स्तर की संस्थाओं (अर्थात् स्थानीय सेवा प्रदाताओं, औद्योगिक संघों आदि) में इन प्रौद्योगिकियों को लागू करने को भी सुदृढ़ किया गया है। इस प्रकार प्राप्त अनुभव का पूरे देश में प्रभावी ढंग से प्रचार करने के लिए, केस स्टडीज, ऑडियो विजुअल जैसे ज्ञान प्रबंधन उत्पादों को भी विकसित किया गया है। वित्त वर्ष 2018–2019 के दौरान इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं।

- पाली (वस्त्र) समूह में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- बीस (20) राज्यों में चालीस (40) से अधिक ज्ञान प्रसार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। एसएमई क्षेत्र से दो–हजार (2000) से अधिक प्रतिभागियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया।
- 'एमएसएमई की ऊर्जा सुरक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' नामक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए डीसी का कार्यालय, एमएसएमई और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बीच समझौता–ज्ञापन (एमओयू) के प्रारूप को संयुक्त रूप से सहमति दी गई।

- एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक सौ सत्रह (117) ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को प्रमुख मापदंडों के साथ सूचीबद्ध किया गया जिनमें निवेश, पेबैक, बचत क्षमता, प्रतिकृति क्षमता आदि शामिल हैं।
- पचास (50) ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों पर मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल विकसित करने के लिए चुना गया था। दस (10) ऐसे ट्यूटोरियल विकसित करके उनकी समीक्षा की गई।
- लघु और मध्यम उद्यम तथा ज्ञान साझा मंच (समीक्षा) की क्षेत्रीय बैठकें क्रमशः कोलकाता और कोयम्बटूर में बुलाई गई थीं।

गंगटोक, सिक्किम में आयोजित क्षमता निर्माण कार्यशाला

ख. एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) समर्थित कार्यक्रम

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारत में ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले कई समूहों में ईई प्रौद्योगिकियों और अन्य सहायक गतिविधियों को यूनिडो और विश्व बैंक के माध्यम से और वैश्विक पर्यावरण सुविधा की सहायता से लागू कर रहा है, ताकि स्वच्छ, ऊर्जा दक्ष कुशल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को बढ़ावा देकर और उन्हें अपनाकर भारत में एसएमई क्षेत्र का विकास करने के सामान्य लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ जा सके।

• जीईएफ – यूनिडो – बीईई कार्यक्रम (2011–2020) 'भारत में चयनित एमएसएमई समूहों में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना'

कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को शुरू करने और प्रोसेस एप्लीकेशनों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाने के लिए बाजार में माहौल बनाना और उसे बढ़ावा देना है। वर्तमान में यह कार्यक्रम भारत में 12 एमएसएमई समूहों के पाँच क्षेत्रों क्रमशः पीतल (जामनगर); मिट्टी के बर्तन (खुर्जा, थंगध और मोरबी); डेयरी (गुजरात, सिक्किम और केरल); फाउंड्री (बेलगाम, कोयम्बटूर और इंदौर); और हाथ के औजार (जालंधर और नागौर) में चलाया जा रहा है और अपनी परियोजना का 12 और समूहों (जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब), फाउंड्री (अहमदाबाद और हावड़ा), सिरेमिक (विररूद्धाचलम और हिम्मतनगर) में अपनी परियोजना गतिविधियों का विस्तार करने की योजना बना रहा है। मिश्रित समूह (इंदौर, सिक्किम, उज्जैन और पीथमपुर) राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना की गतिविधियों को बढ़ाने के एक भाग के रूप में शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2018–2019 के दौरान इस कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, चेन्नई में 3–दिवसीय आवासीय क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यशालाओं के द्वार 187 इकाइयों के मालिकों, संयंत्र प्रबंधकों, ऊर्जा–लेखा परीक्षा और सर्वश्रेष्ठ संचालन प्रथाओं पर शॉप–फ्लोर कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।
- 800 स्थानीय सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया गया (सभी 12 समूहों में फैब्रिकेटर, रखरखाव ऑपरेटर, तकनीशियन, प्रौद्योगिकी प्रदाता और स्थानीय परामर्शदाता)।
- समूह में विभिन्न संभावित ईई प्रौद्योगिकियों पर 120 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार की गई हैं और इकाइयों ने पहले ही 50 से अधिक डीपीआरएस को लागू कर दिया है और कई कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- अगस्त, 2018 में केरल (डेयरी) समूह में परियोजना शुरू करने की कार्यशाला का आयोजन किया गया और केरल दुग्ध समूह में ईएमसी (ऊर्जा प्रबंधन केंद्र) का उद्घाटन किया गया।
- जानकारी का प्रसार करने के लिए समूह–विशिष्ट तकनीकी कैलेंडर 2019 विकसित किया गया।
- गुजरात, केरल और सिक्किम डेयरी समूहों से 25 वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन के लिए न्यूजीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया।
- मोरबी (सिरेमिक) और केरल (डेयरी) समूहों के लिए समूह विशिष्ट ऊर्जा बेंचमार्किंग रिपोर्ट विकसित की गई।
- बेलगाम (फाउंड्री) समूह से 17 प्रतिभागियों के लिए राजकोट (फाउंड्री) समूह में अंतर–समूह अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया।
- 800 केडब्ल्यू पी की संचयी क्षमता के साथ थांगध में 18 चीनी मिट्टी के संयंत्रों में सौर फोटोवोल्टिक रूफ–टॉप प्रणालियों की स्थापना की गई। समूह में कुल रूफ–टॉप पीवी स्थापना लगभग 1 एमडब्ल्यू पी तक पहुंच गया है।
- 87,87,87,490 /– रुपए की अनुदान सहायता से 7 समूहों में 17 डेमो परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया।
- मोरबी (सिरेमिक) और केरल (डेयरी) समूहों में 28 इकाइयों में विस्तृत ऊर्जा लेखा–परीक्षा आयोजित की गई।
- पंजाब के 5 क्षेत्रों में विभिन्न ज्ञान उत्पादों, केस–स्टडी, डीपीआर विकसित किया गया।
- मोरबी और केरल समूहों में 2 नए ऊर्जा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
- "इंडक्शन फर्नेस और फाउंड्रियों के लिए कुपोला फर्नेस में बीओपी और ईई' पर चर्चा करने के लिए कोयंबटूर समूह में एक नई पहल के रूप में 'ऊर्जा क्लीनिक' का आयोजन किया गया।
- समूहों में उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता पर विभिन्न कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

मार्च 2019 तक परियोजना की उपलब्धि

- **लगभग 2,250** प्रतिभागियों ने कार्यशालाओं में भाग लिया
- **220** केस स्टडीज तैयार की गईं
- **78** कार्यशालाओं का आयोजन किया गया
- **280** एमएसएमई इकाइयों को लाभ मिला
- **212** डीपीआर विकसित की गईं
- **22** प्रायोगिक परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया
- **478** ईई और आरई उपायों को लागू किया
- **7,894** टीओई वार्षिक ऊर्जा बचत हुई
- **6.62** मिलियन यूएस + की मौद्रिक बचत हुई
- **7.19** मिलियन यूएस + का सह–वित्त–पोषण हुआ
- **49,896** टन वार्षिक कार्बन उत्सर्जन से बचा गया

परियोजना पर एक नज़र

केरल (डेयरी) समूह में ईएमसी का उद्घाटन

एनपीसी–एआईपी चेन्नई में यूनिडो के पदाधिकारी का दौरा

ऊर्जा दक्षता संपीड़ित वायु प्रणाली पर प्रायोगिक प्रदर्शन परियोजना का उद्घाटन

लैडल प्रिहीटिंग प्रोसेस के लिए बॉयोमास गैसीफायर की स्थापना

न्यूजीलैंड डेयरी क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरा

राजकोट (फाउंड्री) समूह का आंतरिक समूह दौरा

जीईएफ–विश्व बैंक–बीईई परियोजना – ''एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता का वित्त–पोषण''

यह परियोजना भारत में ऊर्जा दक्षता के लिए वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा (जीईएफ) अवसंरचना का एक हिस्सा थी जिसका उद्देश्य लक्षित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम समूहों में ऊर्जा दक्षता निवेश की मांग को बढ़ाना तथा वाणिज्यिक वित्त–पोषण प्राप्त करने की उनकी क्षमता को बढ़ाना था। परियोजना को तीन चरणों में भारत में 30 से अधिक समूहों में लागू किया गया है। विभिन्न एमएसएमई क्षेत्रों (फोर्जिंग, रसायन, लाइमकिलन, फाउंड्री और मिश्रित समूहों) में पूरे भारत में 30 से अधिक समूहों में परियोजना लागू की गई है।

1. एमएसएमई में ईई के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता के लिए गतिविधियां,

2. एमएसएमई में ईई में निवेश बढ़ाने के लिए गतिविधियां,

3. कार्यक्रम ज्ञान प्रबंधन का विकास करना,

इस कार्यक्रम से समूहों की अधिकांश इकाइयों को लाभ मिला है, अधिकांश इकाइयों ने ऊर्जा की बचत और अपने सुविधा केंद्रों में सीओ2 उत्सर्जन में पर्याप्त कमी की है, जो एमएसएमई के लिए आसान है और एमएसएमई में ईई सुधार परियोजनाओं के लिए एक समर्पित वित्तपोषण तंत्र उपलब्धि है। इस कार्यक्रम ने इकाई संचालकों, संघों, स्थानीय सेवा प्रदाताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण और जागरूकता कार्यक्रमों के साथ अपने समूहों में उपयोगी पाया है तथा समूहों में संघों और इकाइयों के बीच संपर्क को सुदृढ़ किया है।

उपलब्धियां और परियोजना संकेतक

- 50 एमएसएमई इकाइयों में एमएसएमई में ईएनएमएस (आईएसओ 50001) का डिजाइन और कार्यान्वयन किया गया है। कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान, 350 से अधिक ऊर्जा बचत उपायों की पहचान की गई है, जिनमें सालाना लगभग 900 लाख रुपए की मौद्रिक बचत प्रदान करने की क्षमता है। लगभग 350 पेशेवर प्रशिक्षित किए गए और 100 को आईएसओ 50001 आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया।
- 133 से अधिक शॉप फ्लोर कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ परिचालन प्रथाओं और ऊर्जा दक्षता उपायों के लिए प्रशिक्षित किया गया।
- 2500 से अधिक पेशेवरों प्रतिभागियों को देखते हुए, कई समूह स्थलों पर अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) और ऊर्जा दक्षता मानक फोर्जिंग और सिरेमिक क्षेत्रों के लिए विकसित किए गए थे।
- चौदह (14) प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित किए गए और पांच (5) मिश्रित समूह ज्ञान साझा कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान का आदान–प्रदान किया गया। 600 से अधिक प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों का लाभ उठाया।

- चंडीगढ़, राजकोट और लुधियाना में तीन (3) व्यापार से व्यापार (बी2बी) मंचों का आयोजन किया गया। पूरे भारत से एमएसएमई के लिए ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाताओं के 100 से अधिक स्टॉल प्रदर्शित किए गए। इस प्रदर्शनियों ने एमएसएमई के 500 से अधिक प्रतिनिधियों को आकर्षित किया।
- ज्ञान प्रबंधन पोर्टल को सफलता की कहानियों, केपीआई, सर्वश्रेष्ठ परिचालन प्रथाओं और ईई केस स्टडी एवं प्रौद्योगिकी वीडियो, समाचार पत्रों, पोस्टरों आदि के भंडार को प्रदर्शित करने के लिए विकसित किया गया है।

1.4.8 डिस्कॉम कार्यक्रम का क्षमता निर्माण

पृष्ठभूमि

डिस्कॉम के लिए अपने क्षेत्रों में डीएसएम को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण और अन्य सहायता आवश्यक है। इस संदर्भ में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने डिस्कोम के क्षमता निर्माण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। यह डिस्कोम के क्षमता निर्माण और उनके संबंधित राज्यों में डीएसएम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तंत्रों का विकास करने में मदद करेगा।

वित्तीय वर्ष 2012–17 के दौरान, बीईई ने अपनी क्षमता निर्माण और डीएसएम से संबंधित गतिविधियों को लागू करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु 34 डिस्कोम का चयन किया था। दूसरे चरण के दौरान, शेष 28 डिस्कोम को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

कार्यक्रम का उद्देश्य भार प्रबंधन कार्यक्रम, डीएसएम कार्य योजना का विकास और अपने क्षेत्रों में डीएसएम गतिविधियों को लागू करना है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गई हैं।

प्रथम चरण

- इस कार्यक्रम के अंतर्गत 34 डिस्कॉम लाभार्थियों को डिस्कॉम के रूप में प्रतिभागिता करने के लिए चुना गया।
- बीईई और चुनिंदा 34 डिस्कॉम के बीच एक समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें डिस्कॉम के लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है।
- 34 डिस्कॉम द्वारा डीएसएम कक्ष स्थापित किए गए हैं।
- 23 राज्यों में 34 डिस्कॉम के लिए डीएसएम विनियम अधिसूचित किए गए हैं।
- डीएसएम से संबंधित क्रियाकलापों को सरल बनाने के लिए प्रत्येक डिस्कॉम को मानव शक्ति सहायता प्रदान की गई है। यह वर्ष 2017–20 के दौरान भी जारी रहेगा।
- 34 डिस्कॉम के लिए भार सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और डिस्कॉम कार्य योजना तैयार कर ली गई है।
- इस कार्यक्रम के तहत, 34 डिस्कॉम के 504 अधिकारियों को मांग पक्ष प्रबंधन पर मास्टर प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, और लगभग 5000 अधिकारियों को डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर प्रशिक्षित किया गया है।

द्वितीय चरण

- इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शेष 28 डिस्कॉम को शामिल किया गया है।
- बीईई, डिस्कॉम और संबंधित एसडीए के बीच त्रिपक्षीय समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- बीईई ने इन नए डिस्कोम और मौजूदा डिस्कोम के लिए 'डिस्कोम का क्षमता निर्माण' कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियां शुरू करने के लिए क्षेत्र–वार पाँच परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) नियुक्त किए हैं।

- पीएमसी नए डिस्कॉम को बीईई की ओर से तकनीकी सहायता प्रदान करेगा ताकि लोड अनुसंधान अध्ययन, डीएसएम कार्य योजना का विकास, लगभग 1000 मास्टर प्रशिक्षक बनाए जा सकें और डिस्कॉम के लगभग 4000 सर्कल स्तर के अधिकारियों को डीएसएम और ईई का प्रशिक्षण दिया किया जा सके।
- 2017–20 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए नए और मौजूदा दोनों डिस्कॉम को जनशक्ति सहायता (एक तकनीकी और एक वित्तीय) प्रदान की जाएगी।
- बीईई द्वारा संबंधित एसडीए के साथ एसईआरसी/जेईआरसी, एसडीए और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए क्षेत्रवार पाँच क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जाएंगी ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में डीएसएम गतिविधियां शुरू करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके तथा 'डिस्कॉम का क्षमता निर्माण'' कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में उन्हें अवगत कराया जा सके।

1.4.9 राज्य अभिहित एजेंसियों (एसडीए) का सुदृढ़ीकरण

राज्य अभिहित एजेंसियों (एसडीए) को राज्य सरकारों / संघ शासित राज्यों द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 15(घ) के अधीन या तो अकेले एसडीए की स्थापना करके या विद्यमान एजेंसियों/विभागों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप कर अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अधीन 36 राज्य अभिहित एजेंसियों को अधिसूचित किया गया है। इन 36 एसडीए में से 16 नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसियां, राज्य सरकारों के 5 विद्युत विभाग, 7 इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टोरेट कार्यालय, 6 वितरण कम्पनियां और 2 अकेले एसडीए हैं। एसडीए का मुख्य कार्य और उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का समन्वय, विनियमन करना और उन्हें लागू करना है।

ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन और देश की ऊर्जा गहनता में कमी लाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने XIवीं योजना के दौरान, ''ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर एसडीए के सुदृढ़ीकरण'' की योजना का अनुमोदन किया, जो XIIवीं योजना और वर्ष 2017–20 के दौरान भी जारी रहेगा। इस योजना के दो मुख्य संघटक निम्नानुसार हैं:

- ऊर्जा दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण का समन्वय, विनियमन करने और लागू करने के लिए राज्य अभिहित एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) को अंशदान देना।

क) राज्य अभिहित एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

2018–19 के दौरान निम्नलिखित संघटकों के कार्यान्वयन के लिए 23 राज्य अभिहित एजेंसियों को 11.64 करोड़ रुपए का वितरण किया गया:

- ऊर्जा दक्षता प्रदर्शनों के लिए राज्यों की भागीदारिता (एसपीईईडी) – राज्य अभिहित एजेंसियों द्वारा मुख्यतः स्ट्रीट लाइटिंग, वाटर पम्पिंग, बेकार हीट रिकवरी, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडिशनिंग आदि के क्षेत्रों की निदर्शी परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। ये परियोजनाएं विभिन्न विभागों/एजेंसियों के माध्यम से प्रदर्शित प्रौद्योगिकी को दोहराने में अधिकांश राज्य सरकारों की मदद करने में सफल रही हैं।
- मॉडल ऊर्जा दक्ष गांव अभियान–राज्य अभिहित एजेंसियों द्वारा इस शीर्ष के अधीन दी गई निधि का उपयोग पूरी तरह से इलैक्ट्रिफाइड गांव, जिसमें 200 से 250 घर, अदक्ष उपकरणों को बदल कर बीईई स्टार लेबल वाले/ऊर्जा दक्ष उपकरण लगा कर मॉडल ऊर्जा दक्ष गांव बनाने के लिए किया जाएगा। इन उपकरणों में वाटर पम्प, पंखे, गैस स्टोव, डीजल जेनरेटर, वाटर हीटर, स्ट्रीट और घरेलू प्रकाश व्यवस्था शामिल है।
- राज्य स्तर पर प्रवर्तन मशीनरी का संस्थाकरण–इस शीर्ष के अधीन दी गई निधि से राज्य अभिहित एजेंसियां प्रभावी रूप से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों का विनियमन करने और लागू करने में समर्थ होती हैं।

- राज्य अभिहित एजेंसियों को मानव शक्ति सहयोग– इस निधि से राज्य अभिहित एजेंसियां राज्यों में ऊर्जा दक्षता से सम्बन्धित क्रियाकलापों का सरलता से समन्वय करने, संचालन करने, विनियमन करने और उन्हें लागू करने के लिए मानव शक्ति का नियोजन करती हैं।
- राज्य ऊर्जा दक्षता अनुसंधान व पहुंच कार्यक्रम–राज्य अभिहित एजेंसियों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक और प्रिन्ट मीडिया, लघु पुस्तिकाओं और ब्रॉशर्स के माध्यम से जागरुकता अभियानों की मार्फत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है।
- ऊर्जा व्यावसायिकों की कार्यशालाएं/क्षमता निर्माण।
- ऊर्जा दक्षता पर बनाए गए इन्टरनेट प्लेटफार्म और अन्य डेटाबेस का रखरखाव और उन्नयन।

ख) राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) में अंशदान

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 16(1) के अनुसार राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को राज्य के अंदर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयोजन हेतु एक कोष का गठन करना अपेक्षित होगा, जिसे एसईसीएफ कहा जाएगा। इस संदर्भ में, एक स्कीम, जिसका नाम "राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) में अंशदान" है, को 11वीं योजना के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया, जो 12वीं योजना और वर्ष 2017–20 के दौरान भी जारी रहेगा। एसईसीएफ को, बाजार रूपांतरण के द्वारा ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं चलाने के लिए एसईसीएफ के अंतर्गत वितरित की गई निधि का अधिकांश हिस्सा गतिशील निवेश निधि (आरआईएफ) के रूप में अलग से रखा जाना है। इस आरआईएफ का उपयोग विभिन्न ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

यह योजना सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों को अधिकतम 4.0 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान देती है, जो 2.0 करोड़ रुपए की दो किस्तों में दी जाती है। एसईसीएफ को अंशदान की दूसरी किस्त तभी दी जाती है जब राज्य बीईई की पहली किस्त के अंशदान के बराबर राशि प्रदान करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यो की राज्य सरकारों और संघ शासित राज्यों द्वारा 2.0 करोड़ रुपए के अंशदान के बराबर राशि देने की बजाय 25.0 लाख रुपए की राशि खर्च करने की छूट दी गई। अभी तक 31 राज्यों द्वारा एसईसीएफ का गठन किया गया है, जिसमें से 25 राज्यों को इसके अनुरूप अंशदान दिया गया है।

1.4.10 विविध

ऊर्जा संरक्षण सूचना संग्रहण केन्द्र

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा संरक्षण और उत्पादों से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाएं एवं सम्बन्धित अन्य सूचनाएं प्रस्तुत करने के लिए पैटनेट पोर्टल नामक ऑन लाइन प्लेटफार्म बनाया है। अभिहित उपभोक्ताओं और बीईई के अधिकारियों, विद्युत मंत्रालय, राज्य अभिहित एजेंसियों (एसडीए) आदि जैसे पणधारियों को भी सूचना के संग्रहण, अनुवर्तन और मूल्यांकन करने के लिए इस पोर्टल पर पहुंचने की व्यवस्था की गई है।

ऊर्जा प्रबन्धकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार सभी अभिहित ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए किसी मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक से ऊर्जा लेखा परीक्षा कराना और ऊर्जा प्रबन्धक को अभिहित या नियुक्त करना अनिवार्य है। बीईई ने ऊर्जा प्रबन्धन, परियोजना प्रबन्धन, ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण और कार्यान्वयन एवं नीति विश्लेषण के कार्य के लिए अर्हताप्राप्त व्यावसायिक ऊर्जा प्रबन्धक और लेखा परीक्षकों का एक संवर्ग बनाया है। बीईई द्वारा मई, 2004 से ऊर्जा प्रबन्धकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा का नियमित रूप से आयोजन किया है।

इस समय देश में 18684 ऊर्जा लेखा परीक्षक और ऊर्जा प्रबन्धक हैं, जिनमें 2004–2018 के दौरान ली गई 19 परीक्षाओं से 10049 प्रबन्धक प्रमाणित ऊर्जा लेखापरीक्षक के रूप में उत्तीर्ण हुए। राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के माध्यम से ऊर्जा प्रबन्धकों और ऊर्जा लेखापरीक्षकों की क्षमता निर्माण से आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा और इससे ऊर्जा गहनता में भी कमी आएगी।

i) प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकों की मान्यता

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में केन्द्र सरकार द्वारा ऊर्जा गहन औद्योगिक इकाइयों को तथा अन्य संगठनों को ''अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में अभिहित करने की शक्तियों का प्रावधान है, जो अन्य बातों के साथ–साथ मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकों से आवधिक रूप से ऊर्जा लेखा परीक्षा करवाती है। यह अधिनियम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को इस प्रयोजन के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षकों को मान्यता देने का शासनादेश देता है।

मान्यता सलाहकार समिति द्वारा प्रमाणित ऊर्जा लेखापरीक्षकों का मूल्यांकन किया जाता है और उनके नाम की सिफारिश की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष बीईई के महानिदेशक होते हैं और इसके सदस्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कोयला मंत्रालय से चुने जाते हैं और सिफारिश किए गए नामों का अनुमोदन ब्यूरो की प्रबन्धन सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है।

इस समय देश में लगभग 263 मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षक हैं।

ii) पैट के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक फर्मों का पैनल बनाना

सभी अभिहित उपभोक्ताओं (डीसी) द्वारा पैनल में रखे गए मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षकों से अनुवर्तन और सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इस समय पैनल में रखी गई 74 मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक फर्में हैं, जो सत्यापन और परीक्षण सत्यापन का कार्य कर रही हैं, जिसमें निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) के अन्तर्गत ऊर्जा खपत मानदण्डों और मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में अनुवर्तन और सत्यापन करना तथा ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र या उनकी खरीद करना शामिल है।

जागरूकता और विस्तार

जागरूकता अभियान का उद्देश्य लोगों में ऊर्जा संरक्षण को एक आदत के रूप में अपनाने और उसके प्रभाव और गुणों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नीति के अनुसार बीओसी और एनएफडीसी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और प्रिंट मीडिया अभियान जारी रखा गया। "बीओसी के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के विज्ञापन भी हिंदी और देशी भाषाओं में समाचार पत्रों में जारी किए गए। राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के विज्ञापन 17 अलग–अलग स्थानीय पत्रिकाओं और समाचार–पत्रों में जारी किए गए तथा साथ ही बीओसी के माध्यम से प्रिंट मीडिया में भी जारी किए गए।

बीईई ने 23–25 मई, 2018 से प्रगति मैदान, नई दिल्ली में चौथे स्मार्ट सीटीज इंडिया एक्सपो में भाग लिया। बीईई की विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक स्टाल लगाया गया। प्रचार सामग्री जैसे इश्तहार/ब्रोशर/बीलाइन न्यूजलैटर को दर्शकों के बीच वितरित किया गया। बीईई ने ऊर्जा संरक्षण स्कीमों और उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के लिए 18 जनवरी, 2019 से 22 जनवरी, 2019 तक गांधी नगर, गुजरात में 9वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2019 में भी भाग लिया। बीईई ने एसी की अधिकतम तापमान सेटिंग के माध्यम से स्पेस कूलिंग अभियान की शुरुआत की और 3 फरवरी, 2019 से 5 फरवरी, 2019 तक प्रगति मैदान में रियल एस्टेट और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एक्सपो 2019 के माध्यम से भारत में विश्व स्तरीय भवन निर्माण प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए अपने लाभों का प्रदर्शन किया। बीईई ने विभिन्न ऊर्जा दक्ष नीतियों,

उपलब्धियों, कार्यक्रमों, स्कीमों और गतिविधियों का प्रदर्शन करने के लिए पीतमपुरा दिल्ली हाट, नई दिल्ली में 2–4 नवंबर, 2018 तक 'मेरी दिल्ली उत्सव' में भी भाग लिया।

जागरूकता अभियान की मुख्य विशेषताएं

- ऊर्जा दक्षता और इसके संरक्षण पर संदेशों का प्रचार करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग प्रभावी ढंग से किया गया।
- योजनाओं, नीतियों, लाभों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए कई प्रदर्शनियों में भाग लिया गया। ब्यूरो के वेब पोर्टल्स, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर हैंडल को भी ऊर्जा संरक्षण के संदेश प्रसारित करने के लिए लगातार अद्यतन किया गया।
- 14 से 26 सितंबर, 2018 के दौरान आयोजित लोगो प्रतियोगिता में mygov-portal के माध्यम से क्राउड सोर्सिंग की गई तथा 20 जुलाई से 5 अगस्त, 2018 के दौरान स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- भारत के सभी 22 टीआरएआई सर्कल में 1 करोड़ संदेशों को पुश संदेशों के माध्यम से सितंबर/अक्तूबर, 2018 के दौरान 24 डिग्री अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया गया।
- प्रचार सामग्री अर्थात् 2 प्रकार के पोस्टर और 3 प्रकार के स्टिकर प्रदर्शित किए गए और इन्हें सभी राज्यों और डीसी को वितरित किया गया, जिनमें 24 डिग्री अभियान के संदेश वाले मगों को विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से वितरित किया गया।
- सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/एसडीए आदि के माध्यम से 1000 मैटियो कार्ड (स्पेस तापमान मापने का कार्ड) पेशेवरों, ऑपरेटरों में वितरित किए गए।

छात्र क्षमता निर्माण कार्यक्रम/छात्र जागरूकता

जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता के लिए छात्र क्षमता निर्माण में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:

- राज्य शिक्षा बोर्डों के स्कूल पाठ्यक्रम में छठी से दसवीं कक्षा तक की एनसीईआरटी पुस्तकों में ऊर्जा दक्षता पर एक अध्याय को शामिल करना।
- स्कूल शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम/पुस्तकों में ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण पर मॉड्यूल का परिचय देना।
- प्रशिक्षण देना, शिक्षण स्टाफ, ऊर्जा पेशेवर और तकनीकी कर्मचारियों का कौशल उन्नयन।
- पम्पों/बॉयलरों/हीटरों/चिल्लरों/पंखों आदि जैसी वस्तुओं के दक्ष उपयोग के लिए ऊर्जा दक्षता पर टिप शीट/फ्लायर बनाना।
- आईटीआई/डिप्लोमा इंजीनियरिंग में वाद विवाद और स्कूल स्तर पर क्विज कार्यक्रम जैसे जागरुकता क्रियाकलाप।
- इको/ऊर्जा क्लबों की शुरुआत/में बदलाव/का सुदृढ़ीकरण।

1.5 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता

1.5.1 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार भारत में ऊर्जा दक्षता को विनियमित करने और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने का अधिदेश दिया गया है। बीईई प्रमुख योजनाओं जैसे उपकरणों और भवनों के लिए मानक और लेबलिंग (एसएंडएल) कार्यक्रम, नामित उपभोक्ताओं के लिए निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी), कृषि, नगरपालिकाओं, डिस्कोम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) में मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) पहल, राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) को सुदृढ़ करना, तथा जागरूकता और विस्तार कार्यक्रम को लागू करके अपने अधिदेश को पूरा कर रही है। बीईई भारत के प्रधानमंत्री के अधीन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य–योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन क्षमता मिशन (एनएमईईई) को भी लागू कर रही है। इन सभी योजनाओं के माध्यम से, बीईई ऊर्जा को बचाने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और देश में ऊर्जा के अत्यधिक इस्तेमाल को कम करने में मदद कर रहा है। इन सभी प्रयासों का अंतिम उद्देश्य राष्ट्र के लिए कीमती संसाधनों को बचाना, जलवायु परिवर्तन को कम करना और स्थायी जीवन को बढ़ावा देना है।

जागरूकता और विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार रहा है। ऊर्जा दक्षता और उसके संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए बीईई, विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों के प्रयासों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करता है।

यह पुरस्कार पहली बार 14 दिसंबर, 1991 को दिया गया था, जिसे 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस' घोषित किया गया था। तब से, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) सभी हितधारकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और इसमें हर साल के बीतने के साथ भागीदारी बढ़ रही है। ये पुरस्कार ऊर्जा संरक्षण दिवस पर प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और सर्वोच्च पदाधिकारियों जैसे माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधान मंत्री और माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री आदि द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2018 में प्राप्त आवेदन
उसी क्षेत्र में पहले की भागीदारी की तुलना में

क्र.सं.	उद्योगों	पूर्व में	2018 में प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या
1	सीमेंट	57	57
2	क्लोर अल्कली	11	13
3	दवा और दवा	9	8
4	खाद्य प्रसंस्करण	5	6
5	कांच	2	1
6	कागज लुगदी	15	14
7	प्लास्टिक	9	11
8	स्टील री–रोलिंग मिल्स	7	13
9	टायर	7	8
10	भारी इंजीनियरिंग उद्योग	नई प्रविष्टी	7
11	मिनी ब्लास्ट फर्नेस	0	5
12	चाय	0	1
	परिवहन		
13	रेलवे स्टेशन	42	62
14	मेट्रो रेलवे	2	5
	इमारतें		
15	होटल	13	15
16	अस्पताल	40	39
17	हवाई अड्डा	नई प्रविष्टी	5
18	शॉपिंग मॉल/प्लाजा	20	24
	संस्थान		
19	राज्य नामित एजेंसियां	11	11
20	राज्य पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी और पीएचईडी	8	14
21	बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स)	18	14
22	वर्ष के अति ऊर्जा दक्ष	2503	2384
	संपूर्ण	**2779**	**2718**

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2018 में प्राप्त ऊर्जा बचत

वर्ष 2018 के लिए, पुरस्कार समिति ने प्रथम पुरस्कार के लिए 13 इकाइयों, द्वितीय पुरस्कार के लिए 13 इकाइयों, मेरिट प्रमाणपत्र के लिए 26 इकाइयों और वर्ष के अति दक्ष ऊर्जा उपकरणों के लिए 5 पुरस्कारों का चयन किया है।

2018 के पुरस्कारों में भाग लेने वाली इकाइयों ने सामूहिक रूप से ऊर्जा संरक्षण उपायों में 1327 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, और 8 महीने के औसत भुगतान की अवधि के साथ, 2069 करोड़ रुपए की मौद्रिक बचत प्राप्त की है। भाग लेने वाली इकाइयों ने 3917 मिलियन कि.वॉट विद्युत ऊर्जा की बचत की है, जो 60.5% के पीएलएफ पर 739 मेगावाट ऊर्जा सृजन के बराबर है। दूसरे शब्दों में, भाग लेने वाली ये इकाइयां 2017–18 में 739 मेगावाट के बराबर बिजली उत्पादन क्षमता की स्थापना करने से बची हैं, जो अन्यथा इन इकाइयों की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक होती।

राष्ट्रीय ऊर्जा सरंक्षण पुरस्कार विजेता–2018

क्र. सं.	श्रेणी	श्रेत्र	भाग लेने वालो इकाईयों की सं.	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	योग्यता प्रमाणपत्र
1.	औद्योगिक	सीमेंट	57	कपिलास सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स (ओसीएल इण्डिया लि. की इकाई) कटक, ओडीशा	ओसीएल बंगाल सीमेंट वर्क्स, पश्चिम मिदनापुर पश्चिम बंगाल	(1) हैडलबर्ग सीमेंट इण्डिया लिमिटेड झांसी, उत्तर प्रदेश (2) श्री सीमेंट लिमिटेड इकाई–1, ब्यावर राजस्थान
2.		क्लोर–अल्कली	13	श्रीराम अल्कली एण्ड कैमिकल्स भरूच, गुजरात	ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कैमिकल डिविजन, रेहला, झारखंड	ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कैमिकल डिविजन, नगदा, मध्य प्रदेश
3.		ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल	8	इपका लेब्रोटरीज लिमिटेड, रतलाम, मध्य प्रदेश	नेक्टर लाइफसांइसिस लि., युनिट–II, मोहाली, पंजाब	------
4.		खाद्य प्रसंस्करण	6	कायरा डिस्ट्रिक्ट को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लि. अमुल डेयरी आनन्द, गुजरात	बालाजी डेयरी मदर डेयरी फल और सब्जी प्रा. लि. की इकाई, तिरुपति, आध्र प्रदेश	------
5.		मिनी ब्लास्ट फर्नसिस	5	------	------	(1)जेएसडब्ल्यू स्टील कोटिड प्रोडक्टस लिमिटेड कलमेश्वर वर, नागपुर, महाराष्ट्र (2) किर्लोस्कर फेरस इण्डस्ट्रीज लि., कोप्पल, कर्नाटक

क्र. सं.	श्रेणी	श्रेत्र	भाग लेने वालो इकाईयों की सं.	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	योग्यता प्रमाणपत्र
6.	औद्योगिक	पल्प एण्ड पेपर	14	सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर (सेन्चुरी टेक्सटाइल्स एण्ड इडस्ट्रीज का डिवीजन, नैनीताल, उत्तराखण्ड	ओरिएन्ट पेपर मिल्स इकाई–अमलाई, भाहडोल, मध्य प्रदेश	(1) जेके पेपर लिमिटेड, इकाईः जेकेपीएम, रायगढ़, ओडिशा (2) बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रोडक्टस लिमिटेड (इकाईः बल्लारपुर), महाराष्ट्र
7.		प्लास्टिक	11	नीलकमल लिमिटेड, खरादपाड़ा, सिलवासा	जगदंबा पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड बालासोर, ओडिशा	रेचैम आरपीजी प्रा.लि. पालघर, महाराष्ट्र
8.		स्टील रि–रोलिंग मिल्स	13	------	इलक्ट्रोथर्म (इण्डिया) लिमिटेड, कच्छ, गुजरात	------
9.		टायर्स	8	जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विक्रांत टायर प्लांट, मैसूरु, कर्नाटक	बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (चोपांकी) भिवाड़ी, राजस्थान	------
10.	परिवहन	रेलवे स्टेशन	62	विदिशा रेलवे स्टेशन, भोपाल डिवीजन, पश्चिम मध्य रेलवे	जामनगर रेलवे स्टेशन, पश्चिम रेलवे, राजकोट	**योग्यता प्रमाणपत्र–1** • द्वारका रेलवे स्टेशन, राजकोट डिवीजन, पश्चिम रेलवे • राजकोट रेलवे स्टेशन, राजकोट डिवीजन, पश्चिम रेलवे **योग्यता प्रमाणपत्र–2** • सुरेंद्रनगर रेलवे स्टेशन, राजकोट डिवीजन, पश्चिम रेलवे, **योग्यता प्रमाणपत्र–3** • हैदराबाद रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद डिवीजन, दक्षिण मध्य रेलवे **योग्यता प्रमाणपत्र–4** • निजामाबाद रेलवे स्टेशन, हैदराबाद डिवीजन, दक्षिण मध्य रेलवे

क्र. सं.	श्रेणी	श्रेत्र	भाग लेने वालो इकाईयों की सं.	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	योग्यता प्रमाणपत्र
						कॉम–5 • गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, तिमसुखिया डिवीजन, पूर्वोत्तर फन्ट्रीयर रेलवे • जयपुर रेलवे स्टेशन, जयपुर डिवीजन, उत्तर पश्चिम रेलवे •काजीपेट रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद डिवीजन, दक्षिण मध्य रेलवे
11.	भवन	एयरपोर्ट	5	------	------	लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
12.		अस्पताल	39	डिविजन रेलवे अस्पताल, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश	डिविजन रेलवे अस्पताल, राजकोट, गुजरात	(1) डिविजन रेलवे अस्पताल, रतलाम, मध्य प्रदेश (2) महर्षि आयुर्वेदा अस्पताल, शालीमार बाग, दिल्ली (3) संत परमानंद अस्पताल, सिविल लाइंस, नई दिल्ली
13.		हॉस्टल्स	15	फ्लोटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूवर द्वीप रिसॉर्ट्स), त्रिवेंद्रम, केरल	------	क्राउन प्लाजा, अडयार पार्क, चेन्नई, तमिलनाडु
14.	संस्थान	विद्युत वितरण कम्पनियों (डिसकॉम्स)	14	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, कड़कड़डूमा, दिल्ली	दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, सूरत, गुजरात	(1) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली (2) दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, तिरुपति, आंध्र प्रदेश
15.		राज्य नामित एजेन्सियां	11	एनर्जी मैनेजमेन्ट सेन्टर केरल	आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन (एपीएसईसीएम)	अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी (एपीईडीए)
16.		स्टेट पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी एण्ड पीएचईडी	14	पैसेन्जर रिजर्वेशन सिस्टम कॉम्पलैक्स	रेल सुधाजोनल हैडक्वार्टस ऑफिस विल्डिंग, साउथ	रेल निलायम (जनरल मैनेजर एससीआर

क्र. सं.	श्रेणी	श्रेत्र	भाग लेने वालो इकाईयों की सं.	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	योग्यता प्रमाणपत्र
				विल्डिंग (पीआरएस/एससी सिकन्दराबाद, तेलंगाना	पश्चिम रेलवे, हुबली, कर्नाटक	कार्यालय), सिकंदराबाद, तेलंगाना (२) हैदराबाद भवन (मंडल रेल प्रबंधक/हैदराबाद कार्यालय), सिकंदराबाद, तेलंगाना
17.		एयर कन्डीशनर (फिक्सड स्पीड एण्ड वेरियेवल स्पीड एसी.)	**मॉडल संख्याः 4011238, वोल्टास लिमिटेड**			
18.		सीलिंग फैन्स	**मॉडल संख्याः ईई50, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलैक्ट्रीकल्स लि.**			
		रेफ्रीजरेटर (डायरेक्ट कूल रेफ्रीजरेटर एवं फ्रास्ट फ्री रेफ्रीजरेटर	**मॉडल संख्याः आरडी ईडीजीई पीआरओ 190 सीटी आईएनवी 5.2*, गोदरेज**			
		स्टोरेज वाटर हीटर	**मॉडल संख्याः** आरएसीओएलडी ईएसडब्ल्यूएच–25 वोल्ट **अरिस्टन थर्मो इंडिया प्रा. लि. (राकोल्ड)**			
		पम्पस (मोनोसेट, ओपन वेल, सबमर्सिबल पम्पस)	**मॉडल संख्याः** सीआरआई4आर–5/07, **सी.आर.आई पम्पस प्रा. लि.**			

1.5.2 स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय की ओर से 11 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य नामित एजेंसियों की सहायता से ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करता है। वर्ष 2018 में, जुलाई, 2018 से 26 अक्तूबर, 2018 तक स्कूल स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय दैनिक समाचार–पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा 28 सितंबर, 2018 को जारी की गई थी। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 14 नवंबर, 2018 को राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एनटीपीसी द्वारा श्रेणी 'क' के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 12 दिसंबर, 2018 को आयोजित की गई। पीजीसीआईएल द्वारा श्रेणी 'ख' (पहली बार) के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन गुरुग्राम में 12 दिसंबर, 2018 को किया गया।

श्रेणी 'क' में चौथी से छठी कक्षा के छात्र शामिल किए जाते हैं। श्रेणी 'ख' में सातवीं से नौंवी कक्षा के छात्र शामिल किए जाते हैं। स्कूल प्रधानाचार्य प्रत्येक श्रेणी से 2 सर्वश्रेष्ठ चित्रों का चयन करते हैं और उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजते हैं। राज्य स्तर पर, प्रत्येक स्कूल के 2 शीर्ष चित्रों की जूरी द्वारा जांच की जाती है ताकि प्रत्येक श्रेणी में 50 सर्वश्रेष्ठ चित्रों का चयन किया जा सके। प्रत्येक श्रेणी से 50 चयनित छात्र/चित्रकला राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। राज्य स्तर के बाद, प्रत्येक राज्य की शीर्ष 3 चित्रकला/छात्र और प्रत्येक श्रेणी, राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता–2018 की भागीदारी की स्थिति

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	2017	2018
		कुल भागीदारी	कुल भागीदारी
एस1	आंध्र प्रदेश	41,278	21,572
एन1	अरुणाचल प्रदेश	5,636	9,845
एन2	असम	10,48,471	14,10,046
एस2	बिहार	40,043	51,803
एस3	छत्तीसगढ	79,824	73,996
एस4	गोवा	44,445	35,296
एस5	गुजरात	70,118	30,263
एस6	हरियाणा	10,78,191	19,38,704
एस7	हिमाचल प्रदेश	4,52,371	1,58,524
एस8	जम्मू और कश्मीर	30,609	27,228
एस9	झारखंड	1,61,627	2,09,071
एस10	कर्नाटक	62,778	68,033
एस11	केरल	34,969	47,438
एस12	मध्य प्रदेश	14,36,349	14,75,345
एस13	महाराष्ट्र	1,60,945	1,54,146
एन3	मणिपुर	16,057	54,411
एन4	मेघालय	9,329	9,551
एन5	मिजोरम	10,088	8,338
एन6	नगालैंड	8,318	11,454
एस14	ओडिशा	7,19,223	6,12,367
एस15	पंजाब	5,24,656	5,60,192
एस16	राजस्थान	56,982	30,602
एन7	सिक्किम	29,461	30,098
एस17	तमिलनाडु	2,91,908	2,38,204
एस18	तेलंगाना	28,260	33,322
एन8	त्रिपुरा	8,893	8,734
एस19	उत्तर प्रदेश	39,57,467	2,18,730
एस20	उत्तराखंड	3,92,639	2,62,243
एस21	पश्चिम बंगाल	1,16,291	53,377
यू1	अडंमान और निकोबर द्वीप	7,009	7,095
यू2	चंडीगढ़	44,399	51,486
यू3	दादरा नागर हवेली	12,841	15,328
यू4	दमन और दीव	6,289	7,348
यू5	लक्षद्वीप	1,435	1,450
यू6	पुडुचेरी	34,519	36,915
यू7	दिल्ली	12,36,830	11,16,180
	कुल	**1,22,60,548**	**90,78,735**

1.6 शासी परिषद् की संरचना

ब्यूरो का सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबन्धन का कार्य शासी परिषद् के पास निहित है, जिसमें कम से कम बीस और अधिकतम छब्बीस सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। शासी परिषद् के निम्नलिखित सदस्य हैं:

(क) विद्युत से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी मंत्री—पदेन अध्यक्ष

(ख) सचिव, भारत सरकार, विद्युत से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी —पदेन सदस्य

(ग) सचिव, भारत सरकार, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी —पदेन सदस्य

(घ) सचिव, भारत सरकार, कोयले से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी —पदेन सदस्य

(ड.) सचिव, भारत सरकार, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतोंसे सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी — पदेन सदस्य

(च) सचिव, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी — पदेन सदस्य

(छ) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामलों से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी — पदेन सदस्य

(ज) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का अध्यक्ष— पदेन सदस्य

(झ) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक— पदेन सदस्य

(ञ) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ का कार्यपालक निदेशक— पदेन सदस्य

(ट) केन्द्रीय खनन योजना एवं अभिकल्पन संस्थान लि. के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक—पदेन सदस्य

(ठ) भारतीय मानक ब्यूरोके महानिदेशक — पदेन सदस्य

(ड) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, पूर्ति विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के महानिदेशक —पदेनसदस्य

(ढ) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लि. के प्रबन्ध निदेशक— पदेन सदस्य

(ण) विद्युत क्षेत्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच विद्युत क्षेत्रों से प्रत्येक एक सदस्य, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है —सदस्य

(त) ऐसे व्यक्तियों, जो केन्द्रीय सरकार की राय में समर्थ हों या उद्योग, उपकरण, उत्पादन, वास्तुकारों और ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, में से सदस्यों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे सदस्यों की संख्या, चार से अधिक नहीं, जो भी निर्धारित की जाए — सदस्य

(थ) सदस्यों के रूप में शासी निकाय द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या, दो से अधिक नहीं—सदस्य

(द) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक — पदेन सदस्य सचिव

2

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

2.1 अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम

2.2 अन्तर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यक्रम

2.1 अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम

क. देश, जिनसे सक्रिय भागीदारी है

(i) इंडो जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम

इंडो–जर्मन एनर्जी फोरम (आईजीईएफ)

इंडो–जर्मन एनर्जी फोरम (आईजीईएफ) की स्थापना फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की सरकार और भारत सरकार के बीच ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश एवं आपसी सहयोग से अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए वार्ता तथा सहयोग को बढ़ाने देने के लिए इंडो–जर्मन सहयोग को और गहन करने के लिए अप्रैल, 2006 में की गई थी। यद्यपि आईजीईएफ भारत और जर्मनी की उच्च स्तरीय नीतिगत वार्ता है, तथापि आईजीईएफ स्पोर्ट ऑफिस को इंडो–जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम (आईजीईएन)की संरचना में भाामिल किया गया है।

इंडो–जर्मन इनर्जी फोरम के अंतर्गत, 4 उप–समूह हैं। उप–समूह 1 में, जीवाश्म ईधन आधारित विद्युत संयंत्रों में दक्षता उन्नयन, उप समूह 2 में नवीकरणीय ऊर्जा, उप–समूह 3 में मांग पक्ष ऊर्जा दक्षता तथा निम्न कार्बन वृद्धि कार्यनीतियां हैं; उप–समूह 4 में ''ग्रीन एनर्जी कोरीडोर और ग्रिड मैनेजमेंट'' हैं। उप–समूह 3 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय और जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (बीएमडब्ल्यूआई) मिलकर कार्य कर रहे हैं, ताकि वे अपने अपने देशों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक वातावरण बना सकें। यह लक्ष्य दोनों देशों के सरकारी और निजी क्षेत्र के नीति–निर्णायकों के बीच एक रचनात्मक वार्ता करके प्राप्त किया जाता है।

अभी तक आईजीईएफ की आठ बैठकें हो चुकी हैं और इसकी आखिरी बैठक 04 अक्तूबर, 2018 को हुई थी, जिसमें भारत की ओर से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक, श्री अभय बाकरे द्वारा अध्यक्षता की गई थी जबकि जर्मनी की ओर से इसकी अध्यक्षता डॉ. जार्ज माउ, प्रभाग के उपाध्यक्ष, जनरल इशुज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकॉनोमिक्स एण्ड एनर्जी (बीएमडब्ल्युआई), जर्मनी सरकार द्वारा की गई थी। इस बैठक में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और जर्मन एम्बेसी, केएफडब्ल्यु और जीआईजैड के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

उप समूह 3 के माध्यम से किए गए पिछले क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:

- आवासीय भवनों के क्षेत्र में फ्रॉनहॉफर इंस्टिट्यूट और टेरी ने संयुक्त रूप से ऊर्जा कार्य निष्पादन निर्धारण उपकरण विकसित किया है, जो भारत के आवासीय भवनों के क्षेत्र मे विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों से संभावित ऊर्जा बचत का परिकलन करता है।
- विभिन्न क्षेत्रों मे ऊर्जा दक्षता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय इन्टरनेट आधारित ज्ञान प्लेटफार्म के विकास के लिए जर्मनी सरकार की ओर से बिग ईई नामक एक प्रयास किया गया है जिसका अभिप्राय ''ऊर्जा दक्षता पर सूचना अन्तराल को पाटना'' है।
- '2027 में भारत में क्षेत्र द्वारा कूलिंग के लिए मांग विश्लेषण' पर एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि देश की कूलिंग ऊर्जा मांग 2027 तक मौजूदा स्तर से 2.2 गुना बढ़ जाएगी और इसमें हस्तक्षेप करके इसे अगले एक दशक में 17 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। यह भवनों, मोबाइल एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, उद्योगों में कोल्ड चेन और प्रोसेस कूलिंग में भारत की कूलिंग मांग की जांच करता है, और कूलिंग में सर्वाधिक ऊर्जा और कार्बन बचत के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकीय, परिचालन और बाजार कार्यकलाप की पहचान करता है।
- 'भारत में ऊर्जा दक्षता की क्षमता' विषय पर जारी की गई रिपोर्ट में ऊर्जा संरक्षण उपायों के माध्यम से ऊर्जा और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को बचाने की क्षमता को उजागर किया गया है।

इण्डो जर्मन एनर्जी प्रोग्राम (आईजीईएन)

जब से ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के माध्यम से ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र, जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का पूर्ववर्ती संगठन है, द्वारा मई, 1995 में इण्डो जर्मन ऊर्जा दक्षता परियोजना आरम्भ की गई थी, तभी से ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में 1995 से ही इण्डो जर्मन तकनीकी सहयोग का कार्य चल रहा है। यह परियोजना सितम्बर, 2000 में पूरी हो गई थी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का अधिनियमन होने और 1 मार्च, 2002 से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना होने से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की नीतियों और इनके समर्थन के उद्देश्य से इण्डो जर्मन एनर्जी प्रोग्राम (आईजीईएम) परियोजना के अन्तर्गत ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में सहयोग जारी रहा।

जीआईजैड ने निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए टीए सहयोग प्रदान करने पर विचार किया है:

- बीईई और जीआईजैड ने आईजीईएन के ढांचे के अधीन (आईजीईएन के ढांचे के अधीन बीईई और जीआईजैड के बीच मौजूदा कार्यान्वयन करार के अधीन) आवासीय भवनों के क्षेत्र में सहयोग को अन्तिम रूप देने के लिए पूरक करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
- बीईई और जीआईजैड द्वारा लोगों को अपने घरों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों जैसे भवन सामग्री, इसके डिजाइन की विशिष्टियों और उपकरणों के बारे में उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल इको–निवास संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- पैट चक्र-I के सफलतापूर्ण पूरा होने में जमर्नी की तरफ से सहयोग दिया गया और इस साझेदारी को, नए क्षेत्र शामिल करते हुए इसके दायरे को बढ़ाते हुए और पैट के मौजूदा क्षेत्रों के अधीन उद्योगों का विस्तार करते हुए पैट के अनुवर्ती चक्रों के लिए जारी रखा गया। आवासीय भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को समझने के लिए भी बीईई और

जीआईजैड द्वारा बहुमंजिले आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता भवन कोड बनाने के लिए साथ मिलकर काम किया है।

- जीआईजैड के माध्यम से बीईई को वार्षिक राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के लिए सहायता प्रदान की गई है।
- नए बड़े आवासीय भवनों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मानकों के विकास के लिए तकनीकी सहायता।
- नए बहुमंजिले आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता मानकों को आदेशात्मक रूप से लागू करने से सम्बन्धित उपबन्ध शामिल करने के लिए सहायता।

2. भारत–जापान ऊर्जा वार्ता

दिसम्बर, 2006 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के जापान दौरे के परिणामस्वरूप, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत जापान ऊर्जा वार्ता आरम्भ की गई थी, जिसकी अध्यक्षता योजना आयोग के अध्यक्ष तथा माननीय मंत्री, आर्थिक व्यापार एवं उद्योग (एनईटीआई) मंत्रालय द्वारा की गई थी। भारत–जापान की 9वीं ऊर्जा वार्ता 1 मई, 2018 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महामहिम श्री हिरोशिगे सेको, मिनिस्टर ऑफ इकोनोमी, ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री (एमईटीआई) ऑफ जापान और श्री राज कुमार सिंह, माननीय विद्युत एवं नई व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री, भारत द्वारा की गई थी।

– किए गए क्रियाकलापः

- **ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देश और ऊर्जा प्रबन्धन मैनुअल बनाना**

जापान में उद्योगों द्वारा उपयोग किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देशों और ऊर्जा प्रबन्धन मैनुअल के बारे में विचार–विमर्श करने हेतु 17 नवम्बर, 2016 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), ऊर्जा संरक्षण केन्द्र जापान (ईसीसीजे), ऊर्जा व संसाधन संस्थान (टेरी) और विभिन्न उद्योग उप–समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले अभिहित उपभोक्ताओं ने भाग लिया। जापान में उद्योगों द्वारा उपयोग किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देशों और ऊर्जा प्रबन्धन मैनुअलों के फायदों के बारे में बताया गया। इन मार्गनिर्देशों और मैनुअलों से भारतीय उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा संरक्षण केंद्र, जापान के परामर्श से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा का अत्यधिक इस्तेमाल करने वाले उद्योगों के लिए ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देश विकसित किए हैं। नई दिल्ली में 1 अगस्त, 2018 को सार्वजनिक टिप्पणियों और सहयोगियों की समीक्षा के बाद ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया गया था। इसके बाद, माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर.के. सिंह द्वारा 24 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में बड़े उद्योगों के लिए अंतिम ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

इसके अलावा, ऊर्जा संरक्षण दिशानिर्देशों को लागू करने और ऊर्जा प्रबंधन नियमावली का विकास करने के लिए विभिन्न पीएटी क्षेत्रों हेतु 9 मॉडल फैक्टरियों का चयन किया गया था। ऊर्जा खपत वाले कुछेक उपकरणों या उपयोगिता के लिए नमूना नियमावली बनाने में मॉडल फैक्टारियों की सहायता करने, जिन्हें अन्य उपकरणों के लिए आगे दोहराया जा सकता है, के लिए 3 से 7 दिसंबर, 2018 की अवधि के दौरान पहले जापानी विशेषज्ञ ने भारत का दौरा किया। सभी 9 मॉडल फैक्टरियों द्वारा तैयार की गई ईएम नियमावली के मसौदे की समीक्षा और टिप्पणी करने के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 7 दिसंबर, 2018 को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

ऊर्जा संरक्षण (ईसी) दिशानिर्देशों के अनुसार ईएम नियमावली के विकास की अंतरिम समीक्षा करने और ईएम नियमावली का विकास और उपयोग करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ईसीसीजे द्वारा टोक्यो, जापान में 21–25 जनवरी, 2019 के दौरान एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

भारत–जापान ऊर्जा वार्ता के अंतर्गत कॉर्पोरेशन की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने और भावी क्षेत्रों के परिणामों का पता लगाने के लिए ऊर्जा दक्षता पर कार्य समूह (ईईडब्ल्यूजी) की बैठक 20 फरवरी, 2019 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में बीईई के महानिदेशक श्री अभय बाकरे और एमईटीआई के निदेशक श्री मासूमी कोयामा की सह–अध्यक्षता में हुई थी।

3. भारत – अमेरिका सहयोग

भारत–अमेरिका उर्जा वार्ता मई, 2005 में शुरू हुआ था और इसके निम्नलिखित उद्देश्य थेः

- आपसी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना,
- बढ़े हुए ऊर्जा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना,
- स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को लगाने की सुविधा प्रदान करना।

अमेरिकी ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा (ईईआरई), ऊर्जा विभाग का कार्यालय तथा विद्युत और ऊर्जा दक्षता कार्य समूह के तत्वावधान में भारत का ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) सहयोग करता है। सहयोग का मुख्य लक्ष्य ऊर्जा दक्ष नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करना था जो राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कटौती हासिल करने में मदद कर सकते हैं। कार्य समूह (विद्युत और ऊर्जा दक्षता) में चयनित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, 'उन्नत स्वच्छ ऊर्जा में भागीदारी – तैनाती (पीएसीई–डी)' कार्यक्रम भवन ऊर्जा दक्षता, औद्योगिक दक्षता, ऊर्जा दक्षता वित्त–पोषण और संस्थागत सुदृढ़ता के क्षेत्रों में काम कर रहा है।

पीएसीई–डी के अंतर्गत सहयोग जून, 2017 में पूरा हो गया था और वर्तमान में, बीईई और यूएसएआईडी भवन ऊर्जा दक्षता और उपकरणों के क्षेत्रों में वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

वर्तमान प्रगतिः

नई 'भारत–अमेरिकी कार्यनीतिक ऊर्जा भागीदारी' के अंतर्गत नए संयुक्त कार्य समूहों का गठन किया गया है, जिसकी सह–अध्यक्षता एमओपीएनजी द्वारा की जाती है। बीईई, विद्युत और ऊर्जा दक्षता पर संयुक्त कार्य समूह का हिस्सा है।

- तेल और गैस पर संयुक्त कार्य समूह
- बिजली और ऊर्जा दक्षता पर संयुक्त कार्य समूह
- स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह
- कोयले पर संयुक्त कार्य समूह

4. भारत–इंग्लैंड

नवम्बर, 2015 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के इंग्लैंड दौरे के परिणामस्वरूप, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौता ज्ञापन में इंग्लैंड द्वारा शुरु की गई उपयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से परस्पर सहमत प्रत्यक्ष अनुदान और अन्य सहायता सहित तकनीकी सहायता की संरचना की भी व्यवस्था है। समझौता ज्ञापन समय समय पर आधारित परियोजना विशिष्ट करारों के विकास को भी प्रोत्साहन देता है।

औद्योगिक ऊर्जा दक्षता पर ज्ञान साझा मंच (केईपी) के लिए अधिकांश प्रगति इंग्लैंड की सहायता पर केंद्रित है।

शुरू किए गए कार्यकलाप

- तीन क्षेत्रों (पेट्रोलियम रिफाइनरी, सीमेंट, और एल्युमीनियम) के लिए क्षेत्र स्तरीय सर्वोत्तम प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी विनिमय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यशालाओं ने सर्वोत्तम प्रथाओं/प्रौद्योगिकियों के लाभ को बताने/आदान–प्रदान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियों और सेवाओं (इंग्लैंड सहित) के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद की।
- सतत औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 8 से 9 मार्च, 2018 तक एक राष्ट्रीय कार्यशाला–सह–प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसने ऊर्जा दक्षता पर सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रौद्योगिकियों और दृष्टिकोणों के विविध क्षेत्रीय आदान–प्रदान का नेतृत्व किया, जिसने इंग्लैंड प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं को अपने उत्पादों और सेवाओं (जैसे, पावर स्टार, ब्रिस्टल ब्लू ग्रीन लिमिटेड, एसईएबी एनर्जी) को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया।
- सहभागी लेखा–परीक्षा, आंतरिक संयंत्र क्षमता निर्माण से 21 मिलियन कि.वाट/वर्ष की ऊर्जा बचत हुई; सीमेंट, वस्त्र और एल्युमीनियम के 7 क्षेत्रों में केवल 4 महीनों में 652 टन/वर्ष कोयले और 8 किलो तेल/वर्ष के उपयोग से बचा गया।

ऊर्जा दक्षता पर कार्यदल की बैठक 16 अगस्त, 2018 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के कार्यालय में आयोजित की गई थी। 13 सितंबर, 2018 को होने वाली ऊर्जा वार्ता के लिए, ऊर्जा दक्षता पर कार्यदल की दूसरी बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावित घोषणाओं में से एक घोषणा औद्योगिक ऊर्जा दक्षता पर ज्ञान साझा मंच का विस्तार करने से संबंधित होगी।

5. भारत–स्विट्जरलैंड

इस ढांचे के अन्तर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और स्विस कन्फेडरेशन के फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स (एफडीएफए) के बीच भारत स्विस ऊर्जा दक्षता निर्माण परियोजना (बीईईपी) आरम्भ की गई। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि स्विस एजेंसी फॉर डिवेलपमेंट एण्ड कोऑपरेशन (एसडीसी) एफडीएफए की ओर से एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, भारत में नए भवनों में ऊर्जा खपत में कमी लाने के समग्र उद्देश्य से 8 नवम्बर, 2011 को दोनों सरकारों ने पांच वर्ष की एक संयुक्त परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और यह समझौता 7 नवम्बर, 2016 तक वैध था। 2011–2016 के दौरान परियोजना के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप दोनों सरकारें इस समझौता ज्ञापन की अवधि को 5 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए

सहमत हो गईं, नवम्बर, 2016 में बीईईपी (8 नवम्बर, 2016 – 7 नवम्बर, 2021) के अनुवर्तन चरण के लिए इसकी अवधि बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री पीयूष गोयल, माननीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, खनन राज्य मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में बीईईपी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 28 नवम्बर, 2016 को दोनों देशों के बीच अनुवर्तन चरण के समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान हुआ।

द्विपक्षीय संबंधों के अंतर्गत पूरे किए गए कार्यकलापः

- अंतिम ईसीबीसी–आर दस्तावेज (इकोनिवास संहिता 2018) को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह के दौरान 14 दिसंबर, 2018 को लागू किया गया था। एक अनुपालन टूल और एक लघु एनीमेशन फिल्म भी प्रदर्शित की गई।
- ऊर्जा दक्षता और थर्मली कम्फर्टेबल (ईईटीसी) भवन डिजाइन के लिए चयनित बिल्डरों और विकासकर्ताओं (लगभग 20–30) की क्षमताओं को 4 क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है। 250 भवन पेशेवरों को चैरेट्स, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगोष्ठियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।
- ऊर्जा दक्षता और थर्मली कंफर्टेबल (ईईटीसी) भवनों पर राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया गया है और प्रत्येक वर्ष लगभग 10 भवनों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो 2018 से शुरू हुई हैं।
- प्राकृतिक वायु–संचार डिजाइन के लिए एक सार्वजनिक–डोमेन कम्प्यूटेशनल फ्ल्यूड डॉयनामिक्स (सीएफडी) आधारित इंटरफेस विकसित किया गया है।
- चयनित राज्यों (3 राज्यों – गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश) में ऊर्जा दक्षता और थर्मल कंफर्टेबल आवासीय और वाणिज्यिक भवनों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक रोडमैप स्वीकार किया जाता है तथा व्यावसायिक और आवासीय दोनों भवनों में दक्षता और थर्मल कम्फर्ट के संबंध में राज्य और शहर स्तर (4–8 शहरों) पर भवन विनियम बनाए जाते हैं।

6. भारत–फ्रांस

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय और फ्रेंच इनवायरनमेंट एण्ड एनर्जी मेनेजमेंट एजेंसी के बीच 20 फरवरी, 2006 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और फ्रेंच इनवायरनमेंट एण्ड एनर्जी मेनेजमेंट एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन की अवधि को 17 अप्रैल, 2009 को अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया।

भारत फ्रांस सहयोग की उपलब्धियां

(I) हरियाणा और पंजाब में राज्य अभिहित एजेंसियों में ऊर्जा दक्षता पर जागरुकता पैदा करने के लिए ऊर्जा सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ii) मांग पक्ष प्रबन्धन इंटरनेट पोर्टल का सफलतापूर्वक सृजन किया गया है और एडीईएमई की सहायता से इसे शुरु किया गया है और यह www.bee-dsm.in पर उपलब्ध है।

(iii) एमएसएमई ऊर्जा खपत की बेंचमार्किंग और मैपिंगः बीईई से एकत्र किए गए डेटा का विभिन्न एसएमई समूहों के लिए विश्लेषण किया गया, जिसके बाद अंतरिम रिपोर्ट परिचालित की गई।

ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहयोग को पुनर्जीवित करने और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, बीईई और एडीईएमई के बीच 17 अक्तूबर, 2018 को एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। बीईई और एडीईएमई के बीच सहयोग के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- इलेक्ट्रिक परिवहन (चार्जिंग अवसंरचना, स्मार्ट चार्जर, स्मार्ट ग्रिड इंटरैक्शन आदि) पर विशेष ध्यान देने सहित स्थायी गतिशीलता का विकास;

- ऊर्जा दक्षता संकेतकों के लिए क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता संबंधित डेटा के संग्रह, उपयोग और विश्लेषण के लिए उपकरणों का विकास;
- आईएनडीसी के लिए वैश्विक उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु सीओ2 उत्सर्जन और जीएचजी डेटा के संग्रह, उपयोग और विश्लेषण के लिए उपकरणों का विकास;

2.2 अन्तर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यक्रम

1. ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागिता (आईपीईईसी)

- ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागिता (आईपीईईसी) एक उच्च स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय मंच है, जिसमें विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता (ईई) के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ाना और वैश्विक रूप से सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता से लाभ होने वाली नीतियां बनाना है। मई, 2009 में इसकी स्थापना से ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सुधार एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आईपीईईसी, ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों के बीच भागीदारी करके, ऊर्जा दक्षता से संबंधित सूचना का आदान प्रदान कर विश्व भर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देता है और ऊर्जा दक्ष शुरुआतों को सहायता देता है। आईपीईईसी द्वारा समर्थनकारी शुरुआतें इसके सदस्य और गैर सदस्य देशों तथा निजी क्षेत्रदोनों के लिए खुली हुई हैं।
- आईपीईईसी के सदस्यों में आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, दि यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, रशियन फेडरेशन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, इंग्लैंड और अमरीका शामिल हैं। जी20 ऊर्जा दक्षता कार्य योजना की घोषणा से आईपीईईसी का प्रसार महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ गया है। भारत चार क्षेत्रों अर्थात् ऊर्जा दक्षता निधीयन, औद्योगिक ऊर्जा प्रबन्धन, परिवहन और बिजली का उत्पादन करने के क्षेत्रों में भागीदारी कर रहा है। यह साझेदारी आईपीईईसी के सदस्यों और अन्य संस्थाओं के स्वैच्छिक सहयोग (वीसी) पर निर्भर करती है। इस स्वैच्छिक सहयोग में वित्तीय और इन–काइंड सहयोग शामिल है।
- आईपीईईसी एक कार्यकारी समिति (ईएक्ससीओ), एक नीति समिति (पीओसीओ) और एक सचिवालय द्वारा संचालित है। अब तक नीति समिति की 16 बैठकें हो चुकी हैं और अंतिम बैठक फरवरी, 2019 को बुलाई गई थी। कार्यकारी समिति की 20 बैठकें हो चुकी हैं और अंतिम बैठक सितंबर, 2018 को बुलाई गई थी।
- ऊर्जा दक्षता सहयोग (आईपीईईसी) के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को भंग किए जाने की संभावना है और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा दक्षता कार्य को बढ़ाने के लिए सहयोग और तालमेल किया जाना है; सिद्धांतों में उल्लिखित अनुसार "ऊर्जा दक्षता केंद्र" बनाया जा रहा है। इस हब का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ऊर्जा दक्षता कार्य को बढ़ाने के लिए सहयोग और तालमेल करना है। इसकी सहायक कर्मचारियों के साथ एक अलग पहचान और एक अलग बजट होगा। इसमें सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो आईपीईईसी के कार्य समूह से जुड़ा होगा, और इसमें दोहरापन नहीं होगा। यह मौजूदा गतिविधियों और आईईए में उचित एकीकरण सुनिश्चित करेगा। केंद्र कार्य प्रोग्राम एक स्वतंत्र केंद्र संचालन समिति द्वारा देखा जाएगा। इन सिद्धांतों में केंद्र के लिए एक सचिवालय की स्थापना का भी उल्लेख किया गया है जो सभी केंद्र देशों के नागरिकों के लिए खुला होगा।

2. स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय (सीईएम)

2010 में सृजित, स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय (सीईएम) एक वैश्विक मंच है जहाँ प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ और पेशेवर ज्ञान रखने वाले देश एक साथ मिलकर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं और उन नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें सुविधाजनक बनाते हैं।

- सीईएम में 28 भागीदार सदस्य देश हैंः ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय कमीशन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड (पर्यवेक्षक), नॉर्वे, पोलैंड (पर्यवेक्षक), रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- 22 विस्तृत सीईएम वर्क–स्ट्रीम (पहल और अभियान) वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव लाने में मदद करते हैं। वर्ष भर चलने वाली इन गतिविधियों का एक या एक से अधिक सीईएम सदस्यों द्वारा नेतृत्व किया जाता है, जो देशों में एक या अधिक विभागों के साथ समन्वय करते हैं।
- दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ संगठनों (जैसे आईआरईएनए, आईईए, यूएनईपी, यूनिडो, एनआरईएल, एलबीएनएल, आदि) ने कई बार सीईएम के कार्य में अपने सहायक सलाहकारों की सेवाएं प्रदान की हैं और सलाह दी है।
- वैंकूवर, कनाडा में 27–29 मई, 2019 को दसवीं सीईएम बैठक का आयोजन किया गया।

सीईएम में बीईई की नियुक्तिः

1. एसईएडी (अत्यधिक–दक्ष उपकरण और उपस्कर लगाना)

ऊर्जा को बचाने के लिए सरकारों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, ज्ञान को कार्य रूप में बदलना, और ऊर्जा कुशल उत्पादों को शामिल करने के लिए वैश्विक बाजारों को आगे बढ़ाना। एसईएडी दुनिया भर में ऊर्जा–कुशल उपकरणों, प्रकाश व्यवस्था और उपकरणों के निर्माण, खरीद और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के बीच एक स्वैच्छिक सहयोग है। एसईएडी की 19 सदस्य सरकारें वैश्विक पहलों, उद्योग और नागरिक समाज, और एक–दूसरे के साथ जुड़कर सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने, उन्हें साझा करने तथा ऊर्जा कुशल उपकरणों और साजो–सामान के लिए बाजार में बदलाव लाने की गति को प्रोत्साहित करने, सुविधा प्रदान करने और नीतियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती हैं।

2. एसीसी (उन्नत कूलिंग चुनौती)

उन्नत कूलिंग चुनौती (एसीसी) सरकारों, कंपनियों और अन्य पणधारियों से अत्यधिक कुशल एयर कंडीशनर बनाने, उसे प्रोत्साहित या स्थापित करने या कूलिंग समाधान करने का आग्रह करती है, जो स्मार्ट, जलवायु अनुकूल और सस्ती हो। यह अभियान ऊर्जा और संबंधित सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, संस्थागत खरीदारों, और संगठनों से प्रतिबद्धता, सहायक कार्यों और समर्थन की मांग करता है।

3. ईएमडब्ल्यूजी (ऊर्जा प्रबंधन कार्य समूह)

ईएमडब्ल्यूजी गतिविधियां ऊर्जा बचत की विशाल क्षमता के कारण आईएसओ 50001 जैसी ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) पर ध्यान केंद्रित करती हैं। आईएसओ 50001 मानक तकनीकी रूप से कठोर और विश्व स्तर पर प्रासंगिक है, जो कॉर्पोरेट लक्ष्यों के साथ–साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं की प्रगति को मापने का एक विश्वसनीय साधन प्रदान करता है। इस संरचना में संगठन के भीतर ऊर्जा के उपयोग के सभी पहलू तथा प्रबंधन, कार्यात्मक और व्यावसायिक यूनिट दल एवं सभी कर्मचारियों शामिल हैं।

4. ईएमसी (ऊर्जा प्रबंधन अभियान)

ऊर्जा प्रबंधन कार्य समूह (ईएमडब्ल्यूजी) पहल के अंतर्गत ऊर्जा प्रबंधन अभियान ठोस कार्यों को चलाने के लिए एक आसान तंत्र प्रदान करता है तथा आईएसओ 50001 की दृश्यता तथा सरकारों, संस्थानों और निजी क्षेत्र के संगठनों के बीच साझेदारी के अवसरों को बढ़ाता है। 2016 में शुरू किए गए इस अभियान ने ईएमडब्ल्यूजी को व्यापक प्रभाव के लिए अपने संसाधनों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है।

5. ईवी–30@30

ईवी 30@30 अभियान में भागीदार देशों में 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को लागू करने और उनकी 30% बिक्री हिस्सेदारी प्राप्त करने में तेजी लाने के लिए एक सामूहिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान इलेक्ट्रिक यात्री कारों, हल्की वाणिज्यिक वैनों, बसों और ट्रकों (बैटरी–इलेक्ट्रिक, प्लग इन हाइब्रिड और ईंधन सैल वाहन टाइप सहित) के लिए बाजार का समर्थन करता है। यह तैनात वाहनों को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना की व्यवस्था करने की दिशा में भी काम करता है।

3. ब्रिक्स

छठी स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान, ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच ऊर्जा दक्षता पर सहयोग करने के लिए 26 मई, 2015 को मेरिडा, मेक्सिको में ऊर्जा दक्षता पर ब्रिक्स के सदस्य देशों की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के भाग के रूप में, रूसी पक्ष ने ब्रिक्स सदस्य देशों के विचार के लिए ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता संवर्धन में समझौता–ज्ञापन (एमओयू) की प्रति परिचालित की थी।

ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान रूस में 20 नवंबर, 2015 को समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता–ज्ञापन के ढांचे के तहत, ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता पर एक कार्यकारी समूह स्थापित किया गया था। 'ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता' पर कार्य समूह की पहली बैठक 5 जुलाई, 2016 को विजाग में आयोजित की गई थी। ऊर्जा मंत्रियों की दूसरी बैठक 7 जून, 2017 को बीजिंग चीन में आयोजित की गई थी।

मंत्री स्तर की तीसरी बैठक के प्रणेता के रूप में, ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता पर कार्य समूह की तीसरी बैठक 17 और 18

मई, 2018 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। बैठक का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता कार्य समूह के कार्यों के निष्कर्षों और विचार–विमर्शों पर उच्च स्तरीय चर्चा (मंत्री स्तरीय) करना था। सदस्य देशों के मंत्रियों द्वारा उच्च–स्तरीय विचार–विमर्श में संयुक्त रूप से सहयोग करने और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने के साथ–साथ नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया।

स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए प्रभावी ऊर्जा बदलाव पर विशेष ध्यान देने के साथ सदस्य देशों में तैयार किए गए ऊर्जा क्षेत्र के रोडमैप की सराहना की गई। मंत्री स्तरीय बैठक के अलावा, 5 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ समस्याओं और चुनौतियों को साझा करने के लिए उद्योगों और अन्य क्षेत्रों के व्यापार परिषद के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा हुई।

जी20 (समूह–20)

जी20, या समूह 20, आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक सहयोग के लिए मुख्य अंतरराष्ट्रीय मंच हैः यह प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान करता है और ऐसी सार्वजनिक नीतियां बनाता है जिनसे इनका समाधान हो सके। यह यूरोपीय संघ और 19 देशों से बना हैः जर्मनी, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की।

जी20 सदस्य, एक साथ, 85% वैश्विक सकल उत्पाद करते हैं, जो विश्व जनसंख्या का दो–तिहाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% है। भारत ने एलएनजी, कार्बन एकत्रीकरण और भंडारण, विकासशील देशों के लिए वित्त–पोषण, ऊर्जा डेटा पारदर्शिता और डिजिटाइजेशन पर ऊर्जा मंत्री की विज्ञप्ति को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखा।

आईईए (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी)

भारत और आईईए के बीच सहयोग आईईए 2009 और 2011 की मंत्री स्तरीय बैठक तथा नवंबर 2013 के दौरान आईईए की मंत्री स्तरीय बैठक, दोनों के दौरान भारत की भागीदारी, तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य जारी करने के परिणामस्वरूप तेजी से बढ़ा और व्यापक हुआ।

मार्च, 2017 में, सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ गहन परामर्श के बाद, भारत एक संघ देश के रूप में आईईए में शामिल हो गया। यह वैश्विक ऊर्जा शासन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ तथा आईईए के लिए वास्तव में एक वैश्विक ऊर्जा संगठन बनने और प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। तब से, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एलईए समितियों, बैठकों और कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। आईईए ने भारतीय ऊर्जा समुदायों और नीति निर्माताओं के साथ हमारे निष्कर्षों को साझा करने के लिए नई दिल्ली में जुलाई, 2018 में भावी कूलिंग रिपोर्ट को लागू करने जैसे प्रमुख प्रकाशन जारी किए।

अब तक की गतिविधियाँः

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने भारत में पहली बार नई दिल्ली में 10 से 13 दिसंबर तक भारत के लिए ऊर्जा दक्षता प्रशिक्षण सप्ताह की सह–मेजबानी की। संयोग से यह कार्यक्रम 14 दिसंबर को भारत

के 28वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के साथ संपन्न हुआ जिसमें भारत सरकार के सभी स्तरों पर सरकारी संस्थानों और सहायक संगठनों से 100 से अधिक ऊर्जा दक्षता वाले पेशेवरों को एक साथ एक मंच पर लाया गया। 20 से अधिक भारतीय राज्यों के अधिकारियों और उद्योग के पेशेवरों ने आईईए प्रशिक्षण सप्ताह कार्यक्रम में भाग लिया, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान–प्रदान किया, अपने ज्ञान को बढ़ाया तथा ऊर्जा दक्षता और व्यावसायिक नेटवर्क का विस्तार किया। प्रशिक्षण सप्ताह में भवनों, उपकरणों और साजो–सामान, उद्योग एवं नगरपालिका तथा उपयोगिता सेवाओं में ऊर्जा दक्षता नीति पर चार समानांतर पाठ्यक्रम शामिल थे।

आईईए 2015 से उद्योग, भवनों, डीएसएम, नगरपालिकाओं, डेटा संकेतकों पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा दक्षता नीति की योजना बनाने, कार्यान्वयन और मूल्यांकन पर अनुभव साझा करने के लिए पेरिस में ऊर्जा दक्षता प्रशिक्षण सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इन ऊर्जा दक्षता प्रशिक्षण सप्ताह के दौरान बीईई और विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों के साथ–साथ राज्य नामित एजेंसियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है।

3

ब्यूरो का लेखा

3.1 पूंजीगत संरचना

3.2 वित्तीय परिणामों का सारांश

3.3 ब्यूरो की कार्यशैली में सुधार अथवा सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए उपाय

3.4 लेखों का वार्षिक विवरण

3.1 पूंजीगत संरचना

विद्युत मंत्रालय से प्राप्त 50 करोड़ रुपए की निकाय निधि का उपयोग ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 20 के अधीन केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना के लिए किया गया। 50 करोड़ रुपए की इस निकाय निधि का निवेश शासी परिषद् के अनुमोदन से 1 मई, 2003 से 20 वर्ष की अवधि के लिए एनटीपीसी में प्रत्येक 10 लाख रुपए के एनटीपीसी के प्रतिभूत, असंपरिवर्तनीय, गैर–संचयी मोच्य कर–योग्य बांडों (सीरीज XVII) में किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष 4.24 करोड़ रुपए (लगभग) की अदायगी करने की शर्त है। ब्याज का उपयोग बीईई के आवर्ती और गैर–आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कोई नई निधि नहीं डाली गई है।

उपर्युक्त के अलावा, बीईई की निकाय निधि में वृद्धि करने के लिए विद्युत मंत्रालय से 31.49 करोड़ की राशि प्राप्त की गई। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक में 31.49 करोड रुपए की निकाय निधि को सावधि जमा के निवेश से ब्याज के रूप में 1.47 करोड़ रुपए की राशि अर्जित की गई।

इस वृद्धि से बीईई की कुल निकाय निधि 31/3/2019 को 81.49 करोड़ रुपए हो गई।

3.2 वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, ब्यूरो ने मैसर्स एनटीपीसी लि0 में निवेश की गई 50 करोड़ रुपए की निकाय निधि पर ब्याज के रूप में 424.00 लाख रुपए और राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश की गई 31.49 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निकाय निधि पर भी ब्याज के रूप में 147.16 लाख रुपए अर्जित किए। इसके अतिरिक्त ब्यूरो ने ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा–परीक्षकों के लिए 19वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से वसूल किए गए शुल्क के रूप में 439.24 लाख रुपए भी अर्जित किए। स्थापना, प्रशासन व्यय, गैर–आवर्ती और परियोजना व्यय पर बीईई का व्यय क्रमशः 684.52 लाख रुपए, 209.52 लाख रुपए, 41.60 लाख रुपए और 0.46 लाख रुपए रहा। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा लेखा–परीक्षकों के लिए 19वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के लिए 259.83 लाख रुपए का व्यय किया गया। व्यय पर आय के अधिशेष के रूप में 370.75 लाख रुपए को निकाय निधि में अन्तरित किया गया।

3.3 ब्यूरो की कार्यशैली में सुधार अथवा सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए उपाय

वर्ष 2018–19 के दौरान, 03 संयुक्त निदेशकों को सीधी भर्ती के आधार पर, 03 क्षेत्र विशेषज्ञों और 04 प्रोजेक्ट इंजीनियरों को संविदा आधार पर नियुक्त किया गया।

3.4 लेखों का वार्षिक विवरण

लेखों का वार्षिक विवरण अर्थात् विधिवत लेखा–परीक्षित तुलन पत्र, आय और व्यय का विवरण तथा प्राप्ति और भुगतान लेखे के विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली की वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (दायित्व, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), नई दिल्ली के संलग्न तुलन–पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय के लेखे/प्राप्ति एवं भुगतान खाते की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण बीईई के प्रबन्धन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा रिपोर्ट में सर्वोत्कृष्ट लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों व प्रकटन मानदण्डों आदि के अनुरूप वर्गीकरण आदि के सम्बन्ध में केवल लेखांकन उपचार पर नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां निहित हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य व नियमितता) और दक्षता एवं कार्यनिष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों, के अनुपालन से सम्बन्धित वित्तीय संव्यवहारों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों की सूचना निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से दी गई है।

3. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा का संचालन किया है। इन मानकों से यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा का नियोजन और निष्पादन इस प्रकार करें जिससे वित्तीय विवरण के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि ये महत्त्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में जांच आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। इस लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धान्तों और प्रबन्धन द्वारा लगाए गए महत्त्वपूर्ण प्राक्कलनों के निर्धारण के साथ साथ वित्तीय विवरणों के प्रतिवेदन का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें आशा है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार उपलब्ध कराती है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि:

   i. हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

   ii. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, आय व व्यय लेखा /प्राप्तियां और भुगतान लेखा विद्युत मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित प्रपत्र में तैयार किए गए हैं और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25(1) के अधीन बीईई द्वारा अपनाए गए हैं।

   iii. हमारी राय में बीईई द्वारा धारा 25(1) के अधीन यथा अपेक्षित उपयुक्त खाता बहियां और अन्य उपयुक्त रिकार्डों का रखरखाव किया गया है जैसा कि ऐसी खाता बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   iv. हम यह भी सूचना देते हैं कि:

क. लेखों पर टिप्पणियां

तुलन पत्र

परिसम्पत्तियाँ

निवेश – उदि्दष्ट/स्थायी निधि से (अनुसूची 9) रू. 43,370,92 लाख

उपरोक्त में विजया बैंक में सावधि जमा के रूप में धारित (एक वर्ष की अवधि के लिए) रू. 3,000.00 लाख और विजया बैंक में बचत एवं संवरण (सेविंग्स एवं स्वीप) खातों में विभिन्न स्कीमों नामतः कोर्पस फंड, पीआरजीएफईई,

वीसीएफईई, एस एवं एल शुल्क इत्यादि के धारित रू. 35,370.92 लाख की राशि सम्मिलित है, जो "अनुसूचित बैंकों में बैंक खाते" के अंतर्गत "चालू परिसम्पत्तियाँ ऋण, अग्रिम इत्यादि" (अनुसूची 11) के अंतर्गत प्रत्येक स्कीम हेतु पृथकतः दर्शाई जानी चाहिए थी।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप "निवेश–उद्दिष्ट/स्थायी निधि से" (अनुसूची 9) तथा "चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि" (अनुसूची 11) में प्रत्येक में 38,370.92 लाख रुपए की राशि क्रमानुसार अधिक और कम दर्शाई गई है।

ख. अनुदान सहायता

₹115.42 करोड़ की कुल अनुदान सहायता (जिसमें पिछले वर्ष खर्च न किए गए ₹65.26 करोड़ का आरम्भ शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹40.19 करोड़ की राशि, ₹9.97 करोड़ का अर्जित ब्याज) में से बीईई, वर्ष के दौरान ₹74.96 करोड़ की राशि का उपयोग न कर सकी और 31 मार्च, 2019 को उपयोग न की जा सकी शेष राशि ₹40.46 करोड़ रह गई।

ग. प्रबन्धन पत्र

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल न की गई विसंगतियों की सूचना प्रतिकारक/निवारक उपाय के लिए अलग से जारी किए गए प्रबन्धन पत्र के माध्यम से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक को दी गई।

v. पिछले पैरा में दी गई हमारी टिप्पणी के अधीन, हम यह सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से सम्बन्धित तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा खाता–बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित और इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबन्ध –I में वर्णित महत्वपूर्ण मामलों एवं अन्य मामलों के अधीन उक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप निम्नलिखित के बारे में सत्य व स्पष्ट सूचना देते हैं:

क) जहां तक इसका तुलन–पत्र से सम्बन्ध है, 31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार बीईई के कार्यों को दर्शाता है और

ख) जहां तक इसका आय एवं व्यय खाते से सम्बन्ध है, उस तारीख को समाप्त वर्श के व्यय की आय से अधिकता।

भारत के सी एण्ड एजी के लिए और की तरफ से

(राजदीप सिंह)
मुख्य निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड–III, नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31 अक्तूबर, 2019

अनुबन्ध–1

{पैरा 4 (vi) में संदर्भित}

क्र.सं.		विसंगतियां
1.	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	बीईई में कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा विंग मौजूद नहीं है। आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य विद्युत मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय के द्वारा किया जाता है जोकि 31 मार्च 2018 तक संपूर्ण है।
2.	आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	बीईई द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र की उप–विधियों का अनुपालन किया गया है। बीईई की प्रारूप उप–विधियां बनाई गईं हैं और इन्हें विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन एवं अधिसूचना के लिए भेजा गया है। बीईई द्वारा जीएफआर नियमों के अनुपालन में राज्य अभिहित एजेंसियों की सुदृढ़ता योजना के अधीन सम्बन्धित राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्तन प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
3.	अचल परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति	2016–17 और 2017–18 की अवधि के लिए अचल परिसम्पत्तियों, का प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य पूरा हो चूका है। तथापि 2018–19 के लिए यही कार्य चल रहा है।
4.	सामान–सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति	मालसूची के भौतिक सत्यापन की कोई प्रणाली नहीं है।
5.	उन पर लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, बीईई को आयकर से छूट प्राप्त है। अन्य देयताओं जैसेकि टीडीएस का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है।
6.	लेखापरीक्षा के दौरान प्रेक्षित वित्तीय प्रतिवेदन संबंधी महत्वपूर्ण जोखिम	नही
7.	वर्ष के दौरान चोरी, अपयोजन, उपधा तथा गबन इत्यादि के कारण रोकड़ अथवा सरकारी सम्पत्ति की हानि का विवरण	नही

Principal Director

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), नई दिल्ली के वार्षिक खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर जवाब

क. लेखों पर टिप्पणियां

तुलन पत्र

परिसंपत्तियां

उद्दिष्ट/स्थायी निधि से निवेश (अनुसूची 9) रू. 43,370.92 लाख

उपरोक्त में विजया बैंक में सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) के रूप में धारित (एक वर्ष की अवधि के लिए) रू. 3,000.00 लाख और विजया बैंक में बचत एवं संवरण (सेविंग्स एवं स्वीप) खातों में विभिन्न स्कीमों नामतः कोर्पस फंड, पीआरजीएफईई, वीसीएफईई, एस एवं एल शुल्क इत्यादि के धारित रू. 35,370.92 लाख की राशि सम्मिलित है, जो "अनुसूचित बैंकों में बैंक खाते" के अंतर्गत "चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि" (अनुसूची 11) के अंतर्गत प्रत्येक स्कीम हेतु पृथकतः दर्शाई जानी चाहिए थी।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप "निवेश – उद्दिष्ट/स्थायी निधि से" (अनुसूची 9) तथा "चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि" (अनुसूची 11) में प्रत्येक में रू. 38,370.92 लाख की राशि क्रमानुसार अधिक और कम दर्शाई गई है।

जवाब

कृपया अधिसूचित सामान्य प्रारूप में अनुसूचियों हेतु टिप्पणियां एवं अनुदेश देखें। अनुसूची–9– उद्दिष्ट/स्थायी निधि से निवेश के संबंध में, यह वर्णित है कि सभी अवशिष्ट निवेश अनुसूची–9 में दर्शाए जाने हैं। बीईई को भारत सरकार से एनएमईईई पदाधिकारियों के प्रतिष्ठापन व्यय की पूर्ति हेतु बीईई कोर्पस के संवर्धन के निमित्त रू. 30.00 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, तदनुसार, उसको अनुसूची–9 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि अनुसूची–9 में दर्शाए गए सभी आंकड़े बीईई की आय एवं व्यय लेखा का अंश नहीं हैं, जबकि, यह सीधा तुलन पत्र में जाता है।

ख. अनुदान सहायता

₹115.42 करोड़ की कुल अनुदान सहायता (जिसमें पिछले वर्ष खर्च न किए गए ₹65.26 करोड़ का आरम्भ शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त ₹40.19 करोड़ की राशि, ₹9.97 करोड़ का अर्जित ब्याज) में से बीईई, वर्ष के दौरान ₹74.96 करोड़ की राशि का उपयोग कर सकी और 31 मार्च, 2019 को उपयोग न की जा सकी शेष राशि ₹40.46 करोड़ रह गई।

जवाब

31 मार्च, 2019 को ₹40.46 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा चुका है। यह राशि प्रतिबद्ध देयताओं के मद्दे थी जिसका 2019–20 के दौरान उपयोग किया जाएगा। वर्ष 2018–19 के दौरान अर्जित ₹2.62 करोड़ की ब्याज राशि को बीईई ने दिनांक 14 जून, 2019 के अपने पत्र संख्या 01/205/लेखा/2011 के द्वारा भारत कोष के माध्यम से वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय), विद्युत मंत्रालय को 12/06/2019 को वापस कर दिया है।

अनुबन्ध–1

{पैरा सी (ii) में संदर्भित}

क्र.सं.		विसंगतियां	जवाब
1.	आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	बीईई में कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा विंग मौजूद नहीं है। आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य विद्युत मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय के द्वारा किया जाता है जोकि 31 मार्च 2018 तक संपूर्ण है।	विद्युत मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) के द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य किया जाता है और उनके द्वारा सरकारी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।
2.	आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	बीईई द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र के उप–नियमों का अनुपालन किया गया है। बीईई के प्रारूप उप–नियम बनाए गए हैं और इन्हें विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन एवं अधिसूचना के लिए भेजा गया है। बीईई द्वारा जीएफआर नियमों के अनुपालन में राज्य अभिहित एजेंसियों की सुदृढ़ता योजना के अधीन सम्बन्धित राज्यों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्तन प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।	लेखा परीक्षा की टिप्पणी का नोट कर लिया गया है।
3.	अचल आस्तियों के सत्यापन की प्रणाली	2016–17 और 2017–18 की अवधि के लिए अचल परिसम्पत्तियों, का प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य किया जा चुका है। तथापि 2018–19 के लिए यही कार्य नहीं किया गया।	2018–19 की अवधि के लिए अचल परिसम्पत्तियों, का प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य चल रहा है।
4.	मालसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	मालसूची के भौतिक सत्यापन की कोई प्रणाली नहीं है।	लेखा परीक्षा की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है।
5.	उन पर लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, बीईई को आयकर से छूट प्राप्त है। अन्य देयताओं जैसेकि टीडीएस का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं
6.	लेखापरीक्षा के दौरान प्रेक्षित वित्तीय प्रतिवेदन संबंधी महत्वपूर्ण जोखिम	नहीं	कोई टिप्पणी नहीं
7.	वर्ष के दौरान चोरी, अपयोजन, उपधा तथा गबन इत्यादि के कारण रोकड़ अथवा सरकारी सम्पत्ति को हानि का विवरण	नहीं	कोई टिप्पणी नहीं

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

समग्र निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ऊर्जा संरक्षण निधि	1	5,21,90,74,498	5,12,68,65,317
रिजर्व और अधिशेष	2	7,778	9,150
निर्धारित/स्थायी निधियां	3	48,00,63,593	73,98,93,303
प्रतिभूत ऋण और उधार	4	–	–
अप्रतिभूत ऋण और उधारी	5	–	–
आस्थगित ऋण देयताएं	6	–	–
चालू देयताएं व प्रावधान	7	14,09,74,874	11,33,51,311
जोड़		**5,84,01,20,743**	**5,98,01,19,081**
परिसम्पत्तियाँ			
अचल परिसम्पत्तियाँ	8	1,55,96,517	1,44,56,266
निवेश–निर्धारित/स्थायी निधियों से	9	4,33,70,91,906	4,33,91,81,311
निवेशक – अन्य	10	–	–
चालू परिसम्पतियां, ऋण व अग्रिम आदि	11	1,48,74,32,320	1,62,64,81,504
विविध व्यय (बटटे् खाते या समायोजित न की गई सीमा तक)			
जोड़		**5,84,01,20,743**	**5,98,01,19,081**
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25		

दिनांकः 20 मई, 2019
स्थानः नई दिल्ली

के.के. नायर	**पंकज कुमार**	**अभय बाकरे**
वित्त एवं लेखा अधिकारी	सचिव	महानिदेशक

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

आय	अनुसूची	वर्तमान साल	पिछला साल
सेवाओं से आय	12	–	–
अनुदान/उप–सहायता	13	–	–
शुल्क/अंशदान	14	4,47,50,627	4,04,51,189
निवेशों से आय (निधियों में निर्धारित/स्थायी निधियों में निवेश पर आय	15	5,71,16,296	5,14,57,458
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	–	–
अर्जित ब्याज (निवल)	17	5,09,85,079	4,40,47,361
अन्य आय	18	12,21,196	4,17,263
तैयार माल और तैयार किए जा रहे माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति पर	19	–	–
जोड़ (क)		**15,40,73,198**	**13,63,73,271**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	6,84,52,757	5,75,79,975
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि।	21	2,09,52,095	2,14,61,986
अन्य व्यय (परियोजना व्यय)	21	2,60,30,191	1,87,01,420
अनुदान/उप–सहायता आदि पर व्यय	22	–	–
ब्याज	23	–	–
मूल्यह्रास	8	15,32,613	15,92,586
अचल परिसम्पतियों की बिक्री पर हानि	8	30,282	3,05,233
जोड़ (ख)		**11,69,97,938**	**9,96,41,200**
व्यय से अधिक आय होने पर बकाया (क–ख)		3,70,75,260	3,67,32,071
विशेष रिजर्व में अन्तरण		–	–
सामान्य रिजर्व में/से अन्तरण		–	–
अधिशेष राशि के रूप में शेष राशि को समग्र निधि में लाया गया		**3,70,75,260**	**3,67,32,071**
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25		

दिनांकः 20 मई, 2019
स्थानः नई दिल्ली

के.के. नायर	**पंकज कुमार**	**अभय बाकरे**
वित्त एवं लेखा अधिकारी	सचिव	महानिदेशक

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. आरम्भ शेष				**I. व्यय**			
क) हाथ में नकदी	-		-	स्थापना व्यय (अनुसूची 20)	7,01,85,373		5,65,85,058
ख) बैंक बकाया (अनुसची–11)				प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21)	2,12,27,982	9,14,13,355	2,07,09,009
बचत खाते – बीईई	12,90,38,129		14,50,11,800				
जमा खाते	67,00,98,904		61,60,66,041				
बचत खाते – योजना स्कीम	65,26,44,371		75,88,30,620	**II. विभिन्न परियोजनाओं की निधियों में से किए गए भुगतान**			
बचत खाता (यूनिडो डालर खाता)	4,71,85,915		4,71,20,328	(अनुसूची 21)		66,67,57,898	91,51,70,358
बचत खाता (यूएनडीपी)	493	1,49,89,67,812	2,64,483				
II. प्राप्त अनुदान (अनुसची–3)				**III. किए गए निवेश और जमा राशि**			
ख) भारत सरकार से (जारी योजना 2017–20)				बचत खाता (पीआरजीएफईई) (अनुसूची 9)	2,15,39,681		5,15,62,875
बीईई				बचत खाता (वीसीएफईई) (अनुसूची 9)	2,33,48,382		2,15,34,356
राज्य अभिहित अभिकरणों (एसडीए) का सुदृढ़ीकरण	10,49,00,000		23,00,00,000	बचत खाता (मानव व लेबलिंग शुल्क) (अनुसूची 9)	46,87,82,532		40,19,10,015
राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)	-		4,00,00,000	बीईई निकाय में वृद्धि (एनएमईईई) (अनुसूची 9)	15,00,00,000	66,36,70,595	-
ईएपी							
बीईई–जीईएफ–डब्ल्यूबी–एमएसएमई परियोजना	3,21,00,000			**IV. अचल परिसम्पत्तियों और किए जा रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय**			
ईसी							
ऊर्जा संरक्षण जागरुकता	10,00,00,000			अचल परिसम्पत्तियों की खरीद (अनुसूची 8)		48,38,349	27,86,890
बढ़ाई गई ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन	16,49,11,500	40,19,11,500	36,98,50,000				
अन्य (अनुसची–3)				**V. अधिशेष राशि / ऋणों की वापसी**			
मानक व लेबलिंग (एसएण्डएल)	15,36,72,086		15,00,00,000	एमओपी / जीओआई को वापस किए गए अधिशेष / अनुदानों		4,00,70,862	5,64,73,787
यूएनडीपी	-	15,36,72,086	-	पर ब्याज (अनुसूची 3 व 7)			
III. निवेशों पर आय / अन्य प्राप्तियां							
क) उदिदष्ट निधियां							
निकाय–बीईई (अनुसची–15)	4,22,83,836		4,24,00,000	**VI. अन्य भुगतान**			
निकाय–एनएमईईई (अनुसची–15)	42,52,558		1,04,12,389	पीआरजीएफईई (अनुसूची–1)	66,64,70,639		15,518
पीआरजीएफईई (अनुसची–1)	2,22,45,320		5,15,78,393	वीसीएफईई (अनुसूची–1)	20,856		2,700
वीसीएफईई (अनुसची–1)	2,33,69,238		2,15,37,056	मानक व लेबलिंग कार्यक्रम (एसएण्डएल) (अनुसूची–1)	15,36,72,086		13,62,39,631
ई–प्रमाणपत्र शुल्क (अनुसची–1)	713	9,21,51,665	58,57,143	निवेश खाते में वापसी (एसएण्डएल कार्यक्रम) (अनुसूची–3)	-	82,01,63,581	1,37,60,369
ख) उदिदष्ट निधियां				अग्रिम (अनुसूची–11)			
बीईई				गब्बर सिंह	-		3,300
ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)	-		8,06,002	एस के खन्डारे	-	-	2,500
राज्य पदनामित एजेंसियों (एसडीए) का सुदृढ़ीकरण	2,79,866		13,18,249				
राज्य ऊजा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)	-		3,47,087	अन्य प्राप्तियां (अनुसूची–11)			
राज्य ऊजा संरक्षण निधि (एचआरडी)	5,56,382		10,93,786	अशोक कुमार	11,572		-
लघु व मध्यम उद्यम (एसएमई)	7,46,433		15,22,076	इण्डिया इन्टरनेशनल सेंटर	11,400		-
कृषि मांग पक्ष प्रबन्धन (एजी डीएसएम)	5,09,963		11,06,438	पंकज कुमार	3,606		-
नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एमयू डीएसएम)	1,03,497		1,98,405	टीयूवी एसयूडी	6,000	32,578	-
डिस्कॉम्स का क्षमता निर्माण	73,58,942		99,97,657				
ईएपी				अन्य अग्रिम (अनुसूची–11)			
बीईई–जीईएफ–डब्ल्यूबी–एमएसएमई परियोजना	8,80,328		3,79,593	सेन्ट्रल पावर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, बंगलौर	6,76,872		-
ईसी				मुख्य डाकपाल, दिल्ली जीपीओ	-		86,218
ऊर्जा संरक्षण जागरुकता	71,25,661		98,30,031	नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, चेन्नई	79,65,000		-
बढ़ाई गई ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन	66,59,951		1,13,70,421	ओल्ड वर्ल्ड हॉस्पिटेलिटी प्रा. लि.	-		1,33,174
बचत लैम्प योजना (बीएलवाई)	5,77,339		6,00,918	द ताज महल होटल	-	86,41,872	13,00,000
अतिदक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)	14,29,474	2,62,27,836	14,90,199				
अन्य							
यूएनडीपी		-	5,363				
आगे ले जाया गया		2,17,29,30,899	2,52,89,94,478	आगे ले जाया गया		2,29,55,89,090	1,67,82,75,758

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(Amount - ₹)

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	विवरण	चालू वर्ष	
B/F		2,17,29,30,899	2,52,89,94,478	B/F		2,29,55,89,090	1,67,82,75,758
IV. प्राप्त ब्याज				अन्य भुगतान			
बैंक निक्षेपों पर (अनुसूची–11 व 17)	3,03,99,450		4,87,76,856	अप्रदत्त चेक (अनुसूची–7)			
बैंक निक्षेपों पर (मानक व लेबलिंग) (अनुसूची–1 व 11)	13,50,56,183		13,18,76,062	इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर	2,042		-
बचत खाता (अनुसूची–17)	2,46,665		3,15,538	संदीप अलीपुरिया	-		4,170
यूएनडीपी बचत खाता (अनुसूची–3)	83	16,57,02,381	-	श्रेष्ठ सेन गुप्ता	-		10,000
				श्रेया मिश्रा	-	2,042	10,000
V अन्य आय				अन्य चालू देयताएं (कर्मचारियों को देय) (अनुसूची–7)			
विविध आय (प्रोसेसिंग शुल्क व आरटीआई शुल्क) (अनुसूची–18)	12,21,196		4,10,773	अजय माथुर	-		5,92,500
परीक्षा निधि – 2017–18 परीक्षा (अनुसूची–7 व 14)	-		4,04,34,189	संजय सेठ	-	-	8,16,328
परीक्षा निधि – 2018–19 परीक्षा (अनुसूची–7 व 14)	4,39,24,127		-				
ऊर्जा लेखा–परीक्षा प्रत्यायन शुल्क (अनुसूची–14)	8,26,500	4,59,71,823	17,000				
VI. अन्य कोई प्राप्तियां				अन्य चालू देयताएं (अन्य) (अनुसूची–7)			
भवन लेबलिंग शुल्क – ईसीबीसी (अनुसूची–1)	18,00,000		9,00,000	यूएनडीपी को देय		-	58,91,156
बोली प्रोसेसिंग शुल्क – पीआरजीएफईई (अनुसूची–1)	5,000		-				
डाक पाल (डाक टिकटें) (अनुसूची–11)	-		1,967	प्रतिभूति निक्षेप (परिसम्पत्तियां) (अनुसूची–11)			
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री	-		74,604	बॉम्बर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड (ट्रैवल एजेंट)	-		2,00,000
मानक व लेबलिंग (पंजीकृत/लेबलिंग शुल्क) (अनुसूची–1 व 9)	48,73,85,463		40,63,70,304	इण्डिया हैबिटेट सेंटर (सदस्यता प्रतिभूति निक्षेप)	-		1,50,000
यूनिडो (दर अन्तर)	29,07,673		65,587	प्रतिभूति निक्षेप (रिलायंस जियो – 6 डॉगल)	-		6,000
आरईसीपीडीसीएल – पीजीआरएफईई (अनुसूची–9)–14)	66,57,60,000	1,15,78,58,136	-	एमटीएनएल के पर निक्षेप (पीआरआई कनेक्शन)	21,000	21,000	-
एसडीए/एजेंसियों से अनुप्रयुक्त राशियों की वापसी (अनुसूची–3)		10,26,168	1,58,05,638				
व्यपगत होने के कारण पुरांकित चैक				अन्य प्राप्तियां (परिसम्पत्तियां) (अनुसूची–11)			
अप्रदत्त चैक (अनुसूची–7)			-	मानक व लेबलिंग		68	96,720
डीएवीपी	96,326		55,960				
के के भाटिया	-		180	प्रतिभूति निक्षेप व कार्य–निष्पादन प्रतिभूति (अनुसूची–7)			
पीएओ (बीओसी आदि)	14,84,082		-	आयुश टूर्स एण्ड ट्रैवल्स	2,00,000		-
प्रभास कुमार	-		3,000	आईसीएफ कन्सल्टिंग इण्डिया प्रा. लि.	12,27,740		-
राज वर्मा	5,250		-	के पी पेस्ट कंट्रोल	-		1,000
सचि कोलहटकर	-	15,85,658	10,000	प्राइजवाटरहाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी)	-		2,71,000
				रेनबो ग्राफिक्स	-		2,000
अन्य चालू देयताएं (अन्य) (अनुसूची–7)				सिफि टेक्नॉलाजीस लि.	25,000		-
यूएनडीपी देय		1,00,47,761	-	मानक व लेबलिंग	10,25,000	24,77,740	10,25,000
प्रतिभूति निक्षेप व कार्य–निष्पादन प्रतिभूति (अनुसूची–7)				बयाना राशि वापसी (अनुसूची–7)			
अलखनंदा एडवरटाइजिंग	10,000		-	6ठी पी मार्केटिंग	-		50,000
कन्फेडेरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री	1,00,000		-	आदिदैक इंसपेक्शन्स एण्ड सर्विस प्रा. लि.	20,000		-
डेथसु एजिस नेटवर्क मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रा. लि.	22,93,000		-	एक्टिव एनर्जी ओपीसी प्रा. लि.	1,00,000		-
डिजिटल डाटा सॉल्यूशंस	10,000		-	एडवेज	-		50,000
डॉल्फिन प्रिन्टो ग्राफिक्स	5,000		-	एप्टिको	-		2,50,000
इन्वायरमेंटर डिजाइन सॉल्यूशंस प्रा. लि.	-		3,50,000	बॉयकान कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.	1,00,000		-
ग्रेमी कम्युनिकेशन	5,000		-	क्रान्टन ग्रीव्स	-		2,00,000
आईसीएफ कन्सलटिंग इण्डिया प्रा. लि.	1,00,300		12,27,740	अर्नस्ट एण्ड यंग	1,50,000		1,00,000
इदम इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी प्रा. लि.	34,923		-	फिक्की	-		1,00,000
के पी पेस्ट	-		13,000	आईसीएफ काउंसलिंग	-		1,00,000
के के घेल	-		1,20,000	जे के ऑफसेट ग्राफिक्स	-		1,00,000
मुंजाल ट्रेडिंग कम्पनी	97,299		-	लॉयड इंसुलेशन	-		50,000
नरेन्द्र कुमार एण्ड संस	2,38,340		-	लुकास टीवीएस	-		2,00,000
नेशनल प्रोडक्टिविटी कांउसिल	-		1,80,000	एमसीजे एनर्जी इंजीनियर्स प्रा. लि.	1,00,000		-
प्राइजवाटरहाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी)	3,90,000		-	माइक्रो इन्स्ट्रूमेंट्स	-		2,00,000
सक्षम आफिस ऑटोमेशन	5,000		-	निन एनर्जी इण्डिया प्रा. लि.	1,00,000		-
एससीएस इन्टरप्राइजिस	5,00,000		-	ओरिएन्ट इलेक्ट्रिक	-		2,00,000
सार्क एण्ड एसोसिएट्स	-		75,600	प्राइजवाटरहाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी)	-		2,00,000
शिरोमणी त्यागी एण्ड कम्पनी	-		84,000	स्मॉल इण्डस्ट्रीज डिवलेपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया (सिडबी)	2,00,000		-
दि एनर्जी रिसर्च इन्स्टिटच्यूट (टेरी)	9,61,600		-	सोनेक्स प्रिन्ट पैक प्रा. लि.	-		50,000
विनोद सिंघल एण्ड कम्पनी	-		1,92,000	दि एनर्जी रिसर्च इन्स्टिटच्यूट (टेरी)	2,40,000		1,50,000
विशाल टैक्सी सर्विस	4,50,000	52,00,462	-	टीयूवी एसयूडी साऊथ एशिया	-		5,50,000
				उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज	-		2,00,000
प्रतिभूति निक्षेप (देयताएं)				वर्सा ड्राइव्स	-		2,00,000
मानक व लेबलिंग (एसएण्डएल) (अनुसूची–7)		1,32,58,000	1,06,75,000	यश इन्टरनेशनल	-	10,10,000	2,00,000
आगे ले जाया गया		3,57,35,81,288	3,18,70,29,476	आगे ले जाया गया		2,29,90,99,940	1,69,05,01,632

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रुपए में)

पिछला जोड़		3,57,35,81,288	3,18,70,29,476	पिछला जोड		2,29,90,99,940	1,69,05,01,632
बयाना राशि वापसी (अनुसूची–7)				**VII.अंत शेष (अनुसूची–11)**			
एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कालेज ऑफ इण्डिया (एएससीआई)	1,00,000		-	के) हाथ में नकदी			
एक्टिव एनर्जी ओपीसी प्रा. लि.	-		1,00,000	ख) बैंक बकाया			
ऑल इण्डिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल स्टाफ गवर्नमेंट	1,00,000		-	बचत खाते – बीईई	18,04,54,679		12,90,38,129
(एआईआईएलएसजी)	-		1,00,000	जमा खाते	69,95,38,897		67,00,98,904
बॉयकान कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.	30,000		-	बचत खाते – योजना स्कीम	40,46,32,334		65,26,44,371
कलासिक इन्स्ट्रूमेंटेशन प्रा. लि.	-		7,50,000	बचत खाता (यूनिडो डालर खाता)	-		4,71,85,915
साईफ्यूचर इण्डिया प्रा. लि.	50,000		-	बचत खाता (यूएनडीपी)	-	1,28,46,25,910	493
डेंथसु एजिस नेटवर्क मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रा. लि.	1,00,000		-				
इएलए ग्रीन	-		1,50,000				
अर्नस्ट एण्ड यंग	11,00,000		-				
फिक्की	50,000		-				
गेंजीस कन्सल्टेंसी	1,00,000		-				
ग्लोबल इवॉल्यूशनर एनर्जी डिजाइन (जीईईडी)	-		2,40,000				
आईसीएफ कन्सल्टिंग	50,000		-				
इमपेक्ट कम्युनिकेशन्स	50,000		-				
इनफिन्टी एडवरटाइजिंग सर्विस प्रा. लि.	-		2,40,000				
आईएसपीई – एम पावर एनर्जी	50,000		-				
जागरण सॉल्यूशन	3,00,000		-				
केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसिज प्रा. लि.	1,00,000		-				
लॉयड ईंसुलेशन	50,000		-				
महाबौद्ध जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केन्द्र	1,00,000		1,00,000				
एमसीजे एनर्जी इंजीनियर्स	50,000		-				
मिटकॉन कन्सल्टेंसी एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसिज लि.	25,000		-				
मुजाल ट्रेडिंग कम्पनी	50,000		1,00,000				
निन एनर्जी इण्डिया प्रा. लि.	10,000		-				
निर्माण एडवरटाइजिंग प्रा. लि.	1,00,000		-				
निटकॉन	5,000		-				
नॉवल्टी फ्लोरिस्ट	1,00,000		-				
ऑपरेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस	1,00,000		-				
पावरटेक कन्सल्टेंट	1,00,000		-				
प्राइजवाटरहाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी)	-		5,000				
रेनबो ग्राफिक्स	-		16,360				
साई कम्युनिकेशन	10,000		-				
सार्थक एडवोकेट	5,00,000		-				
एसजीएस इण्डिया प्रा. लि.	50,000		-				
श्री एनर्जी एण्ड कार्बन एडवाइजरी सर्विसिज प्रा. लि.	50,000		50,000				
स्पेस एण्ड बिजनेस साल्यूशंस	50,000		-				
टेक एडवरटाइजिंग एण्ड मेनेजमेंट प्रा. लि.	-		2,40,000				
दि एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूट	50,000		-				
टीएलजी इण्डिया प्रा. लि.	50,000		-				
वालिया एण्ड कम्पनी	50,000		-				
विशमेकर्स	-	36,80,000	1,00,000				
जेनिथ एनर्जी सर्विसिज प्रा. लि.							
स्टाफ अग्रिम (परिसम्पत्तियां) (अनुसूची–11)		-	3,000				
ए. फ्रेटास							
प्रतिभूति जमा (परिसम्पत्तियां) (अनुसूची–11)							
प्रतिभूति जमा (हच – सतीश समरवाल)	-		250				
प्रतिभूति जमा (पट्टाकृत किराया – बंदना राय – एस के खंडारे)	52,000		-				
प्रतिभूति जमा (पट्टाकृत किराया – गोपेन्द्र सिंह – मिलिंद बी देवड़ा)	-		50,000				
प्रतिभूति जमा (पट्टाकृत किराया – अर्जुन छत्तवानी – विनिता कंवल)	-		30,000				
सेवा कर प्राधिकरण (अपील के प्रति जमा)	61,16,960	61,68,960	-				
अन्य प्राप्तियां (परिसम्पत्तियां) (अनुसूची–11)							
अजय त्रिपाठी	-		58,612				
अशोक कुमार	-		55,477				
नोवा एकर सर्विसिज इण्डिया	11,040		-				
एनटीएल लेमनीज इण्डिया	2,000		-				
पोसोको	2,82,562		-				
एस के खंडारे	-		41,281				
विशाल मेहता	-	2,95,602	9,988				
कुल		**3,58,37,25,850**	**3,18,94,69,444**	**कुल**		**3,58,37,25,850**	**3,18,94,69,444**

दिनांकः 20 मई, 2019
स्थानः नई दिल्ली

के.के. नायर	**पंकज कुमार**	**अभय बाकरे**
वित्त एवं लेखा अधिकारी	सचिव	महानिदेशक

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

अनुसूची– 1 और 2

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलन–पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनूसूची 1 – ऊर्जा संरक्षण निधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. निकाय निधि				
वर्ष के आरम्भ में बकाया (बीईई)	50,00,00,000		50,00,00,000	
निकाय निधि में अंशदान (निकाय निधि में वृद्धि)	31,49,11,500	81,49,11,500	15,00,00,000	65,00,00,000
2. मानक व लेबलिंग शुल्क (एसएण्डएल)				
आगे ले जाया गया आरम्भ शेष	2,27,63,43,077		1,87,47,46,701	
घटाएं: वर्ष के दौरान योजना में अन्तरित निधि	15,36,72,086		13,62,39,631	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	48,73,85,463		40,63,70,304	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज	17,55,80,268	2,78,56,36,722	13,14,65,703	2,27,63,43,077
3. भवन लेबलिंग शुल्क				
आगे ले जाया गया आरम्भ शेष	27,00,000		18,00,000	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	18,00,000	45,00,000	9,00,000	27,00,000
4. पीआरजीएफईई				
आगे ले जाया गया आरम्भ शेष	1,05,65,32,747		1,00,49,69,872	
घटाएं: वर्ष के दौरान व्यय	66,64,70,639		15,518	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	5,000		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज	2,22,45,320	41,23,12,428	5,15,78,393	1,05,65,32,747
5. वीसीएफईई				
आगे ले जाया गया आरम्भ शेष	44,23,99,937		42,08,65,581	
घटाएं: वर्ष के दौरान व्यय	20,856		2,700	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज	2,33,69,238	46,57,48,319	2,15,37,056	44,23,99,937
6. ई–प्रमाणपत्र ट्रेडिंग शुल्क				
आगे ले जाया गया आरम्भ शेष	62,40,245		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	713		94,93,460	
घटाएं: वर्ष के दौरान व्यय (पंजीकरण शुल्क की छूट)	-		28,27,500	
घटाएं: ई–प्रमाणपत्र प्रभारों पर स्रोत पर कर–कटौती	-	62,40,958	4,25,715	62,40,245
7. व्यय की तुलना में अधिक आय का आरम्भ शेष	69,26,49,311		65,59,17,240	
जोड़ें: आय व व्यय खाते से अन्तरित निवय आय का शेष	3,70,75,260	72,97,24,571	3,67,32,071	69,26,49,311
वर्ष के अन्त में बकाया		**5,21,90,74,498**		**5,12,68,65,371**

अनूसूची 2 – रिजर्व व अधिशेष	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. पूंजी रिजर्व: {वस्तु के रूप में अनुदान (यूएसएआईडी)}–(बीईई)				
पिछले खाते के अनुसार	9,150		107,573	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों की बिक्री पर व्यय/हानि	-		96,808	
घटाएं: अनुदान के अधीन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास	1,372	7,778	1,615	9,150
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	-	-	-	-
3. विशेष रिजर्व:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	-	-	-	-
4. सामान्य रिजर्व:				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	-	-	-	-
जोड़		**7,778**		**9,150**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

अनुसूची 3

(राशि रुपए में)

अनुसूची 3 – निर्धारित निधियां (सरकार अनुदान)	उपकरणों, भवनों और ऊर्जा दक्षता अनुसंधान केन्द्र के लिए मानक, संहिताएं और लेबलिंग				ऊर्जा उक्षता के लिए राज्य अभिहित अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण						मांग पक्ष प्रबंधन (कृषि, नगरपालिका और एसएमई)								बीईई–जीईएफ–डब्ल्यूबी एमएसएमई परियोजना (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)		ऊर्जा संरक्षण जागरूकता, पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिता स्कीम		राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)						कुल	
	मानक और लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल)		ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और मौजूदा भवन (ईसीबीसी)		एसडीए सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (एसडीए)		राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि में योगदान		एचआरडी कार्यक्रम		अभिहित उपभोक्ता और एसएमई		कृषि मांग पक्ष प्रबन्धन (एजी.डीएसएम)		नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एमयू डीएसएम)		डिस्कॉम्स का क्षमता निर्माण						राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)		बचत लैम्प योजना (बीएलवाई)		अतिदक्षता उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)			
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. नकद में अनुदान																														
क) निधियों का आरम्भ शेष	4000	-	806002	26721440	9112471	17765909	347087	-	14137354	18785000	19931477	33184079	13623431	7884955	3317022	4620256	188483235	197706913	3901974	13232068	159775922	86479115	196948208	241640806	12143040	11542122	30113148	28622949	652644371	688185612
ख) निधियों में वृद्धि																														
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	104900000	230000000	-	40000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32100000	-	100000000	369850000	164911500	-	-	-	-	-	401911500	639850000
ii. निधियों के किए गए निवेशों पर आय	-	-	-	806002	279866	1318249	-	347087	556382	990351	746433	1522076	509963	498417	103497	198405	7358942	9997657	880328	379593	7125661	9695139	6659951	11370421	577339	600918	1429474	1490199	26227836	39214514
iii. परिसम्पत्तियों/अन्यों की बिक्री से आय	-	4000	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11537	-	-	-	-	-	11537	10000
iv. अन्य परिवर्धन/अपसेन्ट ग्रांट पर ब्याज की वापसी	-	-	72389746	-	-	-	-	-	-	103435	-	-	-	608021	-	-	-	-	-	-	-	134892	-	-	-	-	-	-	-	846348
v. अन्य वृद्धि/उपयोग न किए गए अनुदान की वापसी	-	-	-	-	1011070	4837319	-	-	-	2663372	-	-	-	6105000	-	417107	-	-	-	-	-	1782840	15098	-	-	-	-	-	72389746	-
जोड़ (क+ख)	4000	4000	73195748	27527442	115303407	253923477	347087	40347087	14693736	22542158	20677910	34710155	14133394	15096393	3420519	5235768	195842177	207704570	36882302	13611661	266901583	467941986	368546294	253011227	12720379	12143040	31542622	30113148	1154211158	1383912112
ग) निधियों के प्रयोजन से उपयोग/व्यय																														
i. पूंजीगत व्यय																														
– अचल परिसम्पतियां	-	-	-	-	64049	120401	-	-	-	-	64049	60200	-	-	64049	60399	64049	60200	-	-	-	-	-	617425	-	-	-	-	256196	918625
– जांच परीक्षण उपकरण (हस्तगत स्टॉक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	64049	120401	-	-	-	-	64049	60200	-	-	64049	60399	64049	60200	-	-	-	-	-	617425	-	-	-	-	256196	918625
ii. राजस्व व्यय																														
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	4860034	2230392	2519644	2057160	-	-	-	-	1030950	759517	-	-	847746	1441727	618516	264516	-	-	1387016	910122	16137707	11158540	-	-	-	-	27401613	18821974
– अन्य प्रशासनिक/परियोजना व्यय	-	-	67529712	24491048	109551532	242633445	-	40000000	12074400	8404804	8952986	13958961	9859067	1472962	2206822	416620	57481589	18896619	14137189	9709687	65004496	307255942	97569394	44240571	-	-	181720	-	444548907	711480659
– विद्युत मंत्रालय को वापस किए गए निवेशों से आय	-	-	806002	-	1318249	-	347087	-	1093786	-	1522076	-	498417	-	198405	-	9997657	-	379593	-	9695139	-	-	-	-	-	-	-	25856411	-
– विद्युत मंत्रालय को वापस अदा की अनुप्रयुक्त राशि (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72389746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72389746	-
– अन्य (ईसीबीसी मैनुअल्स की बिक्री से आय–विद्युत मंत्रालय को वापसी)	4000	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	4000	-	-	608021	-	-	-	-	-	-	-	134892	-	11370421	46483	600918	-	1490199	-	14204451	46483
– जोड़	4000	-	73195748	26721440	113391425	244690605	347087	40000000	13168186	8404804	11510012	14718478	10965505	1472962	3252973	1858347	140487508	19161135	14516782	9709687	76221543	308166064	289989022	55445594	600918	-	1671919	-	749322628	730349116
जोड़ (ग)	4000	-	73195748	26721440	113455474	244811006	347087	40000000	13168186	8404804	11574061	14778678	10965505	1472962	3317022	1918746	140551557	19221335	14516782	9709687	76221543	308166064	289989022	56063019	600918	-	1671919	-	749578824	731267741
आय व व्यय खातें में अन्तरित राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में निवल शेष (क)	-	4000	-	806002	1847933	9112471	-	347087	1525550	14137354	9103849	19931477	3167889	13623431	103497	3317022	55290620	188483235	22365520	3901974	190680040	159775922	78557272	196948208	12119461	12143040	29870703	30113148	404632334	652644371
ख) वस्तु के रूप में अनुदान																														
क) निधियों का आरम्भ शेष	3702285	3738541	-	-	84359	937	-	-	-	-	42152	419	-	-	42279	-	42140	-	-	-	-	-	3512659	4081882	-	-	-	-	7425874	7821779
ख) निधियों में वृद्धि																														
i. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	64049	120401	-	-	-	-	64049	60200	-	-	64049	60399	64049	60200	-	-	-	-	-	617425	-	-	-	-	256196	918625
iii. अन्य वृद्धियों/परिसम्पतियों	3702285	3738541	-	-	148408	121338	-	-	-	-	106201	60619	-	-	106328	60399	106189	60200	-	-	-	-	3512659	4699307	-	-	-	-	7682070	8740404
जोड़ (क+ख)																														
ग) निधियों के प्रयोजन से उपयोग/व्यय																														
i. पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– अचल परिसम्पतियां	-	455	-	-	-	741	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11537	-	-	-	-	-	11537	1584
– अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री/पर हानि	-	455	-	-	-	741	-	-	-	-	-	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11537	-	-	-	-	-	11537	1584
जोड़																														
ii. राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	3702285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3702285	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय (मूल्यह्रास)	-	35801	-	-	59364	36238	-	-	-	-	42481	18079	-	-	42532	18120	42476	18060	-	-	-	-	698534	1186648	-	-	-	-	885387	1312946
जोड़	3702285	35801	-	-	59364	36238	-	-	-	-	42481	18079	-	-	42532	18120	42476	18060	-	-	-	-	698534	1186648	-	-	-	-	4587672	1312946
जोड (ग)	3702285	36256	-	-	59364	36979	-	-	-	-	42481	18467	-	-	42532	18120	42476	18060	-	-	-	-	710071	1186648	-	-	-	-	4599209	1314530
वर्ष के अन्त में निवल शेष (ख)	-	3702285	-	-	89044	84359	-	-	-	-	63720	42152	-	-	63796	42279	63713	42140	-	-	-	-	2802588	3512659	-	-	-	-	3082861	7425874
सकल जोड़ (क+ख)	-	3706285	-	806002	1936977	9196830	-	347087	1525550	14137354	9167569	19973629	3167889	13623431	167293	3359301	55354333	188525375	22365520	3901974	190680040	159775922	81359860	200460867	12119461	12143040	29870703	30113148	407715195	660070245

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अनुसूची 3

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलन–पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 3 – निर्धारित निधियां (अन्य)	वाणिज्यिक भवन के लिए यूएनडीपी जीईएफ–बीईई परियोजना		यूएनडीपी–जीईएफ–बीईई परियोजना		मानक व लेबलिंग कार्यक्रम		जोड़	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ग	चालू वर्ष	पिछला वर्ग	चालू वर्ष	पिछला वर्ग	चालू वर्ष	पिछला वर्ग
क. अनुदान								
क) निधियों का अथ शेष	493	2,03,522	7,79,83,248	8,69,16,814	-	-	7,79,83,741	8,71,20,336
ख) निधियों में वृद्धि								
I. दान/अनुदान	-	-	-	-	15,36,72,086	15,00,00,000	15,36,72,086	15,00,00,000
ii. निधियों में से किए गए निवेशों पर आय	83	5,363	-	-	-	-	83	5,363
iii. अन्य वृद्धि/दर अंतर	-	-	29,07,673	65,587	-	-	29,07,673	65,587
जोड़ (क+ख)	**576**	**2,08,885**	**8,08,90,921**	**8,69,82,401**	**15,36,72,086**	**15,00,00,000**	**23,45,63,583**	**23,71,91,286**
ग) निधियों के प्रयोजन से इनका उपयोग/व्यय								
i. पूंजीगत व्यय								
- अचल परिसम्पतियो	-	-	64,049	-	30,43,252	1,80,601	31,07,301	1,80,601
- जांच परीक्षण उपकरण (हस्तगत स्टॉक)	-	-	-	-	7,48,149	-	7,48,149	-
जोड़	**-**	**-**	**64,049**	**-**	**37,91,401**	**1,80,601**	**38,55,450**	**1,80,601**
ii. राजस्व व्यय								
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	68,71,710	70,21,764	64,15,831	51,61,808	1,32,87,541	1,21,83,572
- अन्य प्रशासनिक और परियोजना व्यय	-	2,08,392	1,04,93,228	19,77,389	14,34,64,854	13,08,97,222	15,39,58,082	13,30,83,003
- वापस की गई राशि	576	-	-	-	-	1,37,60,369	576	1,37,60,369
जोड़	576	2,08,392	1,73,64,938	89,99,153	14,98,80,685	14,98,19,399	16,72,46,199	15,90,26,944
	576	20,8,392	1,74,28,987	89,99,153	15,36,72,086	15,00,00,000	17,11,01,649	15,92,07,545
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
आय और व्यय खाते में अन्तरित–राशि	**-**	**493**	**6,34,61,934**	**7,79,83,248**	**-**	**-**	**6,34,61,934**	**7,79,83,741**
वर्ष के अन्त में निवल अकाया (क)								
ख. वस्तु के रूप में अनुदान	-	-	37,478	93,695	18,01,839	16,75,418	18,39,317	17,69,113
क) निधियों का अथ शेष								
ख) निधियों में वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	-
I. दान/अनुदान (ब्याज आय से प्राप्त लेपटॉप)	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधियों में से किए गए निवेशों पर आय	-	-	64,049	-	30,43,252	1,80,601	31,07,301	1,80,601
iii. अन्य वृद्धि/परिसम्पतियां/निधि अन्तरण					1,51,452		1,51,452	-
iv. जांच परीक्षण उपकरण (हस्तगत स्टॉक)					35,50,833		35,50,833	-
	-	-	-	-	7,48,149	-	7,48,149	-
ग) निधियों के प्रयोजन से इनका उपयोग/व्यय	**-**	**-**	**1,01,527**	**93,695**	**92,95,525**	**18,56,019**	**93,97,052**	**19,49,714**
i. पूंजीगत व्यय								
- अचल परिसम्पतियां								
- जांच परीक्षण उपकरण की बिक्री/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय (मूल्यह्रास)	-	-	40,610	56,217	4,69,978	54,180	5,10,588	1,10,397
जोड़	**-**	**-**	**40,610**	**56,217**	**4,69,978**	**54,180**	**5,10,588**	**1,10,397**
जोड़ (ग)	**-**	**-**	**40,610**	**56,217**	**4,69,978**	**54,180**	**5,10,588**	**1,10,397**
वर्ष के अन्त में निवल बकाया (ख)	**-**	**-**	**60,917**	**37,478**	**88,25,547**	**18,01,839**	**88,86,464**	**18,39,317**
सकल जोड़ (क+ख)	**-**	**493**	**6,35,22,851**	**7,80,20,726**	**88,25,547**	**18,01,839**	**7,23,48,398**	**7,98,23,058**
						अनुसूची–3	**40,77,15,195**	**66,00,70,245**
						अन्य	**7,23,48,398**	**7,98,23,058**
						जोड़	**48,00,63,593**	**73,98,93,303**

अनुसूची – 4

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 4 – प्रतिभूत ऋण और उधार	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्रीय सरकार		–		–
2. राज्य सरकार		–		–
3 वित्तीय संस्थान				
क) सावधि ऋण	–		–	
ख) प्रोदभूत परन्तु देय नहीं ब्याज	–	–	–	–
4. बैंक				
क) सावधि ऋण	–		–	
- प्राप्त तथा देय ब्याज	–		–	
ख) अन्य ऋण	–		–	
- प्राप्त तथा देय ब्याज	–	–	–	–
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		–		–
6. डिबेंचर और बांड		–		–
7. अन्य		–		–
जोड़				

अनुसूची 5 और 6

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 5 – सुरक्षित ऋण और नियम	वर्तमान साल	पिछला साल
1. केन्द्रीय सरकार	–	–
2. राज्य सरकार	–	–
3. वित्तीय संस्थान	–	–
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	–	–
ख) अन्य ऋण	–	–
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	–	–
6. डिबेंचर और बॉन्ड	–	–
7. सावधि जमा	–	–
8. अन्य	–	–
जोड़	–	–

(राशि रूपए में)

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण और देयता	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पुंजीगत उपकरण और अन्य परिसम्पतियों को गिरवी रखकर सुरक्षित स्वीकृति	–	–
इ) अन्य	–	–
जोड़	–	

अनुसूची 7

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 7 – वर्तमान देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू देयताएं				
फुटकर ऋणदाता				
फुटकर ऋणदाता (अन्य)		18,06,345		19,64,602
धरोहर जमा राशि		69,01,005		42,31,005
प्रतिभूति राशि		1,00,35,216		62,87,494
प्रतिभूति जमा (मानक और लेबलिंग)				
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (एयरकंडिशनिंग)	1,12,25,000		98,25,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (लाइटिंग)	26,50,000		27,50,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (रेफरिजरेशरन)	75,25,000		63,50,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (ट्रांसफार्मर्स)	2,23,25,500		2,14,00,500	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (ब्लास्ट)	2,25,000		2,25,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (छत के पंखे)	83,50,000		76,00,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (कम्प्यूटर)	12,75,000		12,50,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (सीटीवी)	71,50,000		59,25,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (डीजी सैट)	2,00,000		1,00,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (गैस स्टोव)	20,80,000		16,05,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (गीजर)	2,25,000		2,25,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (इन्वर्टर – एसीएस)	1,08,000		-	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (इन्वर्टर)	1,00,000		1,00,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (एलईडी लैम्प)	50,50,000		16,75,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (एलपीजी गैस	4,75,000		4,75,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (मोटर्स)	11,75,000		12,00,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (कार्यालय स्वचालन उत्पाद)	1,00,000		1,00,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (पम्प)	1,39,25,000		1,40,25,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (मोनोसेट पम्प)	2,25,000		2,25,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (ओपन वॉल समरसीबल पम्प सेट)	5,75,000		3,25,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (समरसीबल पम्प सेट)	14,50,000		7,75,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) (वाशिंग मशीन)	3,00,000		3,00,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (वाटर हीटर)	1,85,75,000		1,69,25,000	
प्रतिभूति जमा – (मानक और लेबलिंग) - (चिलर)	3,25,000	10,56,13,500	-	9,33,80,500
शुल्क एवं कर		6,73,673		21,38,708
अन्य चालू देयताएँ		1,59,45,135		40,09,614
जोड़ (क)		**14,09,74,874**		**11,20,11,923**
ख. प्रावधान				
कराधान के लिए		-		-
ग्रेचुअटी		-		-
सेवानिवृति / पेंशन / (अवकाश वेतन / प्रतिनियुक्ति पदधारकों के लिए पेशन अंशदान				
वेतन और लेखा अधिकारी, रेल मंत्रालय	-		7,95,286	
लेखा अधिकारी (नकद) टीईसी	-	-	5,44,102	13,39,388
संचयित अवकाश नकदीकरण		-	-	
व्यापार वारंटियां / दावे		-	-	
जोड़ (ख)		**-**		**13,39,388**
जोड़ (क+ख)		**14,09,74,874**		**11,33,51,311**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 8

(राशि रुपए में)

क्र. स.	अनुसूची 8 अचल परिसम्पतियों के विवरण	मूल्यह्रास की दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास ब्लॉक					निवल ब्लॉक	
			01.04.18 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	बिक्री	समा योजन	31.03.19 को	01.04.18 को	वर्ष के दौरान	बिक्री	समा योजन	31.03.19 को	31.03.19 को	31.03.18 को
	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो													
(ए)	मूर्त परिसम्पतियां													
	भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	भवन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	फर्नीचर व फिक्सचर	10%	1,49,47,486	1,15,101	-	-	1,50,62,587	86,44,544	6,37,159	-	-	92,81,703	57,80,884	63,02,942
	कार्यालय उपस्कर	15%	1,00,90,754	3,00,505	2,87,280	-	1,01,03,979	74,42,453	4,12,574	2,08,998	-	76,46,029	24,57,950	26,48,301
	वाहन	15%	28,07,424	-	-	-	28,07,424	19,89,122	1,13,250	-	-	21,02,372	7,05,052	8,18,302
	कम्प्युटर	60%	2,27,11,242	3,41,301	-	-	2,30,52,543	2,21,21,119	3,38,744	-	-	2,24,59,863	5,92,680	5,90,123
(बी)	अमूर्त परिसम्पतियां													
	कम्प्युटर – सॉफ्टवेयर	60%	2,88,77,537	39,626	-	-	2,89,17,163	2,88,29,029	30,886	-	-	2,88,59,915	57,248	48,508
	जोड़		7,94,34,443	7,96,533	2,87,280	-	7,99,43,696	6,90,26,267	15,32,613	2,08,998	-	7,03,49,882	95,93,814	1,04,08,176
	वस्तु के रूप में अनुदान के अधीन परियम्पत्तियां													
(ए)	मूर्त परिसम्पतियां													
	भूमि		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	भवन		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	फर्नीचर व फिक्सचर	10%	5,00,845	-	-	-	5,00,845	1,24,646	37,620	-	-	1,62,266	3,38,579	3,76,199
	कार्यालय उपस्कर	15%	82,30,140	19,79,205	-	-	1,02,09,345	57,63,290	5,39,386	-	-	63,02,676	39,06,669	24,66,850
	वाहन	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कम्प्युटर	60%	94,56,319	3,57,600	70,875	-	97,43,044	84,74,743	5,21,716	62,937	-	89,33,522	8,09,522	9,81,576
(बी)	अमूर्त परिसम्पतियां													
	कम्प्युटर – सॉफ्टवेयर	60%	1,02,38,444	10,26,692	32,130	-	1,12,33,006	1,00,14,979	2,98,625	28,531	-	1,02,85,073	9,47,933	2,23,465
	जोड़		2,84,25,748	33,63,497	1,03,005	-	3,16,86,240	2,43,77,658	13,97,347	91,468	-	2,56,83,537	60,02,703	40,48,090
	सकल जोड		10,78,60,191	41,60,030	3,90,285	-	11,16,29,936	9,34,03,925	29,29,960	3,00,466	-	9,60,33,419	1,55,96,517	1,44,56,266
	पिछला वर्ष		11,12,49,924	27,85,894	61,75,627	-	10,78,60,191	9,61,00,269	30,17,544	-	57,13,888	9,34,03,925	1,44,56,266	1,51,49,655

अनुसूची 9 और 10

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 9 – निर्धारित/स्थायी निधियों से निवेश		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभुतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. निकाय निधि			
एनटीपीसी के बांड (20 वर्ष)	50,00,00,000		50,00,00,000
विजया बैंक–एफडीआर (निकाय निधि में संवर्धन)	30,00,00,000	80,00,00,000	15,00,00,000
5. सब्सिडियां और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य			
विजया बैंक – पीआरजीएफईई	41,23,12,428		1,05,65,32,747
विजया बैंक – वीसीएफईई	46,57,48,319		44,23,99,937
विजया बैंक – मानक व लेबलिंग शुल्क	2,65,90,31,159	3,53,70,91,906	2,19,02,48,627
जोड़		**4,33,70,91,906**	**4,33,91,81,311**

(राशि रुपए में)

अनुसूची 10 – निवेश – अन्य		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और ब्रांड		-	-
5. सब्सिडियां और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य		-	-
जोड़		**-**	**-**

अनुसूची 11

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू परिसम्पत्तियां				
I. हाथ में नकदी		-		-
II. बैंक खाते				
a) अनुसूचित बैंकों में				
- चालू खातों में				
बीईई (यूनीडो यूएसडी खाता–विजया बैंक, दिल्ली)	-		4,71,85,915	
- अनुसूचित बैंकों में एफडीआर (विजया बैंक)	69,95,38,897		67,00,98,904	
- बचत खातों में				
बीईई (विजया बैंक बचत व स्वीप खाता – बीईई)	16,73,58,355		12,88,62,637	
बीईई (विजया बैंक बचत व स्वीप खाता – योजना स्कीम)	40,46,32,334		65,26,44,371	
बीईई (विजया बैंक बचत – जांच)	1,26,56,673		2,014	
बीईई (आईओबी, चैन्नई)	23,699		51,982	
बीईई (आईओबी, दिल्ली)	4,15,952		1,21,496	
बीईई (यूएनडीपी परियोजना – विजया बैंक, दिल्ली)	-	1,28,46,25,910	493	1,49,89,67,812
III. हाथ में डाक टिकटें		17,661		21,722
IV. जाँच परीक्षण उपकरण (मानक लेबलिंग परियोजना)		59,74,400		52,26,251
जोड़ (11क)		**1,29,06,17,971**		**1,50,42,15,785**

अनुसूची 11

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां				
I. अन्य अग्रिम				
सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बैंगलोर	6,76,872		-	
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, चेन्नई	87,15,000		-	
ओल्ड वर्ड हॉस्पिटेलिटी प्रा. लि.	3,88,400		1,33,174	
दि ताज महल होटल	13,00,000		13,00,000	
मुख्य डाकपाल, दिल्ली जीपीओ	-	1,10,80,272	86,218	15,19,392
II. स्टॉफ अग्रिम				
अनिल राय	1,526		-	
गब्बर सिंह	-		3,300	
सौरभ डिड्डी	2,500		-	
एस.के. खंदारे	-	4,026	2,500	5,800
III. अन्य निक्षेप (प्रतिभूति निक्षेप)				
बालमेर लॉरी एण्ड कम्पनी लि. (ट्रेवल एजेंट)	2,00,000		2,00,000	
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस– मेम्बरशिप सिक्युरिटी डिपोजिट)	10,000		10,000	
ईंडिया हेबिटेट सेंटर (मेम्बरशिप सिक्युरिटी डिपोजिट)	1,50,000		1,50,000	
एमटीएनएल में जमा (पीआरआई कनेक् ान)	21,000		-	
पैट्रोल पम्प में जमा (लक्ष्मी सुपर सर्विसिस)	10,000		10,000	
प्रतिभूति जमा (पट्टा किराया–बंदना राय–एस के खंदारे)	-		52,000	
प्रतिभूति जमा (रिलायंस जियो – 6 डोंगल)	6,000		6,000	
सेवा कर प्राधिकरण (अपील के प्रति जमा)	-	3,97,000	61,16,960	65,44,960
IV. प्रोदभूत आय				
निवेशों/सावधि जमा प्राप्तियों पर				
बीईई	4,37,86,568		2,34,47,604	
एनएमईईई	1,45,95,320		41,31,582	
एस एण्ड एल	12,65,21,815	18,49,03,703	8,59,97,730	11,35,76,916
V. अन्य प्राप्तियोग्य राशियां				
बीईई				
अभय बाकरे	11,537		-	
अशोक कुमार	11,572		-	
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर	11,400		-	
मिलिंद बी. देवरे	6,926		6,926	
एनटीपीसी लिमिटेड	1,16,164		-	
पंकज कुमार	3,606		-	
पोसोको	1,00,540		3,83,102	
मुख्य डाकपाल	201		79	
टीयूवी एसयूडी	6,000	2,67,946	-	3,90,107
मानक व लेबलिंग (एस एण्ड एल)				
विजया बैंक (बिल डेस्क)	68		-	
फ्यूचर रिटेल लि.	500		500	
जॉनसन इलैक्ट्रिकल एपलायंसिस	1,000		1,000	
ला गज्जर मशीनरीज प्रा. लि.	59,470		59,470	
नोवा एक्र सर्विसिज इण्डिया	-		11,040	
एनटीएल लेमनिस इण्डिया	-		2,000	
ओसवाल पम्प्स प्रा. लि.	2,000		2,000	
राजेश्वरी इंजीनियरिंग वर्क्स	18,200		18,200	
वीडियोकॉन इण्डस्ट्रीज लि.	2,000		2,000	
वेदर मेकर्स	510	83,748	510	96,720
VI. पूर्व प्रदत्त व्यय				
पूर्व प्रदत्त व्यय (एयर कंडीशनर)	4,917		-	
पूर्व प्रदत्त व्यय (कम्प्युटर)	46,796		1,02,505	
पूर्व प्रदत्त व्यय (अभिदान – स्वामी न्यूज)	643		495	
पूर्व प्रदत्त व्यय (रखरखाव – फ्रेकिंग मशीन)	16,172		16,172	
पूर्व प्रदत्त व्यय (स्टाफ कार बीमा)	9,126	77,654	12,652	1,31,824
जोड़ (11ख)		**19,68,14,349**		**12,22,65,719**
जोड़ (11क +11ख)		**1,48,74,32,320**		**1,62,64,81,504**

अनुसूची 12 और 13

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 12 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्रियों से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) रद्दी की बिक्री	-	-
2) सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रोसेसिंग प्रभार	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्शकारी सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन व दलाली	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपस्कर/सम्पत्ति	-	-
ङ) अन्य	-	-
जोड़	**-**	**-**

(राशि रुपए में)

अनुसूची 13 – अनुदान/उप–सहायता	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(प्राप्त स्थिर अनुदान व उप–सहायता)		
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (सरकारें)	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याण निकाय	-	-
5. अन्तराष्ट्रीय संगठन	-	-
जोड़	**-**	**-**

अनुसूची 14 और 15

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 14 – शुल्क/अभिदान	चालु वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क (राष्ट्रीय स्तर प्रमाणन परीक्षा–2017/18वीं परीक्षा)	-	4,04,34,189
वार्षिक शुल्क (राष्ट्रीय स्तर प्रमाणन परीक्षा–2018/19वीं परीक्षा)	4,39,24,127	-
3. ऊर्जा लेखा–परीक्षा प्रत्यायन शुल्क	8,26,500	17,000
जोड़	**4,47,50,627**	**4,04,51,189**

(राशि रुपए में)

अनुसूची 15 – निवेशों से आय	निर्धारित निधियों में निवेश		निवेश–अन्य	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(निवेशों पर आय–निधियों में अन्तरित निर्धारित/स्थायी निधियों से)				
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बांड (एनटीपीसी – निकाय निधि)	4,24,00,000	4,24,00,000	-	-
ग) एफडीआर (विजया बैंक – निकाय निधि)	1,47,16,296	90,57,458	-	-
2. लाभांश				
क) शयरों पर	-	-	-	-
ख) म्युचूअल निधि प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
जोड़	**5,71,16,296**	**5,14,57,458**	**-**	**-**
निर्धारित/स्थायी निधियों में अन्तरित				

अनुसूची 16 और 17

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) रॉयल्टी से आय		-	-
ख) प्रकाशनों से आय		-	-
जोड़		**-**	**-**

(राशि रुपए में)

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सावधि जमा पर			
क) अनुसूचित बैंकों में			
ब्याज आय – विजया बैंक (बीईई–लेखा–01)	4,91,67,146		-
ब्याज आय – विजया बैंक (परीक्षा–लेखा–06)	15,71,268	5,07,38,414	4,37,31,823
ख) अन्य गैर–अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) संस्थानों में		-	-
घ) अन्य		-	-
2. बचत खातों में			
क) अनुसूचित बैंकों में			
प्राप्त ब्याज – आईओबी बैंक, चैन्नई	1,697		22,426
प्राप्त ब्याज – आईओबी बैंक, दिल्ली	8,347		1,12,629
प्राप्त ब्याज – विजया बैंक, दिल्ली	2,23,217		1,80,469
प्राप्त ब्याज – विजया बैंक, दिल्ली (परीक्षण)	13,404	2,46,665	14
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) डाकघर बचत खातों में		-	-
घ) अन्य		-	-
3. ऋणों पर			
क) कर्मचारी/स्टाफ		-	-
ख) अन्य		-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज		-	-
5. ग्रेजुअटी निधि पर ब्याज		-	-
जोड़		**5,09,85,079**	**4,40,47,361**

अनुसूची 18, 19 और 20

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदानों से प्राप्त की गई परिसंपत्तियां या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	-	6,490
2. विविध प्राप्तियां	12,21,196	4,10,773
3. अन्य (फुटकर बकायों का प्रतिलेखन)	-	-
जोड़	**12,21,196**	**4,17,263**

(राशि रुपए में)

अनुसूची 19 – तैयार और तैयार किए जा रहे माल में वृद्धि/(कमी)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) इति शेष स्टॉक		
- तैयार माल	-	-
- तैयार किया जा रहा माल	-	-
ख) घटाएंः अथ शेष स्टाक	-	-
- तैयार माल	-	-
- तैयार किया जा रहा माल	-	-
निवल वृद्धि/कमी (क–ख)	**-**	**-**

(राशि रुपए में)

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	आय व व्यय	प्राप्तियां व भुगतान	आय व व्यय	प्राप्तियां व भुगतान
क) वेतन और मजदूरी	5,38,91,641	5,43,83,738	4,44,97,718	4,52,38,699
ख) भत्ते और बोनस	23,96,792	23,96,792	26,60,481	26,67,407
ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्रभार	77,63,838	76,66,583	58,49,726	54,91,632
घ) अन्य (अवकाश वेतन)	5,13,678	9,66,930	4,53,252	-
ङ) अन्य (पेंशन अंशदान)	10,22,701	19,08,837	8,86,136	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमान्तक लाभ पर व्यय (ग्रेच्युटी)	6,48,035	6,48,035	10,455	10,455
छ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमान्तक लाभ पर व्यय (अवकाश नकदीकरण)	12,73,784	12,73,784	24,35,586	24,35,586
ज) कर्मचारी कल्याण निधि	9,42,288	9,40,674	7,86,621	7,41,279
जोड	**6,84,52,757**	**7,01,85,373**	**5,75,79,975**	**5,65,85,058**

अनुसूची 21

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर-लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आय व व्यय)	(प्राप्तियां व भुगतान)	(आय व व्यय)	(प्राप्तियां व भुगतान)
क) मरम्मत एवं रखरखाव	15,42,735	15,15,794	17,84,753	17,48,433
ख) वाहन संचालन और रखरखाव	11,79,059	15,06,227	19,23,155	18,51,003
ग) डाक, टेलिफोन और संचार प्रभार	9,76,337	9,67,111	10,09,443	10,00,972
घ) प्रिन्टिंग व लेखन सामग्री	11,93,344	18,22,848	21,64,646	15,63,004
ङ) यात्रा और वाहन व्यय	45,20,598	44,58,989	28,40,740	30,76,308
च) कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रशिक्षण पर व्यय	6,56,094	6,61,526	5,30,149	5,26,900
छ) लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	2,12,100	2,55,300	2,12,100	-
ज) विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	4,45,520	2,49,720	4,71,427	2,41,187
झ) विज्ञापन और प्रकाशन	44,460	44,460	5,93,186	5,93,186
ञ) आईपीईईसी को अंशदान	65,27,544	65,27,544	61,46,111	61,46,111
ट) आईएई को अंशदान (सीईएम)	3,94,388	7,82,788	17,01,972	17,01,972
ठ) पूर्व अवधि व्यय	10,61,428	10,61,428	1,14,881	1,14,881
ड) कार्यालय रखरखाव	21,98,417	13,74,176	19,69,405	21,45,034
ढ) बैंक शुल्क	71	71	18	18
जोड़ (क)	**2,09,52,095**	**2,12,27,982**	**2,14,61,986**	**2,07,09,009**

(राशि रुपए में)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आय व व्यय)	(प्राप्तियां व भुगतान)	(आय व व्यय)	(प्राप्तियां व भुगतान)
<u>परियोजना व्यय – (बीईई)</u>				
राष्ट्रीय स्तर प्रमाणन परीक्षा	2,59,83,446	2,60,72,873	1,84,19,977	2,07,78,963
ऊर्जा लेखा परीक्षा प्रत्यायन	46,745	98,534	2,81,443	2,55,154
	2,60,30,191	2,61,71,407	1,87,01,420	2,10,34,117
<u>अनुदान परियोजनाएं (विद्युत मंत्रालय)</u>				
बीईई				
ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)	-	7,23,92,246	-	2,67,21,440
राज्य अभिहित एजेंसियां (एसडीए)	-	11,20,71,176	-	24,47,20,735
राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)	-	-	-	4,00,00,000
मानव संसाधन विकास (एचआरडी)	-	1,20,74,400	-	84,04,804
कृषि व नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एजी एण्ड डीएसएम)	-	98,59,067	-	14,74,552
नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एमयू डीएसएम)	-	30,54,568	-	18,58,347
लघु मध्यम उद्यम (एसएमई)	-	1,00,28,758	-	1,52,11,834
डिस्कॉम का क्षमता निर्माण	-	5,90,03,573	-	1,82,16,555
<u>ईसी</u>				
ऊर्जा संरक्षण जागरूकता (जागरूकता अभियान)	-	6,63,12,959	-	30,84,18,118
राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता संवर्धन मिशन (एनएमईईई)	-	11,35,48,928	-	6,70,62,675
अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)	-	1,81,720	-	-
<u>ईएपी</u>				
बीईई–जीईएफ–डब्ल्युबी–परियोजना	-	1,43,47,834	-	96,67,477
	-	47,28,75,229	-	74,17,56,537
<u>परियोजना व्यय – (अन्य)</u>				
यूएनडीपी परियोजना	-	56,128	-	2,14,411
यूनीडो परियोजना	-	1,77,15,325	-	92,75,536
मानक व लेबलिंग (एस एण्ड एल)	-	14,99,39,809	-	14,28,89,757
	-	16,77,11,262	-	15,23,79,704
जोड़ (ख)	**2,60,30,191**	**66,67,57,898**	**1,87,01,420**	**91,51,70,358**
जोड़ (क+ख)	**4,69,82,286**	**68,79,85,880**	**4,01,63,406**	**93,58,79,367**

अनुसूची 22 और 23

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो**

31 मार्च, 2019 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 22 – अनुदानों/उप–सहायता आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई उप–सहायता	-	-
जोड़		- -

(राशि रूपए में)

अनुसूची 23 ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) सावधिक ऋण पर	-	-
ख) अन्य ऋण पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-
ग) अन्य	-	-
जोड़	-	-

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के
लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 24–महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1) लेखांकन परम्परा

क) जब तक की अन्यथा उल्लेख न किया जाए, ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तथा लेखाकरण की प्रोद्भूत पर तैयार किए जाते हैं।

ख) स्थाई कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के मामले में व्यय नकद आधार पर बुक किया जाता है।

2) सामान की सूची

समान का मूल्यांकन लागत।

3) निवेश

निवेश लागत पर किए जाते हैं।

4) अचल परिसंपत्तियाँ

क. अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है जिसमें आगम भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्यय शामिल है।

ख. गैर–मौद्रिक अनुदानों (निकाय निधि के अतिरिक्त) के माध्यम से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को वर्णित मूल्य पर पूंजीगत किया जाता है और तदनुरूप उसे आरक्षित पूंजी में क्रेडिट किया जाता है।

ग. जिस अनुदान को दर्शाने वाली अचल परिसंपत्तियों में से इतनी मूल्यह्रास राशि कम कर दी जाती है जो वर्ष के दौरान ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रदान की जाती है और अनुदान से सृजित आरक्षित पूंजी में से समान राशि कर दी जाती है।

5) मूल्यह्रास

क. अचल परसिंपत्तियों पर मूल्यह्रास का परिगणन आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दर के अनुसार अवलिखित मूल्य पर किया गया है।

ख. वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी के संबंध में, मूल्यह्रास निम्नानुसार आनुपातिक आधार पर किया गया है:

180 दिनों तक की अवधि के लिए अधिग्रहीत/प्रयुक्त परिसंपत्तियों = छह माह के लिए मूल्यह्रास

180 दिनों से अधिक अवधि के लिए अधिग्रहीत/प्रयुक्त परिसंपत्तियों = पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास

ग. 5000/– रुपए अथवा इससे कम मूल्य की परिसंपत्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रास किया गया है।

घ. अचल परिसंपत्तियों और वस्तु के रूप में अनुदान दर्शाने वाली अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास अलग–अलग किया गया है।

ड़. अप्रयोज्य परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

6) अनुदान एवं राजस्व के लिए लेखांकन

मानक एवं लेबलिंग स्कीम के अंतर्गत प्राप्त लेबलिंग शुल्क सहित अनुदानों और राजस्व का लेखांकन ब्याज आय को छोड़कर वास्तविक प्राप्ति के आधार पर किया गया हैं।

7) सरकारी एवं अन्य अनुदान / उप–सहायता

क. परियोजनाओं को लगाने के लिए पूंजीगत लागत के लिए अंशदान के रूप में प्राप्त सरकारी अनुदानों को पूंजीगत रिजर्व माना गया है।

ख. अचल परिसंपत्तियों के रूप में प्राप्त अनुदान को, ऐसी परिसंपत्तियों पर किए गए निवल मूल्यह्रास को घटाकर पूंजीगत रिजर्व के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

ग. सरकारी एवं अन्य अनुदानों / उप–सहायता को लेखांकन प्राप्ति आधार पर किया जाता है और इन्हें केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों के अंतर्गत आय के रूप में दर्शाया जाता है।

घ. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के मद्दे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किए गए खर्च को निधियां प्राप्त होने के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

8) विदेशी मुद्रा लेनदेन

क. विदेशी मुद्रा लेन–देन का लेखांकन लेन–देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

ख. चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप लाभ / हानि को उपयुक्त परियोजनाओं के अंतर्गत लागत में समायोजित किया गया है।

9) लीज़

लीज़ किरायों का खर्च लीज़ की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

10) सेवानिवृत्ति लाभ

क. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों की मृत्यु / सेवानिवृति पर देय ग्रेच्युटी के प्रति देयता के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से ग्रेच्युटी पॉलिसी ली हुई है।

ख. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण लाभ के प्रति देयता के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की अवकाश नकदीकरण लाभ पॉलिसी ली हुई है।

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के
लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

अनुसूची 25–लेखाओं पर टिप्पणियां

1) आकस्मिक देयताएं

बीईई ने वित्तीय वर्ष 2008 से 2013 के लिए 8,15,59,473/– रुपए की मांग के मद्दे सीमा शुल्क उत्पाद व सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी) को अपील की है/जवाब दिया है। अपीलीय अधिकरण ने दिनांक 27/2/2018 को पारित अन्तिम आदेश संख्या 50937/2018 के द्वारा हमारे पक्ष में अपील को स्वीकार किया है और तद्नुसार, इस अवधि की मांग पर रोक लगा दी गई। अधिकरण के आदेश के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बीईई को 61,16,960 रुपए की राशि वापस मिल गई जो आरम्भ में अपील दायर करते समय जमा कराई गई थी।

2) चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य लेनदेन की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर होता है, जो कम से कम तुलन–पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर है।

3) कराधान

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 49, के अंतर्गत आयकर से छूट में यह प्रावधान है – ''आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अथवा आय, लाभ और प्राप्तियों पर कर के संबंध में उस समय लागू अधिनियम में निर्दिष्ट किसी बात के बावजूद

(क) ब्यूरो;

(ख) मौजूदा ऊर्जा प्रबंधन केंद्र को ब्यूरो के गठन की तारीख से लेकर ब्यूरो की स्थापना की तारीख तक;

प्राप्त अपनी आय, लाभ या प्राप्तियों के संबंध में आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान नहीं करना होगा''।

उपर्युक्त के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत ब्यूरो की कर–योग्य आय नहीं है और इसलिए आयकर हेतु कोई प्रावधान करने पर विचार नहीं किया गया है।

4) विदेशी मुद्रा लेनदेन

ब्यूरो ने आइपीईईसी/आईईए/सीईएम को वार्षिक अंशदान तथा परियोजना के लिए विदेशी यात्रा व्यय के लिए कोई विदेशी यात्रा व्यय नहीं किया है।

ब्यूरो को वित्तीय वर्ष 2012–13 में ''यूनीडो–जीईएफ–बीईई प्रोजेक्ट'' के अन्तर्गत अनुदान के रूप में 18,99,985 अमरीकी डालर प्राप्त हुए हैं। इसमें से शेष 7,28,740 अमरीकी डालर को विजया बैंक के एक अलग विदेशी मुद्रा बैंक खाते में रखा गया है। वर्ष के दौरान, परियोजना व्यय के लिए 7,28,740 अमरीकी डालर को भारतीय मुद्रा (5,00,93,588/–रुपए) में बदलवाकर बीईई के लेखे में स्थानांतरित करवाया गया। 29,07,673/– रुपए के विनिमय दर के उतार चढ़ाव को ''यूनीडो–जीईएफ–बीईई प्रोजेक्ट'' के अर्न्तगत अनुसूची–3 (चिन्हित निधियां–अन्य) में ''निधियों में परिवर्धन'' के अधीन ''अन्य परिवर्धन/दर अन्तराल'' में दर्शाया गया है।

5) सेवानिवृत्ति लाभ

ब्यूरो में ग्रेच्युटी के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को अदा किए गए प्रीमियम के लिए 6,48,035/– रुपए और

बीईई एवं एनएमईईई के नियमित कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण लाभ के लिए 12,73,784/– रुपए की राशि बुक की है। चूंकि बीईई भारतीय जीवन बीमा निगम (एक सरकारी निकाय) के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी/अवकाश नकदीकरण का रखरखाव करता है, इसलिए एलआईसी बीईई के कर्मचारियों के लिए बीमांकक मूल्यांकन करता है। एलआईसी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों के अनुसार 31/3/2019 को ग्रेच्युटी निधि और सामूहिक अवकाश नकदीकरण योजना का बीमांकक मूल्य निम्नानुसार है:

i) ग्रेच्युटी निधि – 83,58,330/– रुपए (पिछले वर्ष –71,57,070/– रुपए)

ii) सामूहिक अवकाश नकदीकरण योजना – 88,48,475/– रुपए (पिछले वर्ष –70,22,033/– रुपए)

6) ब्यूरो ने विभिन्न सरकारी परियोजनाओं की अप्रयुक्त निधियों के संबंध में बैंकों में स्वीप खातों पर ब्याज आय अर्जित की है। अतएव, प्राप्त ब्याज आय में से अप्रयुक्त निधियों पर मासिक औसत बकाया के आधार पर परिकलित ब्याज आय को संबंधित परियोजनाओं में क्रेडिट कर दिया गया है और इसे विद्युत मंत्रालय को वापस किया जा रहा है।

7) ब्यूरो ने पीआरजीएफईई के अंतर्गत 41,23,12,428/– (गत वर्ष 1,05,65,32,747/–) रुपए तथा वीसीएफईई के अंतर्गत (वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज सहित) 46,57,48,319/– (गत वर्ष 44,23,99,937/–) को चिह्नित निधि (अनुसूची–1) के अंतर्गत दर्शाया है। इसे विजया बैंक में अलग–अलग खातों में जमा कराया गया है और अनुसूची–9 में दर्शाया गया है।

8) वर्ष के दौरान, ब्यूरो को ईसी अधिनियम की धारा 14 के खंड (क), (ख) व (घ) के अंतर्गत मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से ब्याज सहित 66,29,65,731/– रुपए (अनुसूची–1) (पिछले वर्ष 53,78,36,007/– रुपए) की राशि प्राप्त हुई। ब्यूरो ने एकरूपता बनाए रखने के लिए लेबलिंग शुल्क को मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) के अंतर्गत प्राप्ति आधार पर विचार किया है।

9) वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 12वीं योजना हेतु प्रस्तावित मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया था। ईएफसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि स्कीम से संबंधित सभी व्यय, स्कीम अर्थात् ''ऊर्जा संरक्षण निधि'' में सृजित आय में से वहन किए जाएंगे। तदनुसार, वर्ष के दौरान स्कीम के व्ययों को पूरा करने के लिए 15.37 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष 13.62 करोड़ रुपए) ''ऊर्जा संरक्षण निधि'' (अनुसूची–1) से अनुसूची–3 में अंतरित की गई।

10) वर्ष 2017–18 के दौरान पैट चक्र–I के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के दिनांक 27/5/2016 की अधिसूचना संख्या एल–1/97/2016 के द्वारा ई–प्रमाणपत्र (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र) ट्रेडिंग योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बीईई योजना के प्रशासक के रूप में तथा पोसोकी रजिस्ट्री के रूप में कार्य करता है। पोसोको पात्र संस्थाओं से सभी शुल्कों और प्रभारों की वसूली करेगा और इसकी खाता बहियों का रखरखाव करेगा। पोसोको रजिस्ट्री और प्रशासक के बीच 50 : 50 के अनुपात में शुल्क और प्रभारों की हिस्सेदारी करेगा।

11) मानक और लेबलिंग कार्यक्रम (एस एण्ड एल) के अंतर्गत 59,74,400/– रुपए (पिछले वर्ष 52,26,251/–) की राशि के परीक्षण जांच उपकरणों को चालू परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर तृतीय पक्षकारों (परीक्षण प्रयोशाला) के पास पड़ी हुई है। ये सामान–सूचियां मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत आती हैं, न कि व्यापार के प्रयोजन के अन्तर्गत। 31/03/2019 को जांच परीक्षण उपकरणों का उत्पाद–वार विवरण निम्नानुसार है:

i)	रेफ्रिजरेटर्स	–	21,14,892/– रुपए
ii)	एयर कंडीशनर्स	–	19,96,565/– रुपए
iii)	वाटर हीटर्स	–	3,88,371/– रुपए
iv)	पम्प सेट	–	9,42,341/– रुपए
v)	इंडक्शन मोटर्स	–	3,58,682/– रुपए
vi)	टेलीविजन	–	1,52,912/– रुपए
vil)	ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैंप	–	20,637/– रुपए
	कुल	–	**59,74,400/– रुपए**

12. अचल परिसम्पत्तियों में शामिल की गई अप्रयोज्य मदों पर किसी मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है।

13. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, सिडबी के साथ मिलकर जीईएफ निधिकृत एक परियोजना (एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता का निधीयन) इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी विश्व बैंक है। यह परियोजना सितंबर, 2010 में शुरू की गई थी और इसके पूरा होने की तारीख 30 दिसंबर, 2014 निर्धारित की गई थी। विश्व बैंक द्वारा दिसंबर, 2014 में इस परियोजना की पुनर्संरचना की गई थी। पुनर्संरचना की स्कीम के अन्तर्गत, इस परियोजना की अवधि 2 वर्ष अर्थात् 30 दिसंबर, 2016 तक बढ़ा दी गई थी।

    नवम्बर, 2016 में इस परियोजना को 5.19 मिलियन अमरीकी डॉलर का अतिरिक्त अनुदान दिया गया और इसकी अवधि को 4 मई, 2019 तक बढ़ा दिया गया। अतिरिक्त निधिकरण के अधीन बीईई के लिए 1.42 मिलियन अमरीकी डॉलर का आवंटन किया गया है।

    31 मार्च, 2019 तक बीईई द्वारा 10.84 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इसमें वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान खर्च की गई 1.41 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

14. निविदा प्रोसेसिंग शुल्क और आरटीआई शुल्क 12,21,000/– (गत वर्ष – 4,03,345/–) को '' अनुसूची – 18 – अन्य आय'' के अंतर्गत ''विविध सेवाओं हेतु शुल्क'' के रूप में दर्शाया गया है।

15. वर्ष के दौरान ब्यूरो ने निम्नलिखित खर्चों को बुक किया है जो पिछले वर्ष (पूर्व अवधि व्यय) से संबंधित हैं:

i)	लेखा परीक्षा शुल्क	–	1,73,340/– रुपए
ii)	बैठकों पर व्यय	–	6,198/– रुपए
iii)	कार्यालय रखरखाव	–	7,28,730/– रुपए
iv)	व्यावसायिक प्रभार	–	66,245/– रुपए
v)	मरम्मत और रखरखाव पर व्यय	–	9,440/– रुपए
vi)	अंशदान पर व्यय	–	1,866/– रुपए
vii)	टेलिफोन व्यय	–	29,468/– रुपए
viii)	वाहन संचालन और रखरखाव	–	46,141/– रुपए
	कुल	–	**10,61,428/– रुपए**

16. ऊर्जा सरंक्षण अधिनियम की धारा 8 और धारा 58 की उपधारा 2 के खंड (घ, ड़. और च), धारा 13 की उपधारा 2 के खंड (ढ, ण और त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो वर्ष 2004 से ऊर्जा प्रबंधकों और लेखा परीक्षकों का चयन करने के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है। इस परीक्षा से प्राप्त शुल्क और व्यय निम्नानुसार है:

1.4.2018 को शेष राशि	–	29,18,93,893/– रुपए
वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	–	4,39,24,127/– रुपए
घटाएं : वर्ष के दौरान व्यय	–	2,59,83,446/– रुपए
31.3.2019 को शेष	–	**30,98,34,574/– रुपए**

अनुसूची 1 के तहत उपरोक्त शेष राशि ''व्यय से अधिक आय'' में शामिल है।

17. बीईई और एनएमईईई के नियमित कर्मचारियों के लिए खातों में मार्च, 2019 माह के वेतन और भत्तों का प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि इसकी अदायगी अगले वर्ष में की जानी है।

जनवरी – मार्च, 2019 माह के महंगाई भत्ते की बकाया राशि के लिए खाता बहियों में प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के दिनांक 27.2.2019 के का.ज्ञा.सं. 1/1/2019 – ई ।। (बी) के संदर्भ में इसकी अदायगी अगले वर्ष में की जानी है।

18. पिछले वर्ष के तदनुरूपी आंकड़ों को, आवश्यकतानुसार पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया है।

19. 1 से 25 तक की अनुसूचियां 31 मार्च, 2019 तक के तुलन–पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखाओं का अभिन्न अंग हैं और ये इसके साथ संलग्न हैं।

4

प्रशासन

4.1 शिकायत निवारण

4.2 सूचना का अधिकार अधिनियम

4.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

4.4 अल्पसंख्यकों का कल्याण

4.5 राजभाषा का कार्यान्वयन

4.6 सतर्कता

4.7 दिव्यांग जनों का कल्याण

4.1 शिकायत निवारण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अलग से कोई शिकायत निवारण कक्ष नहीं है। शिकायतें, यदि कोई होती हैं, तो उनका निवारण बीईई के प्रशासन अनुभाग द्वारा किया जाता रहा है। शिकायतों के प्राप्त होते ही उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है/उनका उत्तर दिया जाता है।

4.2 सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2018–19 के दौरान, बीईई में आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने के बारे में कुल 229 आवेदन प्राप्त हुए और इन सभी का उत्तर अनुमेय समय सीमा के अंदर दे दिया गया/इन्हें अंतरित कर दिया गया।

इसी अवधि के दौरान, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 71 अपीलें भी प्राप्त हुईं, जिन्हें अनुमेय समय सीमा के अंदर निपटाया गया।

4.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए प्रपत्र में दिया गया है:

समूह	कुल कर्मचारी 31.03.2019 के अनुसार	प्रतिनिधित्व					
		अ.जा	अ.जा%	अ.ज.जा.	अ.ज.जा%	अन्य पिछड़ वर्ग	अन्य पिछड़ वर्ग%
क	13	02	15.38%	-	-	-	-
ख	09	-	-	-	-	-	-
ग	01	-	-	-	-	-	-
घ	-	-	-	-	-	-	-
कुल	23	02	8.69%		-	-	-

4.4 अल्पसंख्यकों का कल्याण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए प्रपत्र में दिया गया है:

समूह	कुल कर्मचारी 31.03.2019 के अनुसार	अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व	अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता
क	13	01	7.69%
ख	09	-	-
ग	01	-	-
घ	-	-	-
कुल	23	01	4.34%

4.5 राजभाषा का कार्यान्वयन

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के प्रति जागरुकता पैदा करने के प्रयोजन हेतु, प्रति वर्ष सितंबर माह में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार, अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा पुरस्कृत करने के लिए वर्ष के दौरान, विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं और हिन्दी कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया।

बीईई में, 14 से 28 सितंबर, 2018 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान, सात प्रतियोगिताएं नामतः हिन्दी में निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी में टिप्पणी और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए

हिन्दी में श्रुतलेख, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु हिन्दी श्रुतलेख तथा राजभाषा हिन्दी के प्रयोग से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी कविता पाठ प्रतियोगिता और ऊर्जा दक्षता पर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आठ पुरस्कार अर्थात् प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार तथा पांच सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। हिन्दी पखवाड़े के समापन समारोह में महानिदेशक, बीईई द्वारा प्रमाणपत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए।

26 जून, 2018, 27 सितंबर, 2018, 26 दिसंबर, 2018 और 19 फरवरी, 2019 को क्रमशः 22, 15, 18 और 12 प्रतिभागियों की प्रतिभागिता के साथ 2 घंटे के लिए हिन्दी कार्यशालाओं को आयोजन किया गया। विशेषज्ञ अतिथि वक्ताओं का वृहत ज्ञान एवं अनुभव उपयोगी रहा क्योंकि उन्होंने न केवल अपने विचारों और ज्ञान को साझा किया अपितु राजभाषा अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार अपना दैनिक सरकारी कामकाज हिन्दी में करने में प्रतिभागियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में भी मदद की। कार्यशालाओं में प्रतिभागिता से सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में काफी सहायता मिली। कार्यशाला में प्रतिभागिता के बाद, कर्मचारियों ने यूनीकोड के माध्यम से फाइलों में हिन्दी में टिप्पणी टाइप करना आरंभ कर दिया। 'क' व 'ख' क्षेत्रों को हिन्दी में भेजे गए पत्रों की संख्या प्रत्येक तिमाही में बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिए महानिदेशक, बीईई की अध्यक्षता में तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की गृह पत्रिका ''बचत के सितारे'' का द्वितीय अंक नवम्बर, 2018 में प्रकाशित किया गया था जिसकी प्रतियां ब्यूरो के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गईं। इसके अतिरिक्त पत्रिका की प्रतियां सभी मंत्रालयों और राज्य अभिहित एजेंसियों को भी भेजी गईं।

4.6 सतर्कता

वर्ष 2018–19 के दौरान, कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ नहीं की गई।

4.7 दिव्यांग जनों का कल्याण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का विवरण नीचे दिए गए प्रपत्र में दर्शाया गया है:

समूह	कुल कर्मवारी 31.03.2019 के अनुसार	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी				शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		वीएच	एचएच	ओएच	कुल	
क	13	-	-	01	01	7.69%
ख	09	-	-	01	01	11.11%
ग	01	-	-	-	-	-
घ	-	-	-	-	-	-
कुल	**23**	-	-	**02**	**02**	**8.69%**

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली - 110066
फोनः +91-11-26179699 (5 लाइन), फैक्सः 011-26178352
वेबसाइटः **www.beeindia.gov.in**
/beeindiadigital /bureauofenergyefficiency